खण्ड-103, अंक-2
मंगलवार, 17 आषाढ़, शक संवत् 1874
(8 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 103 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ४ बजे सायंकाल अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री.
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गजाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहार, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सरकार, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह श्री
जयराम वर्मा श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द महेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री

प्रभुदयाल, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार,
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज्जफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राज नारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
राशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग शर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र, विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर पाठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंश नारायण, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनाराण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

संसद भवन

सदस्यों के निवास-स्थानों पर विधान सभा की कार्य-सूची देने की नवीन प्रथा

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---मेरी मेज पर एजेंडा नहीं है।

अध्यक्ष---एजेंडा अभी दे दिया जाता है।

श्री भगवान दीन मिश्र (जिला बहराइच)---मेरी मेज पर भी एजेंडा नहीं है

अध्यक्ष---माननीय सदस्यों को मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि यह नवीन प्रथा चल गयी गयी है कि दारुलशफा में एजेंडे की एक एक कापी माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दी जाय। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य वहां से वह प्राप्त नहीं करते हैं जिसके कारण यहां पर मांगने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं उनको यह सूचना देना चाहता हूं कि उन्हीं की सहूलियत के लिये यह प्रथा चलायी गई है और जब सब लोगों ने इस बारे में आश्वासन दिया कि इस प्रथा से किसी को कोई तक़लीफ नहीं होगी तब ऐसा किया गया। आज तो मैं एजेंडे की कापियां बटवा दूंगा लेकिन कल से माननीय सदस्य यह खयाल रखें कि एजेंडा दारुलशफा में ही ले लिया करें जो माननीय सदस्य वहां रहते हों।

श्री भगवान दीन मिश्र---जो लोग दारुलशफ़ा या कौंसिलर्स रेजीडेंस में नहीं रहते हैं उनके लिये क्या व्यवस्था होगी ?

अध्यक्ष---उनके लिये यह व्यवस्था है कि जब वे सदन में आयें तो यहां टेबुल से ले सकते हैं क्योंकि थोड़े ही सज्जन होंगे जो कि बाहर रहते होंगे। नोटिस आफिस से भी ले सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---जो आदमी यहां से एजेंडा बांटने जाता है वह अगर कमरे का दरवाजा बन्द होता है तो उसमें एजेंडा नहीं डालता। कृपा करके उसको यह हिदायत कर दी जाय कि वह हर एक कमरे में एजेंडा की कापी छोड़ आया करे चाहे उसमें ताला लगा हो या खुला हो।

अध्यक्ष---ऐसा ही होगा।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ जिले की नहरों में कुलाबों का लगाया जाना

*१--श्री राम अधार तिवारी (ज़िला प्रतापगढ़)---क्या मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले की नहरों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिये उपयुक्त स्थानों में कुलाबे क्यों नहीं लगाये गये ?

(श्री कमलापति त्रिपाठी) सूचना मंत्री--अब तक नहर की जितनी शाखायें प्रतापगढ़ जिले में खुद चुकी हैं उन सब में उपयुक्त स्थानों पर कुलावे लगाये जा चुके हैं और ये सब सिंचाई कर रहे हैं।

आगरा ज़िले में सिचाई के साधनों का अभाव

*२--श्री देवकी नन्दन विभव (ज़िला आगरा)---क्या सरकार को मालूम है कि आगरा में आबपाशी की कमी के कारण हज़ारों एकड़ उपजाऊ ज़मीन बेकार पड़ी है और यह यहां के किसानों की गरीबी का भी कारण है ? क्या सरकार आगरे की जल की सप्लाई को बढ़ाने की योजना पर विचार करने को तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । आगरा जिले में बहुत सी उपजाऊ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं है । इस जिले में खासकर बाह तथा फतिहाबाद तहसीलों में सिंचाई तथा विद्युत् प्रसार के लिये सरकार ने रामगंगा नदी पर बांध बनाने की योजना को १५ वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है ।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य तहसीलों के लिये उन्होंने क्या निश्चय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आगरा की कुछ तहसीलों में तो सिंचाई की व्यवस्था है लेकिन फतिहाबाद और बाह में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । उसके लिये योजना १५ वर्षीय योजना में रखी गई है ।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य तहसीलों के लिये क्या व्यवस्था है और उसको क्या वह समुचित समझते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सिंचाई की समुचित व्यवस्था सूबे में मैं समझता हूं कि किसी भी जिले में नहीं है लेकिन जो कुछ हो पा रहा है वह किया जा रहा है ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि तेहसील बाह और फतिहाबाद में ट्यूब वैल्स लगाने की योजना पर भी विचार किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बाह में फतिहाबाद और कैनाल (नहर) की योजना पर विचार किया गया है । ट्यूब वेल की कोई योजना नहीं है ।

मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा चम्बल नदी पर बांध बांधने की योजना

*३—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार चम्बल नदी पर बांध बांधने की योजना बना रही है ? क्या सरकार आगरा की बाह और फतिहाबाद तहसीलों के लिये जल के एक उचित भाग को सुरक्षित करने और उसे उपयोग में लाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि मध्य प्रदेश राज्य ने चंबल नदी पर बांध बनाने का क्या प्रबंध किया है तथा उस योजना पर कब से कार्य आरम्भ होगा। परन्तु जब कभी भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चंबल नदी पर बांध बनेगा यह सरकार उस बांध से आगरा जिले के लिये पानी का उचित भाग प्राप्त करने के हेतु पूरा प्रयत्न करेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री इसकी शीघ्र सूचना प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, सूचना प्राप्त की जायगी।

*४—५—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—[१२ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बोर्ड बलिया द्वारा बलिया-दुबहंड सड़क का सरकार को हस्तान्तरण

*६—श्री राम अनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया-दुबहंड सड़क को जिला बोर्ड, बलिया ने सरकार को हस्तान्तरित कर दिया है ?

श्री गिरधारी लाल (निर्माण मन्त्री)—जी नहीं। यह सड़क निर्माण विभाग कभी भी अपने अधिकार में नहीं ली थी।

श्री राम अनन्त पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि सड़क के निर्माण के लिये जमीन का क्वायर (अर्जुन) करने के लिये मंजूरी हो चुकी है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*७—श्री राम अनन्त पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने उक्त सड़क की बरम्मत हस्तान्तरण के पश्चात् अब तक क्यों नहीं कराई ?

श्री गिरधारी लाल—यह प्रश्न नहीं उठता।

रिहन्द बांध योजना पर व्यय तथा उसकी पूर्ति

*८—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध पर अब तक कुल कितना रुपया लग चुका है और कुल कितना रुपया लगने का अनुमान है तथा यह बांध कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)—रिहन्द बांध योजना के संबंध में अभी तक जो काम किया गया है उस पर कुल ५०.८ लाख रुपया खर्च हुआ है। भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक इस योजना की कुल लागत ३५.२१ करोड़ रुपया है। इस योजना को पूरा होने में बांध बनने का काम शुरू होने के दिन से पांच वर्ष लगेंगे।

*९--श्री नागेश्वर द्विवेदी--इसके द्वारा कितनी भूमि को सिंचाई हो सकेगी और किस किस जिले में ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--करीब १६ लाख एकड़ भूमि फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, और प्रतापगढ़ जिलों में ४,००० ट्यूबवेलों द्वारा, जो इस योजना की सस्ती बिजली द्वारा चालित होंगे, सींची जायगी। इसके अलावा ४ से ५ लाख एकड़ तक भूमि बिहार में भी सींची जा सकती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय वित्त मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि रेह्न्द डैम के द्वारा जब बिहार प्रान्त में ५ लाख एकड़ जमीन सींची जायगी तो क्या बिहार प्रान्त से इसके लिये कुछ मदद ली जायगी ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह जो बांध तैयार होगा बिजली तैयार करने के लिये, उसके लिये जितने पानी की जरूरत है और वह पानी जितनी भूमि पर इकट्ठा होगा उसका रकबा १८० स्क्वायर मील होगा । उस पानी के इकट्ठा होने पर हम तो अपनी बिजली बनाने के लिये मजबूर हैं और वह पानी उत्तर प्रदेश के अन्दर आबपाशी के लिये इस्तेमाल हो नहीं सकता । बिहार को हमको मालूम नहीं है कि वह हमसे इस पानी को आबपाशी के लिये लेंगे या नहीं लेंगे । बहरहाल इसका इमकान है, अगर वह चाहें तो हमसे ले सकते हैं।

*१०--श्री नागेश्वर द्विवेदी--इस बांध को पंच वर्षीय योजना में स्थान दिया गया है या नहीं ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह भारत सरकार की पांडुलेख (draft) पंच वर्षीय योजना में शामिल नहीं है, परन्तु इसको पंच वर्षीय योजना में शामिल करने का सवाल भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह योजना इस बांध पर कब से शुरू हो जायगी ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--इस बांध पर काम करने के लिये इस बजट में जिस पर मुबाहिसा हो रहा है १० लाख रुपया रखा गया है और ज्यादा रकम हासिल करने के लिये भारत सरकार से बातचीत चल रही है । इस दौरान में उस रकम के हासिल हो जाने के बाद मैं तवक्को करता हूं कि इस साल के अन्दर इस पर काफी तौर पर काम शुरू हो जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय वित्त मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या राज्य की पंच वर्षीय योजना में रेह्न्द डैम को स्थान नहीं दिया गया है ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह तो सवाल के जवाब में कहा गया है कि भारत सरकार का जो ५ साल का प्रोग्राम है उसमें रेह्न्द डैम को जगह नहीं दी गई है, लेकिन अब यह सवाल उनके विचाराधीन है ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १० लाख रुपया सरकार ने इस साल खर्च करने के लिये रक्खा है वह रकम क्या इस काम को शुरू करने के लिये काफी होगी ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--कमी नहीं हो सकती। शुरू करना इस मानी में हो सकता है कि चन्द महीने में १० लाख रुपया खर्च हो जायगा । बाकी आगे यह सरकार सप्लीमेंटरी डिमांड्स के जरिये से खर्च करेगी और गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो तवक्को

बांध रक्खी है वह पूरी हो गई और रुपया मिल गया तो काम चालू हो जायगा। काम शुरू कर के लिये यह रकम रख दी गयी है ।

श्री कान्तिका सिंह (जिला आजमगढ़)---यह बजट में जो १० लाख रुपया रखा गया है वह सिंचाई विभाग में रखा गया है हाइड्रो एलेक्ट्रिक में नहीं रखा गया है । तो क्या यह सिंचाई विभाग के मंत्री से संबंध रखता है ? इसके रिहन्ड डैम बनेगा या बिजली का प्रोजेक्ट इससे आरम्भ किया जायगा ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम---यह सही है कि यह रक़म इर्रीगेशन में रखी हुई है। उसकी वजह यह है कि जितने हाईड्रो एलेक्ट्रिक बांध तैयार होते हैं उन सब को इर्रीगेशन ब्रान्च के इन्जीनियर इन्वेस्टीगेट करते हैं और वही बनाते हैं । अब नये इन्तजाम की रू से जो पावर हाउस बनेगा उसको इर्रीगेशन ब्रान्च के इंजीनियर बनायेंगे, लेकिन वह पावर, जो नया पोर्ट-फोलियो बना है, उसका पार्ट (भाग) बनेगी ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बांध का काम छूट जाने से उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम---बांध के लिये जो इन्वेस्टीगेशन का काम छूट गया था अगर वह बिलकुल ही छोड़ दिया जाय तो उससे ३०-४० वर्ष के बाद भी अगर शुरू हो तो उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

* ११-१३---श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---[२२ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

अस्थायी जुडिशियल अफ़सरों द्वारा माल के मुकदमों का निर्णय

* १४---श्री रामअधार तिवारी---क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी जुडिशियल अफसरों द्वारा माल के मुक़दमें निर्णय करने की प्रथा कब तक जारी रहेगी ?

श्री सैयद अली जहीर (न्याय मन्त्री)---कानून के अन्तर्गत अस्थाई जुडीशल अफसरों को माल के मुकदमे निर्णय करने के लिये कोई रोक नहीं है । फिर भी इस प्रथा के अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है क्योंकि राज्य मे जमींदारी के निहित हो जाने के संबंध में विज्ञप्ति के प्रकाशन के साथ प्रदेश भर के माल के मुकदमों की संख्या नाम मात्र रह जायगी क्योंकि माल के मामलों से संबंधित बहुत से अधिनियम अर्थात् वह जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० की अनुसूची ३ की सूची १ में निर्दिष्ट है, रद्द कर दिये गये है।

श्री रामअधार तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जुडिशियल अफसर माल के मुकदमात करते हैं वही फौजदारी के मुकदमात भी करते हैं या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, जरूर करते हैं।

श्री रामअधार तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के कारण फौजदारी के मुकदमों में कमी हो गई है ?

श्री सैयद अली जहीर---चूंकि सवाल माल के मुताल्लिक था उसी के हवाले से जवाब दिया गया था। फौजदारी के मुकदमों में कोई भी कमी नहीं हुई है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी ---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुडिशियल रिफार्म कमेटी के बताये हुये रेवेन्यू कोर्ट्स के सेट-अप (निर्माण) को बदलने के बारे में गवर्नमेंट क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली ज़हीर---जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है वह रिपोर्ट अभी हाल में ही गवर्नमेंट को मिली है। उसके ऊपर गौर किया जा रहा है,। अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है।

*१५-१७---**श्री कालीचरण टण्डन (ज़िला फ़रुख़ाबाद)**---[२२ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

ज़िला फ़र्रुख़ाबाद में कन्नौज-तिर्वा मार्ग पर ईसन नदी का बांध

*१८---**श्री चिरंजी लाल पालीवाल (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद)**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी। कि कन्नौज-तिर्वा रोड़ (जिला फरुखाबाद) पर ईसन नदी पर बने पुल का बांध कब से बनना आरम्भ हुआ और कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल---ईसन नदी पर बने पुल का बांध बनाने का काम २७ फरवरी, सन् १९५१ ई० से प्रारम्भ हुआ था। ३१ अगस्त, सन् १९५२ ई० तक इस काम के पूरे हो जाने की आशा है।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या सरकार बांध बनाने के काम की प्रगति से संतुष्ट है ?

श्री गिरधारी लाल---हां, जैसा कि मैंने बताया संतुष्ट ही रही है।

श्री चिरंजी लाल पालीवाल---क्या सरकार को पता है कि पिछले दिनों की बाढ़ से पहले ही यह बांध खिसकने लगा था ?

श्री गिरधारी लाल---मुझे अफसोस है कि ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

*१९---**श्री चिरंजीलाल पालीवाल**---उक्त बांध बनाने में अब तक कितना धन खर्च हो चुका है और काम पूरा होने तक कितना धन और ख़र्च होने का तखमीना है ?

श्री गिरधारी लाल---इस काम पर अभी तक कुल ४५,००० रुपया ख़र्च हुआ है और काम को पूरा करने के लियें अभी ५,००० रुपये की और जरूरत पड़ेगी।

ज़िला फ़र्रुख़ाबाद में छिबरामऊ-विधूना मार्ग पर ईसन नदी के पुल का निर्माण

*२०---**श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद)**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ (जिला फर्रूखाबाद) विधूना मेटल रोड पर सौरिख के पास ईसन नदी का पुल बनवाने के वास्ते पी० डब्लू० डी० अधिकारियों द्वारा ईंट तैयार कराके अन्य सामान मौके पर जमा कराया गया था ? यदि हां, तो पुल बनवाना क्यों रोका गया ?

श्री गिरधारी लाल---लगभग २,८०,००० ईंटा, ६४ टन लोहा और साढ़े छः हजार फ़िट रेता इस पुल के बनवाने के लिये सन् ५० तक जमा कराया जा सका। अन्य आवश्यक वस्तुयें जैसे सीमेंट के उपलब्ध न होने के कारण तथा आर्थिक व्यवस्था के कारण इस पुल का बनवाना रोका जाना पड़ा।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल के लिये इकट्ठा किये हुये ईंट, लोहा और रेत की क़ीमत क्या लगी थी और पुल जब रोका गया तो उस सामान को किस तरह से हटाया गया और उसकी कितनी क़ीमत आई ?

श्री गिरधारी लाल---क़ीमत के बारे में जहां तक ईंटों का प्रश्न है कुछ ईंट जो उसके योग्य नहीं थीं वह बेची गईं लेकिन वह कितने में बिकीं इसकी इत्तला मुझे नहीं है और बाक़ी जितना सीमेंट, लोहा है वह सब विभाग के गोदाम में मौजूद है या मौके पर जहां पर पुल बनाना है मौजूद है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि ऐसा ईंट क्यों लगायी गई जो पुल के काबिल नहीं थी ?

श्री गिरधारी लाल---यह मन्शा कभी नही होती लेकिन अगर कुछ चीज़ ग़लत आगई तो उसको बेच दिया गया । इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना---क्या सरकार बतलावेगी कि जिस इंजीनियर ने वह ईंट खरीदी या पास की उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारी लाल---इसकी देखभाल की जायगी ।

*२१---**श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह उपरोक्त पुल को कब तक बनवाने का इरादा रखती है ?

श्री गिरधारी लाल---इस पुल के निर्माण के लिये इस वर्ष के बजट में २५,००० रु० की योजना की जा रही है । स्वीकृति मिलते ही इस पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

सिंचाई के अभाव के कारण गोंडा जिले के उत्तरी भाग में धान की उपज में कमी

२२---**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)---क्या सरकार को पता है कि गोंडा जिले में राप्ती नदी के उत्तर वाले भाग में, जो कि धान की खेती के लिये प्रसिद्ध था, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वहां विगत दो वर्षों से धान की खेती सूख जाया करती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

२३---**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**---क्या यह सच है कि जिलाधीश, गोंडा, से राज्य बलरामपुर की नहर व्यवस्था में गड़बड़ी देखकर वहां की नहरों को सरकार द्वारा प्राप्त करने का अनुरोध किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । बलरामपुर राज्य के सिंचाई के कार्य जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त सरकार द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं ।

२४---**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**---क्या उपरोक्त क्षेत्र में नहर और ट्यूबवेल बनवाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गोंडा जिले में २०० नलकूपों का निर्माण १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है । कूपों के विस्तृत, भूपापन, जांच पड़ताल तथा

छोटे-छोटे जलाशयों और उनके साथ-साथ नहरों के निर्माण की संभावनाएं भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (ज़िला गोंडा)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि यह जो उसने विचार किया है यह काम कब से जारी होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तुरन्त ।

केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश से प्राप्त आय-कर तथा राज्य सरकार को उसका अंशदान

*२५---**श्री देवकी नन्दन विभव**---क्या सरकार बतलायेगी कि इस प्रदेश से केन्द्रीय सरकार को इंकमटैक्स से कितना रुपया प्राप्त होता है और उसमें से वह प्रादेशिक सरकार को कितना देती है ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम---जहां तक प्रश्न के पहिले भाग का संबंध है, राज्य सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है , इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को भाग 'क' राज्यों को देय आय कर के विभाज्य शुद्ध आय का १८ प्रतिशत मिलता है ।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि प्रादेशिक सरकार को इसमें कितना रुपया मिलता है ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम---मैंने अभी जवाब में बतलाया १८ फीसदी । अगर नक़द रक़म चाहते हैं तो वह ग़ालिबन ८ और ९ करोड़ के दर्मियान है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या विधान की धारा २८० के अनुसार फ़ाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सरकार को ज्ञात नहीं है ?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)---आजकल कमीशन मुक़र्रर है । वह इस पर ग़ौर कर रहा है, शायद आपको इत्तिला होगी ।

*२६-२८---**श्री नारायण दत्त तिवारी**---[१७ जुलाई, १९५२ के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

*२९---**श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)**---[१० जुलाई, १९५२ के लिये संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

गोंडा जिला राप्ती के उत्तरी भाग में सिंचाई की योजना

१---**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**---क्या सरकार को पता है कि गोंडा जिले का वह भाग जो राप्ती नदी के उत्तर की ओर स्थित है, दो वर्षों से सूखा है और वहां के निवासी अकाल से पीड़ित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, गोंडा जिले का वह भाग जो राप्ती नदी के उत्तर में स्थित है गत दो वर्षों में वर्षा की कमी के कारण अभाव ग्रस्त अवस्था में रहा है ।

२---**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**---क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त क्षेत्र में जो लगभग ५० मील लम्बा और ४० मील चौड़ा होगा, सरकार की ओर से एक भी ट्यूब-वेल या नहर नहीं बनाई गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह ठीक है कि उक्त क्षेत्र में सिंचाई की कोई सरकारी व्यवस्था अब तक नहीं रही है । गोंडा जिले के लिये २०० ट्यूब वेल्स १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं। कुओं के विस्तृत, भूमापन, जांच पड़ताल तथा नहर पद्धति संयुक्त छोटे जलाशयों के निर्माण के प्रस्तावों की जांच हो रही है ।

३—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**—गोंडा जिले के ट्रांस-राप्ती क्षेत्र की दशा को देखते हुये क्या सरकार वहां पर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स (Community projects) वाली स्कीम लागू करने पर विचार करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स की योजना राज्य के कुछ जिलों में लागू की गयी है गोंडा तथा अन्य बहुत से जिले ऐसे हैं जहां संप्रति यह योजना लागू नहीं की गयी है ।

मिर्जापुर शहर में बिजली की दर

४—**श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर शहर में आक्टेवियस स्टील ऐण्ड कम्पनी बिजली का फी यूनिट रेट आठ आना चार्ज करते है जब कि अन्य स्थानों में रेट बहुत कम है ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम—यह कम्पनी रोशनी पंखा के लिये बिजली आठ आना फी यूनिट के दर से चार्ज करती है । दस दिन के अन्दर बिल की अदायगी करने पर २५ फीसदी छूट भी जाती है । और छोटी-छोटी कम्पनियां भी लगभग यही रेट चार्ज करती है।

मिर्जापुर जिले में अन्न-संकट तथा नहर के कर की वसूली

५—**श्री अमरेशचन्द्र पांण्डेय**—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले में निरन्तर दो वर्षों से वर्षा न होने से अन्न का बड़ा संकट आ पड़ा है तथापि नहर के कर की वसूली बड़ी सख्ती से की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर में खाद्यान्न की कमी है । संकट निवारण के लिये आवश्यक प्रबंध किया गया है और योजनाएं परिचालित की गई है ।

नहर के कर की वसूली पिछले वर्षों की भांति हो रही है । किसी खास प्रकार की सख्ती की जाने की शिकायत सरकार के पास नहीं आयी ।

आय-व्ययक पर सामान्य विवाद में भाषणों का समय परिमित करना

अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक पर विवाद शुरू होगा। पेशतर इसके कि आय-व्ययक पर विवाद शुरू हो मैं यह आवश्यक समझता हूं कि माननीय सदस्यों के लिये जो इसमें भाग लेंगे समय निर्धारित हो जाय । बहुत से माननीय सदस्य भाषण देना चाहेंगे समय हमारे पास तीन दिन में कोई ११॥ घंटे पड़ता है । प्रश्नों का जो एक घंटा है यदि उसमें कुछ बचत हो जाय तो १२॥ घंटे भी हो सकता है। तो इस अवस्था में मैंने यह उचित समझा है कि समय निर्धारित कर दूं। एक समय में एक दिन के लिये समय निर्धारित करना चाहता हूं। आज के लिये विरोधी दल के नेता के लिये आध घंटा और माननीय सदस्यों के लिये २० मिनट समय मैं उचित समझता हूं।

सदस्यों को भाषण समाप्ति की पूर्व सूचना देने के निमित्त लाल रोशनी का प्रयोग

अध्यक्ष—इसके पश्चात् में माननाय सदस्यों को एक बात और बताना चाहता हूं। यहां यह प्रथा रही है कि जब समय निर्धारित होता है तो इसलिये कि भाषण खूबसूरती के साथ समाप्त हो जाय माननोय वक्ता को दो मिनट पहले संकेत कर दिया जाता है। अध्यक्ष कह देता है कि अब दो मिनट बाकी रहे हैं। इस तरह से कहने से शब्द से शब्द कटता है और वक्ता की विचारधारा और भाषण की शृंखला टूटती है। इसलिये मेरे हृदय में यह महसूस हुआ कि माननीय सदस्य जो भाषण देने में तल्लीन रहते हैं उनकी विचारधारा न टूटे और उनके हृदय में ठेस न पहुंचे, क्योंकि उसका प्रतिबिम्ब कुछ मुझ पर भी पड़ता है। जो मनोविज्ञान के जानने वाले हैं वे इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर शब्दों से नहीं, किसी दूसरे मार्ग से आंखों के द्वारा, रोशनी से, यह समय समाप्ति का संकेत मिल जाता है तो शृंखला नहीं टूटती। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं। एक तो बात उसमें यह है। दूसरी बात यह है जिसे सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शब्द जाता है उसकी जाने की गति एक सेकेंड में ११०० फीट है और रोशनी १ सेकेंड में १ लाख ८६ हजार मील जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि रोशनी से ९ लाख गुना समय बच जाता है। इन दोनों कारणों से मैंने यह उचित समझा कि जिस प्रकार रेडियो का भाषण करते समय रोशनी लगा दी जाती है, उसी प्रकार यहां दो बल्ब लगा दिये जांय जिससे माननीय सदस्यों को सूचना मिल जाय कि उनका समय अब समाप्त होने वाला है। इससे यह भी होगा कि माननीय सदस्य अगर थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो वे समय के नियंत्रण में भाषण समाप्त करने की शैली प्राप्त कर लेंगे और अपने समय की स्वयं रक्षा कर सकेंगे और यह हैबिट फार्म करने का तरीका भी एक अच्छा तरीका होगा। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि इस भवन को बाहर से बहुत से लोग देखने आते हैं। वे भी यह महसूस कर सकेंगे कि माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी स्वयं महसूस करते हैं। इसके लिये मैंने जो उपाय किया है वह भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्य यह समझ लें कि दो मिनिट पहले किस तरह की लाल रोशनी होगी। यह रोशनी दो मिनट तक रहेगी और जैसे ही यह रोशनी खत्म हो, माननीय सदस्य बैठ जायं।

अब वाद-विवाद जारी होता है।

आय-व्ययक पर सामान्य विवाद में भाषणों का समय परिमित करना (क्रमागत)

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय जहां तक मेरी जानकारी है इस सदन की यह परम्परा रही है कि विरोधी दल के नेता और जवाब देने वाले माननीय मंत्री के लिये समय की कोई पाबंदी नहीं रही तथा अन्य सदस्यों के लिये समय की पाबंदी लगा दी जाती रही है। अतः प्रार्थना है कि इस परम्परा को क़ायम रक्खा जाय।

अध्यक्ष—जैसी कि माननीय सदस्य ने प्रार्थना की है मैं उसे यथासमय देख लूंगा। माननीय विरोधी दल के नेता को यदि समाप्त करने में कोई कठिनाई होगी तो समय देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। इसमें यदि परम्परा की रक्षा की जाय तो अच्छी बात होगी। यह ठीक है कि यदि विरोधी दल के नेता कोई आवश्यक बात कहते होंगे तो आप उनको अवश्य कुछ समय दे देंगे परन्तु यदि परम्परा की रक्षा की जाय तो बहुत अच्छा है ताकि हम लोग भी परम्पराओं के साथ चलने में अपना गौरव समझें।

अध्यक्ष—परम्परायें अमिट नहीं हुआ करती। परम्परायें बदलती रहती हैं। मैं अपने पहले भाषण में कह चुका हूं कि हमारे पास समय थोड़ा है और उस समय में सब

[अध्यक्ष]

माननीय सदस्यों को भाषण करने का अधिकार है। यदि कोई माननीय सदस्य एकघंटे या दो घंटे भाषण देंगे तो साढ़े बारह घंटे में विवाद समाप्त नहीं हो सकेगा। जब पहिली २२८ सदस्यों की परम्परा बदल कर इस सदन में ४३० मेम्बरों की परम्परा हो गई तो मुझे भी यह परम्परायें परिवर्तित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस पर भी मैं यह प्रयत्न करूंगा कि माननीय विरोधी दल के नेता को अधिक से अधिक समय दूं।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस बजट पर जोकि वित्त मंत्री जी ने उपस्थित किया है बोलने से पहिले यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यह चाहता था कि जब मैं बजट पर बोलने के लिये खड़ा होऊं तो विवाद केवल विवाद के लिये ही न हो बल्कि वस्तु-स्थिति को अच्छी प्रकार देखकर उस पर विरोधी दल भली प्रकार रोशनी डाले और उसका अच्छी प्रकार से समाधान सदन के नेता या मंत्री महोदय जिन्होंने बजट उपस्थित किया है वह करें। इसलिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इसमें जो समय की पाबंदी की गयी है उस समय की पाबंदी को स्पीकर महोदय उदारता के साथ निभाने की, दिये हुये बचन को पूरा करने की, कोशिश करेंगे।

हमारे सामने जो अभिभाषण प्रस्तुत है उसमें स्वतंत्र भारत का यह प्रथम बजट इस उत्तर प्रदेश का माना गया है। सही माने में अगर यह स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट है और उत्तर प्रदेश को सारे भारत का प्राण माना जाता है उसका बजट है, तो मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि इस बजट को उठा कर रद्दी की टोकरी को फेंक देना चाहिये। यह बजट किसी भी माने में स्वतंत्र भारत का प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता है। जब आप स्वतंत्र भारत के प्रतिबिम्ब की बात कहते हैं तो मैं आपको १९४२ की वह प्रतिज्ञा याद दिलाना चाहता हूं जिसमें हमने प्रतिज्ञा की थी :--

"The state must necessarily belong to producing masses—workers in field and factory"

[राज्य पर आवश्यक रूप से उत्पादक जनता--खेत तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का अधिकार होना चाहिये।]

यानी स्वतंत्र भारत में जो राज्य होगा वह ऐसा राज्य होगा जिसमें राज्य शक्ति किसानों और मजदूरों के हाथ में जायगी, जो खेतों में काम करते हैं जो कारखानों में काम करते हैं, उनके हाथ में राज्य शक्ति जायगी। मगर इस बजट को पढ़कर कोई जानकार यह बतला सकता है कि इस बजट में मजदूरों की हालत कहां जा रही है, किसानों की हालत कहां जा रही है, खेतिहर मजदूरों की हालत कहां जा रही है और बेकारों की हालत कहां जा रही है? जो धन पैदा करने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिये इसमें क्या चीज रखी गयी है?

यह बजट जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने एक बात बहुत सचाई के साथ कही है कि आरम्भ में इसका जिक्र मैंने इसलिये नहीं किया कि आपको उन सभी व्यवस्थाओं का पूरा ब्योरा दूं, जो हमने इस बजट में दी हैं, उसे मैं आगे अपने भाषण में समझाने की कोशिश करूंगा। इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि पिछले समय में जो भी तौर तरीका रहा हो, लेकिन अब सरकार ने पक्का इरादा कर लिया है कि चाहे जितनी भी दिक्कतें क्यों न हों लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश की जायगी। स्पीकर महोदय, इस 'अब' शब्द को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने 'अब' शब्द पर काफी जोर दिया था कि पहले चाहे जो कुछ भी होता रहा हो लेकिन अब इस सरकार ने यह निश्चय

कर लिया है कि वह तमाम योजनाओं को अवश्य ही कार्यान्वित करेगी। मगर फिर भी माननीय मंत्री जी ने भाषण करते हुये आगे कहा है कि "मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि इस सरकार का उद्देश्य और प्रयोजन वही है जो पिछली सरकार का उद्देश्य और प्रयोजन रहा है।" हमारे माननीय मंत्री जी ने सही बात कह दी। इसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने सच्चाई के साथ कह तो दिया कि जो पहली सरकार का तौर तरीका था वही इस सरकार का भी है।

बजट कई तरीके से देखा जाता है। अगर बजट को सच्चे माने में देखा जाय तो आज जो देश में लूट-खसोट जारी है, जो देश में भ्रष्टाचार जारी है, जो देश में भुखमरी जारी है, जो देश में शोषण की व्यवस्था जारी है और देश में जो परम्परायें क़ायम हैं वे इस बजट से तनिक भी दूर नहीं होती हैं। वे ज्यों की त्यों बराबर बरकरार रहती हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करूंगा कि सरकार समाज सेवा पर कितना खर्च करती है, सुरक्षा पर कितना खर्च करती है, शिक्षा पर कितना खर्च करती हैं और कितना विकास योजनाओं पर खर्च करती हैं। स्पीकर महोदय, जो आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उनसे सदन को स्पष्ट तरीके से मालूम हो जायगा कि यह बजट रिग्रेसिव (प्रतिगामी) है, रिएक्शनरी (प्रतिक्रियावादी) है, पीछे की तरफ ले जाने वाला है और प्रतिक्रियावादी है। मैं आदरणीय स्पीकर महोदय के द्वारा सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बजट वस्तुस्थिति को भी हमारे सामने अच्छी तरीके से नहीं रखता है। बजट में आंकड़े कुछ दिखाये जाते हैं वास्तविकता कुछ और होती है, जैसा कि एस्टीमेटेड बजट सदन के सामने प्रस्तुत है। अब इस एस्टीमेटेड बजट को सदस्य देखेंगे तो मालूम होगा कि किसी मद में रकम कुछ रखी जाती है और खर्च कुछ होती है। एक्चुअल (वास्तविक) रूप में क्या वह रकम खर्च होती है या नहीं इसको भी हमारे सम्मानित सदस्य जब पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे।

थोड़े में मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारे सामने केवल सन् १९५०-५१ के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत हैं। इसके बाद के वास्तविक आंकड़े नहीं दिये गये हैं। अब ज़रा देखिये कि पुलिस पर कितना खर्च हुआ और समाज सेवा के कार्यों पर कितना खर्च हुआ। पुलिस की मद में सन् १९४७-४८ में ४ करोड़ ९९ लाख मूल था और वास्तविक ६ करोड़ ४१ लाख हो जाता है। इस तरह से जितना रुपया हम पुलिस के लिये रखते हैं उससे कहीं ज्यादा वास्तविक खर्चा होता है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह सप्लीमेंटरी बजट ला कर या दूसरे तरीकों से जो रुपया खर्च कर लेते हैं वह रकमें आती कहां से है? वह रुपया जो सामाजिक सेवा के कार्यों के लिये रखा गया था वह खर्च कर दिया जाता है और एक रोजी पिक्चर (सुन्दर चित्र) देने के लिये जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो यह दिखा देते हैं कि यह रकम इतनी नहीं इतनी है। इसके आगे १९४८-४९ में देखें तो मूल है ६ करोड़ ९० लाख, लेकिन वास्तविक खर्चा। हुआ ७ करोड़ ५९ लाख इसी तरह से ४९-५० में रखा गया था ६ करोड़ ८४लाख लेकिन वास्तविक खर्चा हुआ ८ करोड़, यानी एक तरफ आप देखेंगे कि पुलिस के लिये जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो क्या आंकड़े दिखलाये जाते हैं, क्या ग्रांटें मांगी जाती है, मगर वास्तविक रूप से उसका खर्चा बढ़ता चला जाता है। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा कुछ आंकड़े अपने सम्मानित सदस्यों के सामने इसलिये पेश करना चाहता हूं कि उनको यह जो बजट रखा गया है उसको समझने में आसानी हो। विशेषकर बहुमत दल के सदस्यों, जिनकी सरकार बनी हुई है, से जोरदार शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको पढ़ना, समझना और देखना चाहिये, इसलिये कि यह उनकी ही सरकार है और वह खुद देखें कि उनकी सरकार की गति-विधि कैसी चल रही है और क्या उस गति-विधि को अख्तियार करके वे सच्चे भारत का स्वरूप जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।

[श्री राज नारायण]

इस बजट में एक बात हमारे वित्त मंत्री जी ने बताई है, मैं उन्हीं के शब्दों को पढ़ रहा हूं दिमागी और सांस्कृतिक उन्नति करना चाहते हैं। दिमागी और सांस्कृतिक उन्नति आपका उद्देश्य है। कैसे होगी? जरा इस बजट को पढ़कर ईमानदारी के साथ हमारे वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कैसे होगी?

अध्यक्ष---ईमानदारी का शब्द जरा अनुचित सा प्रतीत होता है, कर्ण-कटु है।

श्री राज नारायण---इस समय जो १९५२-५३ में शिक्षा पर रकम रखी गयी है वह राजस्व व्यय का १२·४ प्रतिशत है। १९५१-५२ में १३·१४ प्रतिशत रखी गयी थी। अब करीब १ फी सदी कम बढ़ायी जा रही है। इस बजट में शिक्षा पर और कम खर्च होने जा रहा है तो फिर कैसे दिमागी और सांस्कृतिक उन्नति होगी, यह समझ में नहीं आता। हमारे वित्त मंत्री ने अपने समर्थन में जितने आंकड़े दिये हैं वे सब १९४५-४६ के हैं। सन् १९४५-४६ एक नाजुक परिस्थितियों का जमाना था। ४५-४६ में सरकार को सुरक्षा ज्यादा करनी थी। लेकिन ४५-४६ की अपेक्षा सुरक्षा पर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जरा ३६-३७ में जाइये, उस समय शिक्षा पर कितना खर्चा था। ३६ ३७ में पर्सेंटेज था १६·७१। एक तरफ ३६-३८ में १७ प्रतिशत खर्चा हो जब कि वार (युद्ध) नहीं आई थी और आज सरकार खर्च कर रही है १२.४ प्रतिशत। फिर वित्त मंत्री कहते हैं कि हम बौद्धिक विकास करना चाहते हैं। बौद्धिक विकास कैसे करेंगे साहब? 'सांस्कृतिक उन्नति' एक वेग धर्म (अनिश्चित पद) है। 'सांस्कृतिक उन्नति' की भिन्न भिन्न परिभाषायें हो सकती हैं। अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा जायगा तो 'सांस्कृतिक उन्नति' की एक परिभाषा दे देंगे। हमारे माननीय स्पीकर महोदय बोलने खड़े होंगे तो सांस्कृतिक उन्नति की दूसरी परिभाषा दे देंगे। हमारे सम्पूर्णानन्द जी बोलने खड़े होंगे तो विद्वता के साथ सांस्कृतिक उन्नति की तीसरी परिभाषा दे सकते हैं। इसलिये यह एक वेग धर्म है गोल शब्द है। इससे वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन नहीं होता।

अब मैं इस बजट के एक एक अंश को लेकर चलना चाहता हूं। सर्वप्रथम काफी आजादी के साथ जमींदारी विनाश की चर्चा की गयी है। जमींदारी विनाश कैसे हुआ, जमींदारी विनाश से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आदरणीय स्पीकर महोदय, समय तो बहुत लग जायगा वर्ना एक एक नाम आपकी खिदमत में पेश करता और आदरणीय सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता। यह (दरख्वास्तों का बंडल) एक पटवारी सर्किल की दरख्वास्तों का है जहां पर जबरदस्ती किसानों को उनकी जोत से बेदखल किया जा रहा है। हमने आज से दो दिन पहले संबंधित मंत्री जी से इस संबंध में बातचीत की थी। आजमगढ़ जिले की यह मोटी पोथी है। वहां अगर जाइये तो आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। करीब-करीब ढाई-सौ सौ दरख्वास्तें ऐसी आयी हैं जिन से पता चलता है कि जमीन पर शिकमी काश्तकार का नाम दर्ज है, लेकिन सिर्फ लाठी के जोर से वे जमीन से बेदखल किये जा रहे हैं। एक तरफ सरकार सुरक्षा की बात कर रही है। हमारे बजट का अधिकांश पुलिस पर खर्च करती है। दूसरी तरफ हमारे बेचारे किसान जमीनों से दिन दहाड़े बेदखल किये जा रहे हैं और हमारे सामने कहा जाता है कि हम 'ग्रो मोर फूड' की स्कीम चला रहे हैं 'ग्रो मोर फूड' इन फाइलों में अगर आप चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रो मोर फूड इन फील्ड (खेतों में 'अधिक उन्न उपजाओ') नहीं चल रहा है।

स्पीकर महोदय, यह आंकड़े जो इस सरकार के विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुये हैं उन्हें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। सन् १९४९-५० ई० में कितने एकड़ पर गेहूं बोया गया, कितने एकड़ पर चना बोया गया, कितने एकड़ पर जौ बोया गया, कितने एकड़ पर बाजरा

बोया गया, कितने एकड़ पर मक्का बोया गया, कितने एकड़ पर चावल बोया गया, सबका अगर टोटल लगायें तो ३,५५,५१,००० एकड़ आता है। जरा सन् १९५०-५१ ई० के आंकड़े देखिये। अगर सब का टोटल लगायें तो ३,५३,२६,००० एकड़ आता है। एक तरफ तो बड़े गर्व के साथ कहा जाता है कि नयी-नयी जमीनें तोड़ी जा रही हैं, जंगल साफ़ किये जा रहे हैं पलाश के पेड़ साफ किये जा रहे हैं, दूसरी तरफ यह आंकड़े क्या साबित करते हैं? यह हमारे घर के आंकड़े नहीं हैं। सरकारी आंकड़े हैं। जरा पैदावार भी देखिये कुल पैदावार ४०-४१ में ९६,७६,६०० टन थी और ५०-५१ में ९५,२८,००० टन। सन् १९४०–४१ में ९६,७६,००० टन और ५०-५१ में ९५,२८,००० टन उत्पादन हुआ यह बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? इससे तो मालूम होता है कि आपकी उपज और पैदावार घटी है। अगर हमारे मंत्री महोदय यहां पर यह कह दें कि सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, अति वर्षा हुई, अनावृष्टि हुई, इन तमाम कारणों से यह फसल घट गयी, तब तो आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं चाहता था कि बहुत अच्छे तरीके से अपने आदरणीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री के सामने विस्तृत रूप से सब चीजें रखूं। मगर समय कम होने के कारण मैं यह कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े रात रात जग जग करके तैयार किये गये हैं, आखिर ये किस काम आयेंगे, माननीय मंत्री महोदय को भेज दिये जायेंगे। तो माननीय स्पीकर महोदय, मैं इन आंकड़ों से यह साबित करना चाहता हूं कि जहां तक ग्रो मोर फूड पालिसी का संबंध है वह निकम्मी और रद्दी पालिसी रही है, इसमें तनिक भी बढ़ती नहीं हुई है। यह मेरी ही राय नहीं, यदि आप इसके सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें बतलाया गया है कि "ग्रो मोर फूड" की पालिसी का कार्यक्रम बिल्कुल असफल रहा है, इसमें तनिक भी बढ़ोतरी नहीं हुई है।

"तालाब खोदो" योजना भी हमारे उत्तर प्रदेश में चलायी गई। कितना रुपया खर्च हुआ? इसके आंकड़े तो हम जल्दी में नहीं निकाल पाये वर्ना उन्हें आदरणीय सदस्यों के सम्मुख उपस्थित करता। वह योजना भी व्यर्थ ही रही और कहीं भी सफल नहीं हुई। हमारे इर्रिगेशन मिनिस्टर अपने आंकड़ों से बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना से कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है।

जमींदारी विनाश योजना की बहुत लम्बी कहानी है। बार बार सोशलिस्ट पार्टी और और लोग कहते चले आये हैं कि जमींदारी उन्मूलन, जो कहा जाता है कि अच्छे तरीके से हो रहा है, बिलकुल ग़लत है। उसमें किसानों का समुचित लाभ नहीं है। बजट स्पीच में कहा गया है कि "किसान स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके चल सकते हैं।' इस बात में संभवतः अब कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि हमारी कृषि संबंधी प्रणाली में किये गये इस बड़े परिवर्तन से हमारा राज्य अपनी जनता की बढ़ी हुई सम्पत्ति और पुरुषत्व से बड़ा भारी लाभ उठावेगा।" वित्त मंत्री ने भाषा का बड़ा सुन्दर प्रयोग किया है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जाकर देखें। क्या जमींदारी उन्मूलन होने से किसानों के लगान में कमी हुई है? क्या किसानों को उससे ज्यादा खेती जोतने को मिल गयी है? लगान उसी तरीके का रहता है। ४० साल तक सरकार नया बन्दोबस्त नहीं करने जा रही है, फिर भी ऐसी बातें कही जाती हैं। इस पर एक कहानी हमें याद आती है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने फैजाबाद की एक मीटिंग में, पता नहीं उनको कहां से आंकड़े मिल गये, कहा कि किसानों के घरों में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं। उनको दीमक चाट रही है और मूसे कुतर रहे हैं। कहां से किसानों के घर में रुपया आया? एक अरब बहत्त रकरोड़ की योजना जब आप कहते हैं.....

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—जब आप कहते हैं कि कोई बात मैंने कही तो मेरे लिये यह जरूरी हो जाता है कि यह बतलाऊं कि आपको जिसने इत्तिला दी उसने सही भाषा आपके सामने नहीं रखी और आप तो वहां थे ही नहीं।

श्री राजनारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, मुझे खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने यह बात नहीं कही थी। प्रेस में तो बड़े मोटे अक्षरों में छपा था और मुख्यमंत्री जी का इसके पहले खंडन नहीं हुआ था ।

आदरणीय स्पीकर महोदय, अगर हमारे मुख्य मंत्री के दिमाग में, अगर हमारे वित्त मंत्री के दिमाग में और उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर के दिमाग में यह बात नहीं थी कि किसानों के पास नोटों के बंडल हैं तो १ अरब ७२ करोड़ की योजना कैसे बनाई गई थी ? सारे सूबे की ग्रामीण जनता की आमदनी को देख डालिये, उतनी आमदनी भी नहीं होती है। इस लिये बावजूद तमाम कोशिशों के बावजूद तमाम सरकारी साधनों के इस्तेमाल के उपयंक्त रकम वसूल नहीं हुई। आदरणीय स्पीकर महोदय आपके जरिये बतलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने उसको साफ तरीके से बता दिया है कि केवल ३२ करोड़ रुपये प्राप्त हो सके हैं। इसीलिये सरकार की वह योजना फेल हुई इसीलिये वह योजना गलत साबित हुई। मगर आज तक न मालूम क्या मोह है कि अब भी उसका स्वरूप बाकी है।

मैं अब पंचायत राज पर आता हूं। पोलिटिकल पावर (राजनीतिक शक्ति) के डिस्ट्रिब्यूशन (वितरण) का एक सच्चा और जीता जागता स्वरूप वह हो सकता था। माफ करेंगे हमारे आदरणीय स्पीकर महोदय, पंचायत राज के कानूनों के बारे में वे दक्ष हैं, मगर आज पंचायत राज में क्या बातें चल रही हैं, आपके जरिये सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। पंचायतें सरकार की दिन प्रति दिन की कार्यवाही को चलाने की एक मशीन के रूप में परिणत कर दी गई हैं। पंचायतों को जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिये, वे अधिकार नियम, उपनियम और कायदे कानून बना बना करके खत्म किये जा रहे हैं। आज इस बजट में इतनी प्रतिगामी एक बात लिखी हुई है कि मंत्रियों की तनख्वाह के लिये ५० लाख रुपये सरकार ग्रांट करती है। मगर मंत्रियों की तनख्वाह के लिये इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं ग्रांट किया ? बराबर हम चिल्लाते थे, सोशलिस्ट पार्टी प्रस्ताव पास करती थी, पंचायतें प्रस्ताव पास करती थीं, लेकिन अगर आंकड़े देखे जायं कि कितनी दरख्वास्तें आयीं तो मालूम हो जायगा कि कोई ऐसा जिला नहीं रहा होगा जहां से दरख्वास्तें न आयीं हों। पंचायत राज को सरकारी कोष की चौथाई रकम मिलनी चाहिये। मगर इस योजना की ओर ध्यान नहीं दिया गया और जनता का विश्वास पंचायतों की ओर से हटता चला गया। तो जो इस सम्बन्ध में किया गया है उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज बजट में हमारे वित्त मंत्री जी बड़ी उदारता के साथ फरमाते हैं कि मंत्रियों की तनख्वाह देने के लिये ५० लाख रुपया देंगे लेकिन कब ? सुन लीजिये उनकी भाषा--"सरकार ने अब यह तय किया है कि सरकार इन पंचायतों के सेक्रेटरियों का वेतन दे और यह कि सरकार इन कर्मचारियों पर अपना कुछ नियंत्रण रखे।" इसी नियंत्रण को रखने के लिये सरकार चाहती थी कि जब नियंत्रण रखें तब ५० लाख रुपया ग्रांट करें। इसके पूरे तरीके से साफ साफ यही माने होते हैं कि सरकार उनको अपने प्रचार का, सही हो या गलत, साधन बनाना चाहती है और उनको विकास की योजनाओं में लगाने की बात करती है।

एक बड़ी लम्बी-चौड़ी दरख्वास्त हमारे पास, आदरणीय स्पीकर महोदय, प्रांतीय रक्षा दल वालों की आयी है। अगर उसको हम पढ़ें तो बहुत समय लग जायगा। आज जिस विभाग में जाइये, जिस तरफ नजर डालिये, चारों तरफ रोना है, हाहाकार है, लेकिन हमारे मंत्री लोग इन शासन की गद्दियों पर बैठे हुए गर्व से कहते रहते हैं कि सुखमय संसार बनता जा रहा है, सुन्दर संसार बनता जा रहा है और सच्चा स्वराज्य आता जा रहा है।

सहकारी संघटन का क्या रोना आपके सामने रखें ? बाकी एक आंकड़ा आपके सामने आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं रख देना चाहता हूं, बाकी सदस्य स्वयं समझ लें। देश के मुख्य-मुख्य सूबों में कोआपरेटिव्स, जो किसानों को और दूसरे लोगों को कर्ज देती है, वे किस ब्याज की दर से देती है, वे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

मद्रास में ६ १/४ से लेकर ७ १/२ फीसदी, बम्बई में ६ १/४ मध्य प्रदेश में ११ से १२ तक, उत्तर प्रदेश में १० १/२ से १५ तक, उड़ीसा में ८, बिहार में पौने ६ ३/४ पंजाब में ६ से १२ १/२ पश्चिम बंगाल में १२ १/२ आसाम में १२, कुर्ग में ६ १/४ से ८ १/२ मध्य-भारत में ९ से १२, ट्रावनकोर में ८ मैसूर में ७, अजमेर में १० और हैदराबाद में ६ १/४ से ९ ३/४ फीसदी। तो इस भाव पर कोआपरेटिव सोसाइटीज कर्ज दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की कोआपरेटिव सोसाइटीज १५ फीसदी के हिसाब से कर्ज दे रही हैं। इससे क्या जनता का आकर्षण होगा ? भले ही यहां सोसाइटियां बन जायं और बन जायंगी, क्योंकि सरकार इन सोसाइटियों को आसानी से कुछ न कुछ दे देती है, इस लिये बहुत से लोग उनमें चले आया करते हैं, मगर जहां कन्ट्रोल ढीला हुआ सरकार देखेगी कि कोआपरेटिव सोसायटियां टूट जायंगी। टूटने लगी हैं और चन्द महीनों में, साल भर के अन्दर न मालूम इन सोसाइटियों की क्या से क्या दशा हो जायगी।

इसके बाद वित्त मंत्री के भाषण में श्रम कल्याण आता है। वित्त मंत्री जी मजदूरों के कल्याण के बारे में फरमाते हैं कि मजदूरों का कल्याण कैसे होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार को मजदूरों का कल्याण करना है तो उनको लाभ में और प्रबंध में हिस्सा दीजिये। तभी मजदूरों का कल्याण हो सकता है। केवल कागज के टुकड़े पर चन्द लाइनों को सुन्दर शब्दों में लिख देने से ही मजदूरों का कल्याण नहीं हो सकता है। आदरणीय स्पीकर महोदय, वित्त मंत्री जी के सामने आज मजदूरों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में जो लेबर डिस्प्यूट्स ऐक्ट्स थे उनको १५ मार्च, १९५१ को परिवर्त्तित कर दिया गया। इसके पहले आई० एन० टी० यू० सी० जो कांग्रेस की मजदूरों में काम करने वाली संस्था थी उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान्यता प्रदान की थी। सारे सूबे की शुगर इन्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने चैलेंज देकर सेंसेस (मत गणना) कराया। उस सेंसेस में आई० एन० टी० यू० सी० को बहुत ही कम प्रतिशत वोट मिले और दूसरी को ज्यादा मिले। जब सरकार के सामने यह बात आयी तो उन्होंने परिवर्तन किया। आज जो परिवर्तित कानून मजदूरों का शोषण करने के लिये, उनके हकों पर कुठाराघात करने के लिये है उसकी तरफ हमारे वित्त मंत्री जी ध्यान दें। उसमें यह है कि अगर झगड़े होंगे तो वे कंसिलियेशन आफिसर (संराधन अधिकारी) के यहां जायेंगे। कंसिलियेशन आफिसर अगर ट्रिब्यूनल अप्वाइंट करने के बाद समझौता नहीं करा पायेगा तो उसको लेबर कमिश्नर के पास भेजेगा और लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट के पास भेजेगा कि यह मामला है ऐडजुडिकेशन (अभिनिर्णय) जाना हो तो जाय न जाना हो तो न जाय। सरकार अगर चाहेगी तो एडजुडिकेशन में जा सकेगा और अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं जा सकेगा। यह हालत है हमारे सूबे में। सारे मजदूर आज तबाह हो रहे हैं और उनके हित की तनिक भी रक्षा नहीं हो रही है। आज सरकार ऐसे कानून बनाती चली जा रही है। मैं, आदरणीय स्पीकर महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन हम लोग पहले पहल यहां आये थे उस दिन हमारे सामने एक कापी रख दी गयी थी। पढ़ा तो हमने उसको जरूर था लेकिन उस समय समझ में नहीं आया कि आखिर यह प्रति क्यों प्रस्तुत की गयी है। बाद में मालूम हुआ कि मार्टिनकम्पनी के बिजली के कारखाने के मजदूरों के पक्ष में जो अपीलेट कोर्ट ने फैसला दिया था उसको सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपीलेट कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित करे और अगर उसके मन में कोई दूसरी बात आती है तो उस फैसले को ठुकरा दे। तो वित्त मंत्री जी बतलायें कि इसमें श्रम कल्याण की बात कहां आती है ? इससे श्रम कल्याण नहीं हो सकता।

"राजनीतिक पीड़ित" एक हेडिंग (शीर्षक) है वित्त मंत्री के भाषण में। जनता का एक और वर्ग राजनीतिक पीड़ित है। यह कौन सा अजीब वर्ग आया है। आदरणीय स्पीकर महोदय, मुझे माफ कीजिये। शायद क्लास का अनुवाद वर्ग हमारे मंत्री जी ने किया होगा वैसे राजनीतिक पीड़ित कोई क्लास नहीं है मगर सही है वित्त मंत्री जी ने

श्री राजनारायण]

सरकार की भावना को अच्छी तरह से रखा है। उसको क्लास बनाना चाहते हैं। ऐसे-ऐसे सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि उन लोगों को ज्यादा मदद मिली है जिनका एक भी मकान नहीं जला है । अगर सरकार चाहेगी तो हम आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे ।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। मुझे कहना पड़ता है क्योंकि दो तीन मिनट ज्यादा हो गये हैं।

श्री राजनारायण--दो तीन मिनट और चाहिये ।

अध्यक्ष--मैंने आपको दो तीन मिनट ज्यादा दे दिये हैं ।

श्री राजनारायण--मैं बैठ सकता हूं, लेकिन यदि दो तीन मिनट दे दें तो अच्छा हो।

अध्यक्ष--आप दो मिनट ले लीजिये ।

श्री राजनारायण--अब कर की व्यवस्था के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। कर कहां लगाया जायगा जहां सिंचाई के और विकास के काम को बढ़ाने की बात हो। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि यह कर लगाया जायगा। हमने मुख्य मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा था और निवेदन किया था कि इस कर का भार किसानों पर, मजदूरों पर और साधारण जनता पर न पड़ना चाहिये । यह कर कैपिटेलिस्ट (पूंजीपतियों) पर लगाया जाय आज चीनी के कारखानेदारों ने इन चार वर्षों में जितनी पूंजी नहीं लगाई है उससे कहीं ज्यादा रकम अनुचित तरीके से कमा ली है। उनके ऊपर यह कर लगाकर सरकार आमदनी करे। इसी तरह से सेल्स टैक्स की बात भी हमारी समझे में नहीं आती है। इसका भार तो उपभोक्ता पर ही पड़ता है, इस लिये सेल्स टैक्स को नहीं बढ़ाना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज के बारे में बहुत कुछ हमदर्दी दिखायी गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार यूनिवर्सिटीज को अपने बजट में बड़ी से बड़ी रकम दे जिससे यूनिवर्सिटीज का काम बिना बाधा पड़े हुये अच्छी तरह से चलता चला जाय ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो इस वर्ष का आय-व्यय हमारे सामने प्रस्तुत है कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नियोजन पर और सार्वजनिक निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भय है कि आज जो देश में राजकीय कर्मचारियों की मनोवृत्ति है और जिस तरह से कार्य होता है उससे शायद हम जितने परिणाम की आशा करते हैं वह हमें न मिल सकें ।

मैं आपसे पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी बड़ी तारीफ की गयी है कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसी वर्ष की बात कह रहा हूं कि गांवों में जितने आलू के बीज दिये गये वह सब के सब सड़े हुये थे। इसी तरह से अभी धान का बीज दिया गया, लेकिन उससे खेतों में कुछ भी नहीं निकला। इसके सिवा कुछ जानवर गांवों में लावारिस की तरह से छोड़ दिये गये हैं जो फसल को खराब कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पूर्वी जिलों में जो पायलेट प्रोजेक्ट की स्कीम शुरू हुई है उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि जो अधिकारी हैं वे सिर्फ अपने कागजात की खाना-पूरी कर देते हैं और कोई जिम्मेदारी वे नहीं लेते।

इसी प्रकार से, श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करूंगा ट्यूबवेल्स के बारे में ट्यूबवेल्स बड़ी अच्छी चीज है। हमारे यहां पूर्वी जिलों में विशेषतया ट्यूबवेल्स के जरिये ही काम होता है क्योंकि वहां नहरों से लाभ नहीं होता । पर इसके साथ साथ और भी कठिनाइयां उपस्थित होती हैं । कुएं पास के सूख जाते हैं

गरीब किसान अपने कुएं से काम नहीं ले पाता है। जो आप्रेटर्स हैं वे बड़ी मुसीबत की चीज बन गये हैं, बिना रिश्वत के पानी नहीं देते। इस तरह से श्रीमान् भ्रष्टाचार की नयी परम्परा कायम हो रही है। इन्हीं छोटे-मोटे अधिकारियों से जब हमें यह सब कार्य कार्यान्वित कराना है तो हम नहीं जानते कि हमें सफलता कहां तक मिलेगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो पुरानी भ्रष्टाचार समितियां बनाई गई थीं उनको खत्म करके नई प्रभावकारी समितियां बनाई जायं।

इसी तरह से हमने देखा कि जो गन्ने का विभाग है उसमें भी एक नये तरीके से काम शुरू हो गया है। उसमें यह होता है कि एक खेत में एक हजार मन बीज की जरूरत है लेकिन वह जो परमिट देते हैं वह उतने मन को नहीं होती है और जो लोग परमिट लेते हैं उनसे यह कहा जाता है कि भाई जब पैसा मिल जायगा तो हम आपको पैसा दे देंगे हमारे पास बीज इतना नहीं है। २० मन की परमिट मिली तो १५ मन दे दिया, ५ मन के लिये कह दिया कि पैसा दे देंगे। बाद में जो एक आना दो पैसा के हिसाब से कमीशन मिलता है उसका यह होता है कि जिलेके अधिकारी उस काश्तकार से मिलकर बांट लेते हैं। यह बात मेरे साथ भी हुई थी, मेरा यह अनुभव है। मैं कहता हूं यह बहुत बुरी बात है। सरकारी पैसा तो खाते में दिखला दिया जाता है और बतलाया जाता है कि इतना पैदा हो रहा है, लेकिन उतना होता नहीं। इस प्रकार से, श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जमींदारी विनाश के बारे में हमारे मित्रने जो कहा वह गलतफहमी की वजह से है। इससे गांव में किसानों को जो राहत मिली है वह हम सब जानते हैं। जमींदार पहली जुलाई के बाद सुस्त हो गये और अब वे समझ रहे हैं कि पहले जो वह अकर्मण्य हो कर किसानों का खून चूसते थे, जमींदारी विनाश के बाद उसका अन्त हो गया और उनके झूठे रोबदाब का भी अन्त हो गया।

श्रीमान्, एक सवाल हमारे सामने पैदा हो गया है। वह है लगान की वसूली का जिसको शायद सरकार ने पटवारियों के सुपुर्द किया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब तक पटवारियों की जगह तबादले की नहीं मानी जाती थी लेकिन अब आप उसके तबादले को अनिवार्य कर दें, नहीं तो एक तरह के जमींदार वे स्वयं बन जायेंगे क्योंकि वे स्वयं एक बड़ी और बलशाली संस्था हैं। सरकार जो उनको यह अलग से सुविधा और शक्ति दे रही है इसके देने से वे किसानों के लिये बड़ी तकलीफ की चीज बन जायेंगे। इसके लिये अवश्य कुछ न कुछ कार्यवाही की जाय।

श्रीमान्, इसी तरह से जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् चकबन्दियों का सवाल है। खेत इतने फैले हुये हैं कि काश्तकारों में काफी मुकदमें बाजियां होती रहती हैं और वे स्वयं निगरानी खेतों की नहीं कर पाते न काफी पानी दे पाते हैं। इस तरह से उनको बहुत परेशानियां होती हैं। अगर फिर से खेतों का रिडिस्ट्रीब्यूशन (पुनर्वितरण) हो जिसकी तरफ मेरे मित्र ने संकेत किया तो पूरे देश में इतनी जमीन नहीं होगी जिसका अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाय तो वे स्वयं खा-पीकर उसे बराबर कर दें। उसका नतीजा यह होगा कि शहरों की आबादी भूखों मर जायगी, इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। सारी जमीन ऐसे छोटे-छोटे हिस्सों में बंट जाती है जिनसे कोई लाभ नहीं है। जब कि हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने ३० एकड़ की बात को मान लिया है और जब आप यह चाहते हैं कि हमारे यहां मैकनाइज्ड फार्मिंग हो और बाजारों के अन्दर ज्यादा अन्न आवे तो तब इस तरह से झूठा नारा लगाकर देश की खाद्य की समस्या को आप संभाल नहीं सकते हैं। इसको आपको इसी दृष्टि से सोचना होगा कि सचमुच किस तरह से हमारा देश स्वावलम्बी बन सकता है और उन उपायों को आपको अपनाना है।

श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूंगा कि पंचायती अदालतें हमारे गांवों के अन्दर बनी हैं। जहां तक गांव सभा का काम है वह बड़ा अच्छा है लेकिन मैं नहीं जानता कि संसार में और भी कोई लोग चुनकर न्यायालय बनाते थे या नहीं। यह हमारा अपने ढंग का काम है

[श्री रामजी सहाय]

लेकिन इससे हमारे गांवों में बहुत दलबन्दी हो गयी है । मैंने स्वयं २० पंचायतों की जांच की लेकिन मैं कह सकता हूं कि मुझे दो सरपंच ही ईमानदार मिले। उसमें १८ ऐसे मिले कि किसी ने कुछ ले लिया और किसी ने कोई चीज ले ली । इसी तरह से छोटी-छोटी चीज ले लेते हैं । इस लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करे कि पंचायती अदलातें रहनी चाहिये या नहीं । मेरा अपना यह विचार है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये इन पंचायतों को गांवों से निकाल देना चाहियें । और किसी कमेटी ने यह सिफारिश भी की है कि उन्हें इस प्रकार से नहीं रहना चाहिये ।

इसी तरह से जब हमने देखा सड़कों के बारे में तो उसमें भी यही पाया कि सड़कों के लिये कोई स्कीम नहीं है और खास करके पूर्वी जिलों के लिये। एक सड़क का नाम लिया जाता है कि उसको पूरा किया जायगा। वह सड़क बिहार के एक मिनिस्टर के फार्म तक जाती है, लेकिन इससे हमारे जिले का कल्याण नहीं हो सकता। वहां पर कछार में अपार जन-संख्या घिरी हुई है। बाढ़ के समय में वहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं है। जो वहां पर मदद का कार्य हुआ है वह भी नष्टप्राय हो गया है और वहां पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

इस तरह से हमारे जिले का अभाव ग्रस्त क्षेत्र है और इसके बारेमें चारों तरफ चर्चा है लेकिन मुझे इसके बारे में दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर रिलीफ (सहायता) का काम तो दूर रहा टेस्ट वर्क भी आरम्भ नहीं किया गया। हमारे गांव के लोग भारी कष्ट में पड़े हुये हैं और उन क्षेत्रों की अवस्था दर्दनाक है। जहां पर धान की फसल होती थी वहां पर वह सब चौपट हो गयी है समझ में नहीं आता कि सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। मेरे ऊपर इस बजट को देखने से जो प्रभाव पड़ा है वह यही पड़ा है कि गरीब लोगों के ऊपर इस बजट से भार ज्यादा पड़ने वाला है क्योंकि बसों के बारे में किराया बढ़ाया गया है। हम उस बढ़ावे के औचित्य को स्वीकार नहीं कर सकते। सिंचित भूमि के बारे में भी कर बढ़ाया गया है। हमारे और मित्र अपने गहरे अध्ययन से अपना अमूल्य मत प्रकट करेंगे, कि वास्तव में यह समय नहीं था कि इस देश में यह कर बढ़ाया जाता। मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो इन तमाम चीजों को इस तरह से बढ़ाना नहीं चाहिये और इतने कर का बोझ नहीं लादना चाहिये। सरकार की जो अन्य योजनायें चल रही हैं और उनके लिये जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी गतिविध और काम के ढंग को देखने से मेरे ऊपर यही प्रभाव पड़ा है कि सरकार की नीति से सरकार की योजनाओं को पूरा करने वाले यह कर्मचारी सरकार की खुलेआम निन्दा करते हैं और सरकार को खुले आम कोसते हैं। जिस तरह से कर्मचारी आज हमारे राष्ट्रीय कामों में कार्य कर रहे हैं अगर उनकी यही नियत रही तो मुझे संदेह है कि जो सफलता हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह इनके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है।

इसी तरह से, श्रीमान् जी, अभी कुछ दिन पहले कुछ असकारी लोगों की नियुक्ति की गयी कि वे अपने जिलों में कांटों को देखें और उस समय यह चीज बहुत जरूरी थी। इस तरह से उन सरकारी इन्सपेक्टरों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण हो गया था जो रिश्वत लेते थे और कांटों का निरीक्षण नहीं करते थे। इसी तरह से यदि और विभागों में भी गैर-सरकारी ईमानदार लोगों की मदद ली जाय और उनकी बात का मूल आंका जाय और वे योग्य व्यक्ति जो रिपोर्ट दें परामर्श दें तो सरकार उनको अनिवार्य रूप से माने और उसको रद्दी की टोकरी में न डाल दे। यह जो हमारी पंचवर्षीय योजना है इसमें सरकारी नौकरों के बलबूते हमें सफलता नहीं मिल सकती और दूसरे देश के लोगों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है और उसकी सफलता के लिये सरकार को तमाम सुविधाएं प्रदान करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था।

श्री बाबू लाल मित्तल (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया उसको सरसरी नजर से देखने के बाद एक प्रसिद्ध चित्रकार की दशा याद आती है। जिसने बड़े परिश्रम से एक बड़ा सुन्दर चित्र तैयार किया। लोगों ने उसके उस चित्र की बड़ी प्रशंसा की। सारे चित्र की प्रशंसा की। फिर भी जब उस चित्रकार ने उस चित्र को लोगों के सामने रखा और उनसे कहा कि इस चित्र में जिन जिन सज्जनों को जहां-जहां जो जो दोष दिखायी दें वह वहां वहां निशान लगा दें। उसके बाद उस चित्र की यह दशा हुई कि मालूम होता था कि उस चित्र में सिवा दोषों के कोई गुण है ही नहीं। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री की भी वही दशा है। हर ओर से छोटी-छोटी शिकायतें हैं, बहुत से सवाल हैं, और हर सज्जन कह सकता है कि इस बजट में बहुत कमियां हैं, बहुत से सुधार की गुंजाइश है और वह सुधार इसमें हो जाने चाहिये। मैं भी इतना जरूर कहूंगा कि इसमें जितनी बातें रखी गई हैं उन में अभी सुधार की गुंजाइश है और अगर सुधार की गुंजाइश नहीं है तो इसको मनुष्य की चीज नहीं कहना चाहिये। हमको तो सारे चित्र को देखना है।

आज बहुत आसानी के साथ कहा गया है कि यह बजट हमारे सन् ४२ के वादे और शपथ के विपरीत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि सचमुच यह बात बिलकुल उल्टी ही है। जैसा कि बतलाया गया है हमारी प्रतिज्ञा यह थी कि हम शक्ति को किसानों के, जनता के और मजदूरों के हाथ में देंगे। जो बातें बजट में आंकड़े देकर बतलाये गयी हैं कि वह किसानों के हित में हैं और मजदूरों के हित में हैं उन्हीं के उल्टे अर्थ लगाई जाने की कोशिश की गई है। यहां तक कहा जाता है कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट से क्या फायदा हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि दुख की बात है कि आज विरोधी दल के नेता भी वही बात कहते हैं कि जो पहले जमींदार कहते थे और इसको चाहे आप सौभाग्य की बात कहिये या दुर्भाग्य की बात कहिये कि जमींदारों ने कभी इतना विरोध नहीं किया जितना कि विरोधी दल के नेता आज करते हैं। जमींदारों की ओर से कहीं कहीं पर्चे बांटे गये थे कि किसान लोग १ जुलाई की मीटिंगों में न जाय और उनके वहां जाने से उनका कोई हित नहीं है और जमींदारी उन्मूलन से किसानों का हित नहीं है। वही बात आज यहां कही जा रही है।

अन्न उपजाओ योजना के बारे भी कहा जाता है कि इससे किसानों का हित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर किसानों का हित काहे में है? क्या केवल बातें करने में ही किसानों का हित है? आज जमींदारी उन्मूलन भी बेजा है और सारी चीजें कागजी हैं तो फिर ठीक क्या है और क्या होना चाहिये? हमारा जो २५–३० वर्ष पहले रवैया था वह आज न होना चाहिये। आज जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है वह निस्संदेह किसान का, मजदूर का और गरीब का बजट है। उसमें कमियां जरूर हैं और जो बात तय हो उसे कार्यरूप में परिणत करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। विरोधी दल के नेता और हम सब जिस पवित्र भावना को लेकर यहां आये हैं, यदि हम सब उसी से काम करेंगे तो हमें अवश्य सफलता होगी।

जहां तक कमियों का सवाल है दो चार मोटी मोटी बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जहां ग्राम-उद्योग और खादी का सवाल है वहां मैं कहना चाहूंगा कि हमने शुरू से अब तक खादी की बात तो की, परन्तु देखने में आता है कि अमल उतना नहीं हुआ। बड़े-बड़े सरक्यूलर निकले पर निरर्थक से ही साबित हुये। मुझे ४ या ३ हफ्ते पहले तक की एक बात मालूम है। ऐसे सरक्यूलर यहां से डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्डों को बहुत पहले गये थे कि खादी ही खरीदी जाय, लेकिन आज भी वे सरक्यूलर पड़े हुये हैं और मिल का कपड़ा लिया जाता है। उसका कारण स्पष्ट है कि हम लोग बात जरूर खादी की करते हैं लेकिन दिल में हमारे मिल के कपड़े के लिये प्रेम है। हमको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम तलाश करें तो हमको पता चल जायगा कि अनेक बड़े लोगों के दिलों में, अनेक साधारण कर्मचारियों के दिलों में, खादी के लिये लगन नहीं है। इसलिये जिन बातों के ऊपर हम जिन्दा हैं उन्हीं मूल आधार बातों को हमें नहीं भुलाना चाहिये।

[श्री बाबूलाल मित्तल]

इसी तरह परिवहन का सवाल है उसके बारे में यह बात तो दूसरी है कि किराया बढ़े या न बढ़े और यदि बढ़े तो कितना बढ़े। उसके बारे में उचित समय पर विचार किया जायगा। लेकिन जहां तक सिद्धांत की बात है उसके लिये आज भी दशा यह है कि जो आदमी दूर जाना चाहता है उसे तो गाड़ी की रवानगी के स्थान पर आसानी से टिकट मिल जाता है और वह चला जाता है। लेकिन जो विचारा गरीब किसान रास्ते में १०-५ मील जाना चाहता है उसे दोनों तरफ से बस भरी हुई मिलती है। उसकी इस दिक्कत को दूर करने का हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिये।

कानून और व्यवस्था का जहां तक संबंध है, बावजूद उन बातों के जो यहां समय समय पर कही गई हैं, सच बात तो यह है कि बहुतेरे ऐसे मुकद्दमे हैं जो महीनों तक पड़े रहते हैं और अब मुल्तवी, तब मुल्तवी, ऐसा ही होता रहता है। इससे लोग परेशान होते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

सेल्स टैक्स के बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाऊंगा कि साधारण श्रेणी के दूकानदारों और व्यापारियों को दो ही बातें सबसे बुरी लगती थीं, एक तो कन्ट्रोल और दूसरे सेल्स टैक्स। कंट्रोल के बारे जो कुछ सरकार ने किया और कर रही है उससे जनता बहुत खुश है। सेल्स टैक्स के बारे में इतनी शिकायत इस बारे में नहीं है कि सेल्स टैक्स लिया जाता है वह कम है या ज्यादा है जितनी उसके वसूल करने की तरीके के लिये है। एक एक चीज पर आठ आठ और दस दस बार सेल्स टैक्स लिया जाता है और लोगों में भ्रष्टाचार तथा बुराई बढ़ती है। व्यापारी वर्ग चाहता है और कुछ लोगों ने यह लिखा भी है यह शिकायत भी की है कि इस तरह से जो टैक्स लिया जाता है उस रकम को अगर कुछ बढ़ा भी दिया जाय तो उनको इतना बुरा नहीं मालूम पड़ेगा जितना वसूली का तरीका है। अतः इस टैक्स का जो तरीका है वह बदला जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के बारे में इस पर जरूर विचार किया जाय और जो यह तरीका चला आता है उसको बदल दिया जाय।

अभी विरोधी दल के नेता द्वारा बड़ी अजीब बात के ऊपर सवाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह राजनैतिक पीड़ित क्या चीज है। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी किसी बात पर भी मुझे इतना ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ जितना इस बात पर हुआ है कि राजनैतिक पीड़ित क्या चीज है। अध्यक्ष महोदय, दलीलों के लिये चाहे हम कुछ भी क्यों न कह दें यह हम सभी जानते हैं राजनैतिक पीड़ित वह चीज है वह जन्तु है जिसकी बदौलत हम आज अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं जिसकी बदौलत आज हम यहां पर खड़े हुये हैं। एक दिन की मुझे याद है जब कि एक सज्जन यहां बड़े जोर से बातें कर रहे थे और यह कह रहे थे कि हमारे देश के जो छोटे-मोटे रजवाड़े हैं उनकी क्या दशा होगी। उस वक्त मेरा दिल भर आया था और मुझे एक साथी की याद आ रही थी। वे अध्यक्ष महोदय के भी साथी रहे हैं और हम लोगों के भी साथी रहे हैं। वह मेरे भाई श्री सुमन जी थे। इस तरह के अनेक लोग हैं जिन्होंने त्याग किया, तपस्या की और निस्वार्थ भाव से की। उनमें से आज भी अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी दशा अच्छी नहीं है, चाहे हम भले ही बढ़-बढ़ कर बातें क्यों न करें। पिछली बार जब मैं वापिस जा रहा था तो टूंडले के स्टेशन पर मैंने व एक और सज्जन ने जो इस समय सरकारी बेंचों पर बैठे हुये हैं, देखा कि एक सज्जन बहुत फटे कपड़े पहन कर भीख मांग रहे थे। मैंने उनको बुलवाया वे नहीं आये। फिर कुली से कहा तब वह बुला कर लाया। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन वे तो आधे पागल थे। ३-४ मिनट के बाद वे वहीं बोले कि आपने सहायता नहीं दी। जब मैं उनकी उस दशा का ख्याल करता हूं तो आश्चर्य होता है कि हम लोग इनके बारे में यह जानना चाहें कि यह कौन लोग हैं। बहुत देर बाद जब थोड़ा सा होश-हवास आया तो उनको हम लोग शहर ले गये। उन्होंने सन् २० से लेकर सन्

सन् ४२ तक कई बार जेल की यात्रा की और अनेक आंदोलनों में भाग लिया । उन्होंने सहायता के लिये सरकार को भी दरख्वास्त दी लेकिन वे सहायता न पा सके जिसका नतीजा यह हुआ कि उनका दिमाग खराब हो गया और वे पागल हो गये । मालूम हुआ कि उन्होंने आगरा कैंट स्टेशन पर पहले दिन आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन आंधी आ गई और वे बचा लिये गये। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल है । १० दिन हुये एक बहन मेरे पास आई थीं जिनके पति ने देश की स्वाधीनता के आंदोलन में काफी मुसीबतें उठायीं और जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने दरख्वास्तें भी दीं लेकिन सरकारी मशीन तो हम जानते ही हैं कि कैसे चलती है । न जाने किस कानूनी शिकंजे में वह दरख्वास्त पड़ गयी और उन्हें अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला । हमें ऐसे लोगों को न भूलना चाहिये । मैं जानता हूं कि इस संबंध में सरकार ने काफी प्रयत्न किया है और उसके लिये उसे बुरा नहीं कहा जा सकता । लेकिन एक बात मैं माननीय विरोधी दल के नेता को और बता देना चाहता हूं कि ये वे जन्तु हैं जिनके सामने यह सवाल नहीं था कि सदन कब बनेगा और सदन में वे किस तरफ बैठेंगे, इस तरफ या उस तरफ उन्होंने तो निस्वार्थ भाव से ही अपने देश की सेवा की, मुसीबतें उठायीं उनके सामने किसी भी दल या राजनैतिक विचारों का सवाल नहीं था। मेरा निवेदन इस बात में यह है कि बावजूद सारी बातों के, जितना सरकार कर चुकी है, थोड़ी देर के लिये कायदे कानून स्थगित करके भी जो दरख्वास्तें ऐसी आवें, सरकार उनके बारे में जितनी जानकारी हासिल करना चाहे हासिल कर लें, लेकिन उनकी दरख्वास्तों को यह कह कर न टाल दिया जाय कि अब समय व्यतीत हो गया, या यह मियाद के बाहर है ।

मैं समझता हूं कि जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है इससे अच्छा बजट होना बहुत मुश्किल है । निस्संदेह जो कुछ हमारे बजट में है वह किसानों की भलाई के लिये है, मजदूरों की भलाई के लिये है, पूंजीपतियों की भलाई के लिये नहीं है । अगर पूंजीपतियों की भलाई के लिये कुछ होता तो भी मैं समझता हूं कि निस्संदेह वह गलत नहीं होता । जितनी बड़ी बड़ी योजनायें हैं, जो बड़े बड़े-बांध बनाने हैं, जो सिंचाई का काम होगा, वह सब किसानों के लिये ही होगा । जितने ट्यूववेल्स वगैरह बनेंगे आखिर उनसे कौन फायदा उठावेगा? मैं समझता हूं कि निस्संदेह यह गरीब किसानों की भलाई के लिये ही है, इसमें उन्हीं का कल्याण है । बावजूद सारी कमियों के पूरे बजट को अगर हम देखेंगे तो इसी नतीजे पर आयेंगे कि हमारे प्रदेश का बजट जैसा होना चाहिये वैसा ही यह बजट है । इसलिये मैं समझता हूं कि सारा सदन इसके लिये वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके जरिये इस सदन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें कि मैं ऐसे जिले से आया हूं जिस जिले के लोग कुछ ऐसे नहीं समझे जाते थे कि कांग्रेस पार्टी से उनको वहां से चुना जायगा । वह गोंडा जिला ही है जहां पर बाहर के तीन सदस्य वहां से चुने गये हैं । गोंडा में सिर्फ ११ सीट्स असेम्बली की हैं और उसके करीब बस्ती जिले में जहां १८ सीट्स हैं वहां से बाहर का एक आदमी चुना गया है । पार्लियामेंट के लिये भी सब आदमी बाहर के गोंडा से चुने गये हैं । इस सदन में ६ पार्टीज के लोग मौजूद हैं । इसके अलावा कुछ स्वतंत्र सदस्य लोग भी मौजूद हैं । छवों पार्टीज के बुद्धिमान लोगों ने मुझसे कहा कि आप पार्लियामेंट में चले जायं, में चले जायं । वह भी जबानी नहीं कहा बल्कि मेनेफेस्टो आदि भी निकाले वे मेरे पास मौजूद हैं । उनको मैं माननीय सदस्यों के सामने पेश करूंगा और जहां पर उन साहबों की चिट्ठियां रखी जाती हैं वहां पर रखवा दूंगा । बाबू जगदम्बिका प्रसाद जो वहां के लीडिंग क्रीमिनल लाइयर हैं, गोंडा से कांग्रेस के डमी-कंडीडेट दिखावटी अभ्यर्थी जो थे उनके भी उस पर दस्तखत हैं और ऐसे व्यक्तियों के हैं जो दूसरी पार्टियों के खास सदस्य हैं ।

अध्यक्ष---(श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा से) माननीय सदस्य कृपा कर बैठ जायं। एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री लीलाधर अष्ठाना (जिला उन्नाव)---प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बजट के किस हिस्से पर बोल रहे हैं।

अध्यक्ष---आप कृपया अपना भाषण जारी रखें। यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य मेरी बातों को ध्यान से सुनते, परन्तु उनको हमारी बातों को सुनने की भी कुछ क्षमता नहीं प्रतीत हुई।

अब मैं बहुत थोड़ी सी बातें आपके सामने पेश करूंगा। मैं तो कहूंगा कि बजट की बिस्मिल्ला ही गलत है। (हंसी)

मैं माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि इतना समय जो लोगों ने हंसने में लिया है वह मेरे समय में से न काटा जाय।

अध्यक्ष---यह प्रार्थना का समय कट जायगा। (हंसी)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---मैं थोड़े से आंकड़े १९४९-५० के माननीय वित्त मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के भाषण से जो २४ फरवरी १९५१ को दिया गया था और पृष्ठ २३०-२३१ और २३२ पर छपे हुये हैं दिखलाऊंगा। सन १९४९-५० का अंतिम शेष २ करोड़ ४६ लाख था और वही १९५०-५१ का ओपनिंग बैलेंस रहा। १९५०-५१ का अंतिम शेष ७, १४ लाख था वही १९५१-५२ का ओपनिंग बैलेंस रहा १९५०-५१ का अन्तिम शेष था ७,१४ लाख और यही ५१-५२ का आरम्भिक शेष रहा। यह जो मैं बता रहा हूं वह हमारे मौजूदा वित्त मंत्री के बजट भाषण के सफे ११ और १२ पर है और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के भाषण के सफा २३१ पर है। तो सन् १९५१-५२ का जो अन्तिम शेष था वह १,८६ लाख था तो जो मैंने कहा था कि बिस्मिल्लाह ही गलत है वह इसलिये कि ५२ और ५३ का ओपनिंग बैलेंस भी २२ लाख मिलाया गया है। इसमें यह कहा जा सकता है कि कुछ थोड़ी सी गल्ती हो सकती है लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि और जमाने में तो ३१ मार्च के अन्दर हो जाता था बजट। लेकिन इस दफे तो तीन महीने ज्यादा लगाये गये हैं। अप्रैल मई और जून तीन महीने पूरे के पूरे मिल गये। फिर यह गलती कैसे हुई। मेरे मुंह में ३२ दांत भी नहीं रह गये हैं मैं बुड्ढा हो गया और ज्यादा क्या एतराज करूं केवल इतना ही कह सकता हूं।

सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक लोन्स १९४९-५० में १० करोड़ मूल बजट में लिखा गया था परन्तु प्राप्ति कुछ नहीं हुई। लोगों ने इस वजह से कर्जा देना मुनासिब नहीं समझा जिसकी साख बाजार में है उसको ही कर्जा मिलता है गवर्नमेंट हो या कोई और। आपने ५०-५१ में ६ करोड़ रुपया रखा था मूल बजट में और मिला ८५ लाख। मिलने का कारण यह हुआ कि मूल में रकम शेष रखी गई थी ६१ लाख परन्तु आरम्भिक शेष दरअसल हुआ २ करोड़ ४६ लाख। इसलिए ८५ लाख का कर्जा मिल गया। अब ५१-५२ में आरम्भिक शेष में ६१ लाख मूल बजट में रखा गया था परन्तु दरअसल हुआ ७ करोड़ १४ लाख। इस लिये मूल बजट में आपने कर्जा की रकम रखी थी ४ करोड़ मगर मिल गया ६ करोड़ १८ लाख। आपकी साख उस समय बहुत अच्छी थी। आपका ओपनिंग बैलेंस उस वक्त ७ करोड़ १४ लाख था। लेकिन अब आपका ओपनिंग बैलेंस जैसा मैंने पहले कहा बिस्मिल्लाह ही गलत है २२ लाख रखा गया है और चाहा जाता है कि ११ करोड़ कर्जा मिलेगा। मेरी समझ में तो ४९-५० में में कर्जा आपको नहीं मिला और अब की भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी साख बाजार में कम है।

आप किसी मुल्क की बात देखिये हर कन्ट्री (देश) में सोशल सर्विसेज (सामाजिक) सेवाओं पर रुपया ज्यादा खर्च किया जाता है और सिक्योरिटी सर्विसेज (सुरक्षा सेवाओं) पर रुपया बहुत कम खर्च किया जाता है। और हमारे ही देश के और प्रान्त हैं। उनकी भी यही हालत है। आंकड़े सब मौजूद हैं परन्तु उनको पढ़ कर समय नष्ट करना नहीं चाहता। सिर्फ बजट का एक आंकड़ा रखूंगा। ग्रांट नम्बर १२—लेखा शीर्षक २५, कमिश्नर और ज़िला प्रशासन का व्यय—सन् १९५१-५२ ई० में वोटेड था २ करोड़ ५० लाख ७९ हजार ७ सौ। परन्तु अब ५२-५३ में है २ करोड़ ६१ लाख ४४ हजार। मेरी समझ में कम होना चाहिये। इसका भी कम होना चाहिये और पुलिस का भी कम होना चाहिये था, प्रान्तीय रक्षक दल का भी कम होना चाहिये। कम होने का कारण मैं यह समझता हूं कि पिछले साल एलेक्शन के सिलसिले में बहुत काफी इन्तजामात की जरूरत थी और जरूरी था कि ज्यादा पुलिस वाले रखे जायं, कलेक्टरी में ज्यादा अफसरान और मातहतान रखे जायं। प्रान्तीय रक्षक दल की भी रक्षा की जाय। मुमकिन है कि एलेक्शन में हम लोगों की मदद करते। मगर अब तो वह बात नहीं रही। अब तो यह सब बहुत कम हो जाना चाहिये। इसमें शक नहीं कि पुलिस में कुछ कमी की गयी है। ५१-५२ में वोटेड था ७ करोड़ ३० लाख और ५२-५३ में वोटेड है ७ करोड़ ११ लाख ४१ हजार। परन्तु मैं यह समझता हूं कि बहुत ज्यादा कमी हो सकती थी।

जो साहब कहीं भी बोलते हैं, सदन के भीतर या बाहर, मारैलिटी (नैतिकता) पर बहुत जोर देते हैं। अभी दो-चार दिन हुये इलाहाबाद में यूथ कान्फरेंस (युवक सम्मेलन) हुई। उसके सभापति का नाम लिखा था माननीय श्री मंगला प्रसाद जी। पता नहीं यही मंगला प्रसाद जी हैं या कोई दूसरे हैं। उसमें पुरुषोत्तम दास टण्डन जी भी बोले थे। उन्होंने भी यूथ कान्फ्रेंस में ज्यादा जोर इसी बात पर दिया था कि मारैलिटी और कैरेक्टर (चरित्र) बनना चाहिये। उसके अलावा हमारे जो महामान्य राज्यपाल थे, मोदी साहब वह अभी गये हैं। जून में बम्बई में उन्होंने भाषण दिया। उसमें उन्होंने भी बिजिनेसमैन से कहा कि भाई तुम में बड़ी खराबियां आगई हैं, बड़ी बेईमानियां आगयी हैं। तुम्हें मारैलिटी ऊंची करनी चाहिये। अभी हमारे ट्रेजरी बैंचेज के बैठने वाले दो माननीय सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारे महा मंत्री जी ने भी यहां २४ अगस्त, सन् १९५१ को जिक्र किया था कि अगर हमारी मारैलिटी ऊंची हो जाय तो ऐसी दिक्कतें न हों। मैं यह समझता हूं कि मारल ऊंचा करने के लिये कुछ पढ़ाने और सिखाने की भी जरूरत है। जैसे आप कोई चीज पढ़ाते हैं, साइंस है, अरिथमेटिक है, उसी तरह से मारल बिल्ड (चरित्र निर्माण) करने के लिये आप क्या पढ़ाते हैं? आप कह रहे हैं कि तुम गलत कह रहे हो। परन्तु मैं महात्मा गांधी जी की ही मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। वे रोज गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी १९ श्लोक पढ़ा करते थे। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने सवाल किया:—

"स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत् किम्॥"

तो उन्होंने जवाब दिया:—

"प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥

दुःखेष्वनुद्विगमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतारानभयक्रोधःस्थितधीर्मुनिरुच्यते॥" इत्यादि-इत्यादि

श्री विनोबा भावे जी ने जो गीता का प्रवचन किया उस का अभी हिन्दी अनुवाद हुआ है। हिन्दी तर्जुमा की भूमिका में विनोबा भावे जी ने यह लिखा है कि मेरे जीवन में जो कुछ सफलता

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

है वह गीता की बदौलत है। मुझको हर समय, हर काम में उससे बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि वाकई गीता मारल टीचिंग (नैतिक शिक्षा) के लिये है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं अपने काका, ताऊ, नाना इन सब को मार कर त्रिलोक का राज्य न लूंगा तो उन्हें कृष्ण भगवान ने उनकी ड्यूटी बतायी। ड्यूटी के लिये सात सौ श्लोकों का उपदेश है। इसलिये उन्होंने कहा :—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।"

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके मारेल टीचिंग की जरूरत है और उसको पनपाना चाहिये।

अब मैं कानून पर आता हूं। जमींदारी उन्मूलन होने की बहुत आवश्यकता थी। यह कहा गया है कि "पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान"। तो समय के लिहाज से जमींदारी तो जरूर जाती। यह भी कहा गया है कि "राज काज थोपा बाई, युग आधिन से चलि आई"। तो उसका जाना तो आवश्यक था। मगर किसानों का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था अगर सन् १९४६–४७ में किसानों को जिसको भूमिधरी हकूक कहते है, अण्डर प्रोप्राइटरी राइट उनको दे देते तो कानून ठीक बनता। मैं आपको ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री बतलाऊंगा सन् १८८४ में पहले अवध रेंट ऐक्ट पास हुआ। उसके बाद सन् १८८४ में काफी संशोधन हो करके वह ऐक्ट सन् १९२१, बल्कि कहना चाहिये कि ११ फरवरी, सन् १९२२ तक लागू था। उसके अनुसार काश्तकार को ७ साल का पट्टा मिलता था। वह जो संशोधन आया उसके हिसाब से किसान स्टैट्यूटरी टेनेंट हो गया और हीन हयाती राइट्स उसको मिल गये। जब तक वह जिन्दा रहे तब तक उसको और उसके मरने के बाद उसके वारिस को भी जमींदार या तालुकेदार ५ साल तक बेदखल नहीं कर सकता था। सन् १९३९ में उसका संशोधन हुआ और आगरा और अवध दोनों की टेनन्सी के लिये वह ऐक्ट बन गया और उसका असर यह हुआ कि स्टैट्यूटरी टेनसी के बजाय हेरेडेटरी टेनेन्सी हो गई। ओक्यूपेन्सी और एक्स-प्रोप्राइटरी टेनेंसी और उसमें सिर्फ लगान का फर्क रहा। अगर सन् १९४६–४७ में हमारे मंत्री महोदय यह कह देते कि काश्तकार को मुन्तकिल करने का अख्तियार दिया जाता है और ट्रांसफरेबिल राइट दे देते तो काश्तकार लोग बड़े खुश होते और उनको एक पाई भी नहीं देनी पड़ती। अब उसके बाद यह सवाल आता है कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) कहां से दिया जाता। तो सन् १९५१-५२ में जमींदारी विनाश हो जाता और वह तरीका अख्तियार नहीं करते जो जमींदारी उन्मूलन में बर्ता जाता है। किसानों से कह देते कि आधा लगान तुम्हारा हो जायगा। वह आधा का दस गुना जमा करते। अगर न जमा करते तो पूरा जमा कराया जाता तो आधे का आपको फायदा होता। जो बांड्स इश्यू करते वह उससे देते रहते। तो वह जो इतना अच्छा तरीका होता वह आपने नहीं अपनाया।

अभी इसी सदन में पिछली मर्तबा यह सुना कि हमारे सोशलिस्ट पार्टी की ओर से यह आपत्ति उठाई गयी कि मंत्री महोदय के पास जो वाहन और मोटर हैं वह उनके दोस्तों के काम में आती हैं, तो उनको जवाब दिया गया है कि अगर राजनारायण जी हमको खत लिखें कि हम पैदल गाड़ी से आ रहे हैं तो हम उनके मांगने के लिये कोई अपनी मोटर नहीं रखेंगे। मैं आपके द्वारा अपने माननीय सदस्य और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हर जिले में सन् १९४०-४१ से जबसे वार (युद्ध) शुरू हुई सरकारी गाड़ी मिली हुई है। जिला-धीश और सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस हमारे यहां मि० निगम और ठा० अवध नारायण सिंह हैं, वे अपनी अपनी

गाड़ी रखे हुये हैं और उन्हीं से सोशल फंकशंस और कलब में जाते हैं। उनके पहले भल्ला साहब और भाटिया साहब डिप्टी कमिश्नर और सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस थे, वे भी रखे हुये थे। अगर वे आपकी बात मानेंगे तो वे भी कहेंगे कि हमको अपनी गाड़ी रखने की क्या जरूरत है। जब सरकार ही ऐसा आदर्श रखती है तो वे भी उसी पर चलेंगे क्योंकि श्री कृष्ण जी ने बतलाया है,

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते।।

अर्थात् श्रेष्ठ लोग जैसा प्रमाण करते हैं जनता उसी पर चलती है। तो मैं यह बहुत ही नम्रतापूर्वक आपके द्वारा अपने माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे उदाहरण जनता के सामने हरगिज हरगिज न रखें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (ज़िला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह फर्ज है कि यह जो आय व्यय का लेखा यहां पेश हुआ है इसके लिये मन्त्रिमंडल को बधाई दूं। मैं उम्मीद करता था कि विरोधी दल के नेता की ओर से जब यहां आलोचना होगी तो कुछ ऐसे सुझाव पेश किये जायेंगे जिनसे इस बजट को उन्नति करने का मौका हो और हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आयें कि हम लोग भी उस बात पर गौर कर सकें कि उनके सुझावों में क्या बल है। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि सिवाय आलोचना के उनकी ओर से इस तरह का कोई सुझाव इस सदन के सामने उपस्थित नहीं किया गया।

अर्ज यह है कि जहां हमारा यह फर्ज है कि इस बजट पर बधाई दें वहां हमारा यह भी फर्ज है कि वित्त मंत्री जी को और मंत्रि मंडल को आप के द्वारा वे सुझाव दिये जांय जिन पर वे विचार कर सकें कि जो नकशा इस सदन और इस प्रान्त के सामने है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। आप के सामने जो बजट पेश हुआ है उसमें आमदनी दो प्रकार से दिखाई गयी है। एक तो आमदनी उन जरायों से है कि जो जरिये राज्य की सम्पत्ति के हैं, राज्य के व्यापार के हैं, और दूसरी आमदनी कर के जरिये से हैं जो जनता पर लगाये गये हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो हमारी सम्पत्ति है, जो हमारा व्यवसाय है, उसके जरिये से जो आमदनी होगी उससे अच्छी कोई दूसरी आमदनी नहीं हो सकती। उसमें किसी को शिकायत व शिकवा का मौका नहीं हो सकता। इसी लिये मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि सब से बड़ी कोशिश इस बात की की जानी चाहिये कि जो जरिये हमारी सम्पत्ति या व्यवसाय के हैं उनसे आमदनी बढ़ाई जाय। इस संबंध में आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो फारेस्ट से, बन से इस प्रान्त को आमदनी हो सकती है, आज उसकी स्थिति यह है कि आज हमारे प्रान्त में राज्य के बन ६७ लाख २० हजार एकड़ हैं और उनसे जो हमारी आमदनी है वह ३ करोड़ ५२ लाख ८८ हजार रुपया होती है और हम खर्चा भी उन पर १ करोड़, ३१ लाख २४ हजार २०० रुपया करते हैं। इस प्रकार २ करोड़ ३१ लाख ६३ हजार ८०० रुपया हमारी आमदनी है अगर खर्चे को एक तरफ आप रख दें। खर्चे को भी उसमें आप मिला दें तो आप की आमदनी फी एकड़ ३ रुपया ७ आना ६ पाई होती है। अगर आप खर्चे को शुमार न करें तो कुल आमदनी आप की ५ रुपया एकड़ होती है।

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि हमारी समझ में यह आमदनी कम है और जो ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) की हमारी योजना है उससे अधिक हमको ग्रो मोर ट्रीज, ग्रो मोर ग्रास, ग्रो मोर प्रोड्यूस पर ध्यान देना चाहिये। आज हम वहां से तारपीन का तेल निकालते हैं, जलाने वाली लकड़ी निकालते हैं, फर्नीचर वाली लकड़ी निकालते हैं, इसलिये हमें इस प्रोड्यूस की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। प्रश्न यह है कि आज जो आप के यहां कोआर्डिनेशन है वह आपके केन्द्र में यहां सेक्रेरियट में भले ही हो, लेकिन ज़िलों में बन का विभाग अपने आप आजाद है चीफ़ कनजरवेटर के मातहत। इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने दो सुझाव दूंगा। एक तो यह है कि टेकनिकल मामलात में जहां सलाह देने की बात हो वह चीफ़

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

कनजरवेटर के मातहत रहे और जहां आमदनी और खर्चे का सवाल हो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत रहे। इस के मुताल्लिक मैं आगे चलकर और इसी तरह के सुझाव दूंगा कि जो भी आमदनी और खर्च के मामले हों, वे तमाम जिलों में कोआर्डिनेशन (सहयोग) करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी पर रहें। दूसरा सुझाव मैं आपको यह दूंगा कि जो आज बन्द हैं और जिनकी लकड़ी आप बेचते हैं इसको आप बन्द करें। यदि आप इनकी सम्पत्ति को ढके पर बेचें तो एक साल के अन्दर आप देखेंगे कि आपकी आमदनी बढ़ जायगी। इन वनों को रखवाली करने से इस तरह का होगी जिससे चारे की समस्या सुलझेगी और जो गिरी पड़ी लकड़ी उठ जाती है वह बचेगी। इससे फ़ायदा यह होगा कि आज जो गोबर का इस्तेमाल ईंधन में होता है वह बन्द हो कर खाद के काम में आयेगा जिससे खेती की उपज बढ़ेगी।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान जेल की ओर दिलाना चाहता हूं। इस साल हमारी जेलों की आमदनी ढाई लाख कुछ रुपये है। पिछले वर्ष यह आमदनी १५ लाख कुछ रुपये थी और हम तकरीबन जेलों पर १,१३,००,८०७ रुपये खर्च करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहां पर सम्पत्ति बड़ी कीमती है वहां पर श्रम भी बड़ा क़ीमती है और हमने एक बार नहीं बारहा इस बात को कहा है कि हमारी गांव पंचायतें श्रम के द्वारा बड़ा भारी काम कर सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जेलों में जो क़ैदी हैं हम उनके श्रम के द्वारा जेलों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर राज्य की कुछ जेलों में फैक्ट्रियां क़ायम करें तो हम बहुत आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कला कौशल की शिक्षा भी इन आदमियों को दें और उनको बजाय जबर्दस्ती जेलों में बन्द करने के, यह नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से चली आ रही है, उनको सुधार का रास्ता दिखायें ताकि वे बाहर आकर एक अच्छे नागरिक बन सकें।

इसके बाद मैं आपका ध्यान कर की ओर दिलाऊंगा। कर भी आपके सामने तीन तरह के हैं। एक तो उपयोग कर हैं जो आपके राज्य की चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से आप उनसे लेते हैं जिससे राज्य की सम्पत्ति बढ़े जैसे मालगुजारी, शिक्षा फ़ीस, रजिस्ट्रेशन स्टेम्प वगैरह वगैरह। इसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। एक प्रतिबन्धक कर होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको राज्य नहीं चाहता कि वे चलें, जैसे आबकारी, बेटिंग टैक्स, मनोरंजन कर। लेकिन एक तीसरा कर है और वह ऐसा है जिसमें अगर हम दूरअन्देशी से काम न लें तो हानि हो सकती है और सही तरीके से लगायें तो लाभ भी हो सकता है। वह आय-कर है जो हम इसलिये लगाते हैं कि राज्य की आमदनी बढ़े और जिसे राज्य के आदमियों पर व्यक्तिगत टैक्स हम लगाते हैं। ऐग्रीकल्चर टैक्स, सेल्स टैक्स, जहां तक इन टैक्सों का ताल्लुक है, इसके दो आधार होने चाहिये। पहला आधार यह है कि ऐसा कोई कर न लगाया जाय जिससे किसी भी तरह किसी कर की न हो जिससे जनता की उत्पादन शक्ति न्यून हो। दूसरा सुझाव मैं यह देता हूं कि आधार यह होना चाहिये कि किसी कर का बोझ उस देश के निवासियों पर अपनी अपनी हैसियत के अनुसार समान रूप से पड़े। जो बजट आया है उसके संबंध में मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि जो टैक्स इस वक्त बढ़ाये गये हैं जैसे कि सेल्स टैक्स जिसके लिये हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था, मैं निवेदन करूंगा कि आज की स्थिति विशेष स्थिति है। मौके बे मौके चार पांच महीने से एक अर्जीब रुलाव आया हुआ है। दुकानों का खर्चा कम किया जा रहा है, मुनीम निकाले जा रहे हैं क्योंकि उनको बिक्री नहीं हो रही है। इधर किसानों के लिये भी सामान है और बाजार में भी सामान है। इस स्थिति को आपको देखना होगा। आपके द्वारा मैं मंत्रि मंडल से निवेदन करूंगा कि पिछले बजट के समय यह चीज आई होती तो इसका रिसेप्शन (स्वागत) दूसरा ही होता। इस पर आप विचार करें और इन टैक्सों के लगाये जाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करें।

अब मैं आप से अर्ज करूंगा व्यय के संबंध में। मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो ख्वाब दिखाये हैं मैं उन ख्वाबों की तारीफ करता हूं। किसी न किसी सिद्धांत पर अगर हम चलेंगे, हमारा कोई एक लक्ष्य होगा और अगर हमारी सड़क स्थिर होगी तो हम भटकेंगे नहीं। हमारे मंत्रियों के चलने से ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब कि जनता आगे बढ़ेगी और जनता आगे उसी समय बढ़ेगी जब कि जनता में उत्साह होगा और जनता में उत्साह उसी समय होगा जबकि आप अपने मकसद से जनता को अपनी ओर खींच सकें। अब सवाल यह है कि आप कौन सा बड़ा लक्ष्य बतलाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। यह मुल्क या तो कम्युनिज्म की तरफ जायगा या फिर गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर जायगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि गांधी जी का रास्ता हमको मानना चाहिये। वही रास्ता मानना चाहिये जो हमारे मुख्य मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी के दिल में है जिन्होंने इस प्रांत में जब पंचायतों का श्रीगणेश किया तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जो गांधी जी का रास्ता था और साथ में विकेन्द्रित आर्थिक स्वावलंबन और सर्वोदय को भी स्वीकार किया। आज इसको हमारे राज्य ने कबूल किया है दूसरी जगह चाहे कबूल न किया गया हो। तो मजबूती के साथ कदम बढ़ाकर इसी रास्ते पर हमें विचार करना है। इसी कसौटी पर हमें सब चीजों को कसना है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण सर्वोदय और विकेन्द्रित आर्थिक स्वावलम्बन के सिद्धांतों के आधार पर बजट में कहां कहां बढ़ती और घटती की गुंजाइश है।

महात्मा गांधी जी का यह तरीका था कि वह छोटी सी बात कहते थे और उस बात के दो मतलब होने की गुंजाइश नहीं होती थी। सारे देश की जनता और सारा संसार उसको समझ सकता था। गांधी जी यह कहते थे कि "that Government is the best which governs the least" (वह सरकार सब से अच्छी सरकार है जो कम से कम शासन करती है)। यह गांधी जी का कार्डिनल प्वाइन्ट (मौलिक बात) था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी दृष्टिकोण पर आपको सोचना होगा। कल हम लोगों ने पंडित अमरनाथ झा का भाषण सुना। उन्होंने चीन के कम्यूनिस्ट का सुधार का तरीका बतलाया कि गलत लोगों को जान से मार दिया गया। एक तरीका तो यह हो सकता है और दूसरा तरीका वही हो सकता है जिस रास्ते पर कि हमने अपनी आजादी हासिल की है। मैं यही निवेदन करूंगा कि गांधी जी के रास्ते से देश को उठाया जाय। देश में एक मिशनरी स्प्रिट (सेवा भावना) पैदा की जाय और देश को उसके द्वारा आगे ले जाया जाय। मैं आप से दूसरे रास्ते के लिये जो हमारे नेता का रास्ता है उसी पर चलने के लिये कहूंगा। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चले तो हमारा सारा इतिहास भस्मीभूत हो जायगा। आज हम चौराहे पर खड़े हैं। आज बड़ी बड़ी समस्यायें हमारे सामने हैं। मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर विचार करें।

समय कम है लेकिन दो तीन प्वाइन्ट्स पर निवेदन करूंगा। शिक्षा को आपने बढ़ाया है। आप हम लोगों को पढ़ाये चले जा रहे हैं। बहुत स्कूल खोले ठीक है। हम देखते हैं कि साल में ७ लाख लड़के पास करते हैं। २५ हजार के लिये हमारे पास जगह है और पौने सात लाख बेकार रहते हैं और हमारे तमाम सिद्धांतों के विरुद्ध उन पौने सात लाख की एक फौज तैयार होती जा रही है। पढाने-लिखाने का स्टैंडर्ड लो (स्तर निम्न) हो गया है। आज हमें ५ करोड़ किसान चाहिये। हमारी आज कोई प्लांड ऐजूकेशन (संविधायित शिक्षा) नहीं है। मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारी एजूकेशन प्लान्ड होना चाहिये। इस राज्य के ६ करोड़ निवासी हैं। उसमें ५ करोड़ किसान होंगे, इतने हमारे मिल लेबर्स होंगे, इतने डिप्टी कलेक्टर, इतने क्लर्क, इतने फलां और इतने फलां होंगे, ऐसा नक्शा हमारी एजकेशन का होना चाहिये हमारे पहले के शिक्षा मंत्री ने जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीजियेट और यूनीवर्सिटी एजूकेशन की स्कीम बनाई थी। अब उनको वह ढांचा बदल देना चाहिये। जूनियर हाई स्कूल में दो बातों की शिक्षा देनी चाहिये। ५० परसेंट को एग्रिकल्चर में लिया जाय और बाकी आधे

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

जनरल सिटीजन बनें। माननीय मंत्री ने नैतिकता पर जोर दिया था। गांवों मे अच्छे सिटीजन (नागरिक) बनें ऐसा प्रबन्ध हमारी एजूकेशन में होना चाहिये जो अपने देश की बातों को जानते हों। आधा जोर इस बात पर दिया जाय। कुछ लड़के दफ्तर के बाबू बनें, कुछ सर्विसेज में जायं यह नहीं कि यूनीवर्सिटी में लड़के पढ़ते जायं और पास हो कर बेरोजगारी की टकसाल बढ़ाते जायं। जिस वक्त एजूकेशन की मद आयेगी उस वक्त दूसरे मे कहूंगा।

एक बात मुझे स्वास्थ्य के बारे में कहनी है। हमारा प्रिवेन्टिव स्वास्थ्य का नियम होना चाहिये। कानपुर के बारे में मैं अर्ज करता हूं। हमारे मुख्य मंत्री और कानपुर के कलेक्टर ने भाना सब मानते हैं कि संसार में कानपुर से अधिक टी० बी० से मृत्यु कहीं नहीं होती। १२ लाख आदमी वहां बसते हैं। सूबे का कौन कोना है जहां से कोई कानपुर नहीं जाता। वहां से हजारों आदमी टी० बी० के जर्म्स (कीटाणु) ले जाते हैं। किसी एक अस्पताल को खोल कर हम इसका इलाज नहीं कर सकते। जब हम एक आर्डिनेंस मेकिंग पावर (अध्यादेश बनाने की शक्ति) से इसका सेग्रिगेशन (पार्थक्य) करेंगे तभी इस समस्या को हम हल कर सकते हैं।

एक सवाल कंसोलिडेशन (चकबन्दी) का है। बहुत सी समस्यायें मंत्री मंडल ने हल कीं। जमींदारी एबालीशन और पंचायत राज्य की स्थापना की लेकिन हमने देखा कि सैकड़ों स्कीम अधूरी रह जाती हैं, उनको पूरा करना है तो कंसालिडेशन पर जोर देना चाहिये, ज्यादा तेजी से और आगे बढ़ियेगा तो मामला खराब होगा। आपके द्वारा मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो स्कीमें हैं उनको जरा एबेन्स (उपरोध) में रख कर कंसोलिडेट (संहत) करना चाहिये, एक्सटेंड (विस्तृत) न करना चाहिये।

श्री राधामोहन सिंह —माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बजट को पेश करने के लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। यह बधाई केवल शिष्टाचार के नाते नहीं, वास्तविक बधाई है। इस बजट के अन्दर कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसमें हमें अपनी सरकार के साथ ही माननीय मुख्य मंत्री को भी बधाई देना चाहिये।

पहली बात तो यह है कि मैं कई साल से असेम्बली में हूं और हमारे सामने कम से कम नौ दस बजट पास किये गये। मैं यह कह सकता हूं कि आज तक इतने बजट हमारे सामने पेश हुये लेकिन इतना संतोष किसी बजट में नहीं मिला जितना कि आज इस बजट में मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट जनता के मसलों को हल करने के लिये कटिबद्ध है यह इस बजट से साफ मालूम होता है और यह पहला प्रयास है। इस बजट में इस बात की सफाई दी गयी है कि पिछले ५ सालों के अन्दर गवर्नमेंट ने बड़े बड़े मसलों को हल करने के लिये इतनी दृढ़ता क्यों नहीं दिखाई और उससे क्यों असंतोष है। हम सब जानते हैं कि पिछले पांच सालों में बहुत सी ऐसी दिक्कतें और आकस्मिक कठिनाई और ऐसे मसले आये कि जिससे हमारी सरकार उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी और जनता के मसलों को हल करने के लिये बड़े कदमों को नहीं उठा सकी।

आज हमारे विरोधी दल के नेता यह कहते हैं कि इस बजट में जनता की वास्तविक हालत का दर्शन नहीं होता है। वह कहते हैं कि हमारे देश के अन्दर भुखमरी फैली हुई है। उनका कहना यह है कि हमारे देश के अन्दर डाके और चोरियां बहुत हो रही हैं। उन्होंने इन सब बातों की तरफ इशारा किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात क्यों है। इस बात को समझकर इस समस्या को हल करने के लिये हमारी सरकार ने प्रयास किया है। हमारी सरकार ने जब यह देखा कि चोरी क्यों है, डाके क्यों हैं, इस सब का कारण यहां की भुखमरी है। जब सरकार ने देखा कि हमारे यहां इस भुखमरी के कारण ये सब कठिनाइयां हैं तो उसने उस भुखमरी के मसले को हल करने का प्रयास इस बजट में किया है। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मुझे यह मानना पड़ा कि उन्होंने बजट को अच्छी तरह से नहीं देखा है और उसको समझने की कोशिश नहीं की है। वास्तव में बात यह है कि अगर इस बजट में कोई चीज है तो वह यह है कि

भुखमरी के प्रश्न को हल करने की कोशिश की गयी है। जब हमने देखा कि हम अमेरिका के गेहूं और आस्ट्रेलिया की मक्का से अपने यहां लोगों का पेट नहीं भर सकते हैं और अपने यहां के आदमियों का पेट भरना है तो उसके लिये फावड़ा उठाना पड़ेगा और पानी का इन्तजाम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम अपने यहां के लोगों को अन्न नहीं दे सकते हैं। यह बात इस बजट में साफ दिखाई पड़ती है। आज की हालत में देश में जो अच्छे से अच्छा बजट हो सकता है वह यह बजट है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिये सरकार को धन्यबाद देता हूं।

दूसरी बात जो देखने में आई वह यह है कि जब हमने देखा कि जनता के इन मसलों को हल करना है तो उसके लिये रुपये की आवश्यकता होगी और उसके लिये टैक्स लिया जाय या नहीं। इस पर भी गौर किया। आज यह बालिग़ मताधिकार की चुनी हुई पहली सरकार है और इस सरकार ने जनता के मसलों को हल करने के लिये यह कदम उठाया है और जो यह कदम उठाया है वह इस बजट में दिखाई पड़ता है। यह हो सकता है कि इससे कोई नाखुश भी हो लेकिन इसकी सरकार ने कोई परवाह नहीं की क्योंकि उसको जनता के मसलों को हल करना है। जब टैक्स के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया जहां से मसलों को हल करने के लिये रुपया आवे तब टैक्स का लगाना तय किया। यह भी कहा गया कि इस टैक्स के लगाने से सब के ऊपर भार पड़ेगा। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि जनता के मसलों को हल करने के लिये जितने टैक्स भी हम बरदाश्त करें उतने ही बरदाश्त करना चाहिये। मुझे आशा है कि जो भी प्रपोजल (प्रस्थापना) इस तरह के आयेंगे कि जिनसे हमको रुपया प्राप्त हो सके तो उसके लिये हमको अपनी मंजूरी देनी चाहिये। जो गरीब आदमी हैं उनके ऊपर इसका अधिक भार नहीं लगेगा। जो अमीर आदमी हैं उनसे पैसा लेने का ध्यान दिया गया है। इसके अन्दर डिकंट्रोल (विनियंत्रण) का भी जिकर किया गया है जो कि बैंक बोन आफ मासेज (जनता का अवलम्बन) है। हमने इस मसले को एकदम से नहीं लिया कि हम बाजार से कंट्रोल हटादें और फिर खाद्य पदार्थों के भाव एकदम से बढ़ जायं और फिर उसको जारी करें। यह बहुत गलत क़दम होता और इसलिये मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने डिकंट्रोल की पालिसी को अपनाया है।

दूसरी बात जमींदारी एबालीशन की है। हमको जमींदारी खत्म करने की इतनी प्रसन्नता नहीं है जितनी इस बात से है कि जमींदारी के खत्म होने के बाद नये-नये काम यहां होंगे और होने वाले हैं और जिनको हम सहकारिता के सिद्धांत से पूरा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जमींदारी खत्म होने के बाद ही किसान में जागृति आ सकती थी इसलिये मैं इस जमींदारी उन्मूलन पर भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

इसके बाद बिरोधी दल की तरफ से कहा गया कि मजदूरी बढ़नी चाहिये। हम चाहते हैं कि मजदूरों के प्रश्न पर बहुत ठंडे दिल से विचार होना चाहिये। आज इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) का जमाना है। अगर हम मजदूरों की हालत सुधारने के लिये उनकी मजदूरी बढाते हैं तो उससे मुद्रस्फीति और बढती है। इसलिये सरकार को इस बात को भी देखना चाहिये। इसका तरीका यही है कि हम कास्ट आफ़ लिविंग (जीवन साधक व्यय) को कम करें और कीमतों को नीचे लावें ताकि मजदूरों को असली राहत मिले और उनका फ़ायदा हो। मजदूरी बढ़ने से जो चीज पैदा होती है उससे क़ीमतें और बढ़ेंगी और ऐसा प्रयत्न व्यर्थ ही होगा। इस तरह से किसान और मजदूरों के सामान की क़ीमतें जो बढ़ेंगी उसमें ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वही चीजों का उपयोग करने वाले भी हैं। हमें इन तमाम बातों पर ठंढे दिल से विचार करना चाहिये और हम को सामूहिक रूप से किसान और मजदूर सब के हित को ध्यान में रख कर काम करना चाहिये। अगर हम मजदूरी न बढ़ाकर आज के कास्ट आफ़ लिविंग को कम करें तो हम मजदूर को काफ़ी राहत दे सकते हैं। इस बजट में काफ़ी सबूत इस बात का है कि सरकार की ओर से क़ीमतों को कम करने का बहुत प्रयास हुआ है और आशा है कि आगे बढ़ती हुई क़ीमतें रुकेंगी और घटेंगी।

[श्री राधामोहन सिंह]

इसके बाद सरकार का ध्यान दो एक शब्द कह कर पूर्वी जिलों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मैंने इस बजट में इस बात को देखने की कोशिश की कि सरकार ने पूर्वी जिलों के लिये क्या किया है। आज से ३ वर्ष पहले इसी भवन में सरकार ने यह बात मानी थी कि हमारे पूर्व के जिले पिछड़े हुये हैं और उस वक्त सरकार ने क़बूल किया था कि अब वह समय आ गया है अब हम इन पूर्वी जिलों की अधिक उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम ने समझा था कि इन बातों के बाद इस बजट में हम कुछ नई चीज देखेंगे। पहले भी एक हजार कुओं की स्कीम सन् ५० मे थी और जिसके लिये हमने कृतज्ञता प्रकट की सरकार के प्रति और अब फिर एक हजार कुंए बनाने की बात है जिन में ४०० ट्यूब वेल गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के जिलों में, और ३०० आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के जिलों में और ३०० फैजाबाद और सुलतानपुर के जिलों में बनाये जायेंगे। केवल यही देखने को मिलता है और इस तरह से १००० कुएं पूर्वी जिलो में बनाये जाने को हैं। सरकार को मैं इस बात के लिये आगाह करना चाहता हूं कि इन पूर्वी जिलों की हालत पिछड़ी हुई समझने के बाद भी काफ़ी ध्यान उन की तरफ नहीं दिया गया है और बजट में पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गई है। सरकार को पूर्वी जिलों की उपेक्षा की बात सामने रखनी चाहिये थी। मैं एक बार सिंचाई मंत्री जी के दफ्तर में गया वहां पर एक नक़शा उत्तर प्रदेश का टंगा हुआ था जिसमें इस विशाल प्रदेश के विभिन्न सिंचाई के साधन दिखाये गये थे। मैंने देखा कि उसमें पश्चिम के जिलों की तरफ तो तमाम नक़शा रंगा पड़ा था लेकिन ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई शेर कुछ रंगी चीज ओढ़े पड़ा है और उस के सर व पैर उघड़े हैं। पूर्वी जिलों की तरफ नक़शा साफ था। मेरा मतलब यह है कि वहां सिंचाई के साधन बहुत ही कम दिखाये गये थे। इसलिये हम चाहते हैं कि पूर्वी जिलों की यह उपेक्षा जल्द से जल्द दूर होनी चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि उधर के लोगों को भी उठाना है और उनके जीवन स्तर को नीचे नहीं गिरने देना है तो आप को पूर्वी जिलों के लिये एक विशेष कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप वहां के क्षेत्रों में जाकर देखें कि वहां के लोगों की क्या आवश्यकतायें हैं। जो भी साधन हमारे यहां हो सकते हैं उनकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिये और जो कुछ भी हो सके वह करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार को बधाई देना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि जो शब्द मैंने कहे हैं पूर्वी जिलों के बारे में उनकी ओर ध्यान दिया जायगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री निहालुद्दीन (जिला बदायूं)--हुजूरवाला, इस सदन का दस्तूर यह है कि जब बजट पेश किया जाय तो पहले मुबारकबाद दी जाती है वजीरे माल को फिर उसके बाद शिकायत व शिकवे किये जाते हैं उस सबके मुताल्लिक़ कि जो जो होना चाहिये था और नहीं हुआ। आज की तक़रीरों में और खास कर उन तकरीरों में जो गवर्नमेंट बैंचेज की तरफ से हुईं, पहले उससे वह कुछ हटे लेकिन बाद में उन्होंने पहले मुबारकबाद दी और फिर अपने शिकायत और शिकवे सामने रखे। मैं पुराने रिवाजों का पाबन्द हूं। उन्हें कायम रखूंगा। मैं खूबियों को देखूंगा और कमियों पर भी निगाह करुंगा। हमारे मौजूदा वजीरे माल का यह पहला बजट है। मैं अर्ज करूंगा कि उन तमाम हालात में, उन तमाम वाक़यात के मातहत, जिनमें कि उन्होंने बजट को बनाया, वह यक़ीनन क़ाबिले मुबारकबाद है। दस्तूर यह है, क़वायद ये हैं कि हर मुहक्मे से मांगें अक्टूबर में आती हैं। वे वजीरे माल के पास पहुंचती हैं और असेम्बली के क़वायद के मुताबिक़ हाउस की फाइनेंस कमेटी के सामने पेश की जाती हैं। अबकी बार कैबीनेट में किन वजूह पर नया तरीका अख्तियार किया गया कि अपनी जरूरियात को नैनीताल में बैठ कर बनाया और कोई मौका इस भवन की फ़ाइनेंस कमेटी को नहीं मिला कि वह नये और पुराने खर्च की मदों को देख सकती। मैं समझता हूं कि अगर मुनासिब वक्त तक वजीरे माल को सब मांगें पहुंच जातीं तो फ़ाइनेंस कमेटी के सामने वे आतीं। तब उन्हें वे आसानियां हासिल

होती मुश्तर्का ग़ौर करने की जिसे कलेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। बहरहाल, बजट बना और हमारे सामने आया इसके लिये फ़ाइनेंस मिनिस्टर क़ाबिले मुबारकबाद हैं।

दूसरा पहलू जो बजट का है वह यह है कि बजट हमारे उन इरादों का, उम्मीदों का और आइडियाज़ (विचारों) का आईना है जो कि किसी कौम, मुल्क या सूबे के हों। जनाबे सदर, अगर इस नुक्ते निगाह से बजट को देखा जाय तो यह एक निहायत मायूसकुन दस्तावेज़ है। अखराजात का आलम यह है कि ६५ करोड़ पर पहुंच गये हैं और आमदनी की हालत यह है कि ६० करोड़ की हमारी आमद है। बजट का तवाजुन उस तरीके से किया गया है जैसे कि हमारे पुराने रईस लोग किया करते थे। जहां तक उन्हें कर्ज़ा मिलता था उससे अपना पूर किया और जहां बचे हुये सरमाये से पूर किया जा सकता था उससे पूर किया। जनाबवाला अगर आप बजट को मुलाहिज़ा फरमायेंगे तो मालूम होगा कि जितना हो सका बराबर रिजर्व से खाया गया, और आइन्दा जेब के ऊपर निगाह है। आमदनी बढ़ाने के लिये नये टैक्सेज़ लगाये जायेंगे किस तरह और कैसे यह तो आपने सुना। लेकिन मुआविजे में इन सब के जो दिया गया वह क्या है? वही पुरानी लकीर, वही पुराना राग, वही पुरानी गुफ्तगू जो हम बजट में हमेशा पाया करते हैं। मैंने कोशिश की है बजट के अखराजात के परसेंटेज कायम करने की। जनरल एडनिमिस्ट्रेशन पर ९.७५ खर्चा किया गया है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं हुई और जिस तरीके से पुराना इन्तजाम होता था वही अब भी कायम है। कमेटी मुकर्रर की गई उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने है। जब आनरेबिल प्रीमियर अपोज़ीशन की इन बेंचेज़ पर बैठा करते थे तो हमेशा हम सैपरेशन आफ जुडीशियरी और इक्जीक्यूटिव (न्याय-पालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य) की बात सुना करते थे। इस मुल्क में धूम मची थी कि इनका सैपरेशन होने जा रहा है उसके मुताल्लिक़ गोविन्द वल्लभ पंत ने तकरीर की, चिन्तामणि ने तक़रीर की। जब हम लोग अपने रूम में बैठते थे तो उनकी स्पीचेज़ के कोटेशन्स (उद्धरण) सुनाया करते थे। लेकिन आजतक उनका सैपरेशन (पार्थक्य) नहीं हुआ।

हाई कोर्ट के अमलगेशन (एकीकरण) में बड़ी धूम थी और बड़ी खुशी हुई कि इलाहाबाद में अवध अमलगेमेट हो गया। मगर सहारनपुर के पहिले मुकद्दमे अभी तक इलाहाबाद ही जाते हैं और बीच में लखनऊ पड़ता है और यह नहीं हो पाया कि रुहेलखंड और सहारनपुर इस ज़हमत से बच जांय और लखनऊ में ही उनके मामलात तय हो जांय।

तकर्रुरी की गई जुडीशियल आफीसर्स की लेकिन आज तक यह न मालूम हुआ कि वे कल बरखास्त किये जा रहे हैं या कब। बजट भी पढ़ा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। ३०० रुपया महीना उस मैजिस्ट्रेट को मिलता है जिसको २ बर्ष की कैद की सज़ा देने के अख्तियार दिये गये हैं और जिसको यह नहीं मालूम कि आज या कल उसकी मुलाज़िमत भी रहेगी या नहीं। यह तो ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) की हालत है।

जेल और कनविक्ट्स सैटिलमैंट्स (बन्दी बस्तियों) पर १.७ पर्सेन्ट खर्च किया जाता है जिस पर कुल खर्चा १,१३,०८,७०० रुपया है; आज से पहिले जेलों को समझा जाता था कि वे अखलाकी दुरुस्त की जगहें हैं लेकिन आज आप देखिये कि जितनी भी पैनोलोजी (दंडविज्ञान) की तक़रीरें हुई क्या उनमें से किसी पर अमल हो रहा है? हमें तस्वीर तो दिखाई जाती है कि काम हो रहा है मगर आज तक कोई तब्दीली नहीं पाई जाती।

पुलिस पर कुल आमदनी का १०.९ पर्सेन्ट खर्च हो रहा है। इसके मुताल्लिक़ मैं यह अर्ज़ करूंगा कि पुलिस के आफिसर्स से यह तवक्को की जाती है कि वे इमानदारी और दयानतदारी बर्तें मगर साथ ही आप देखें कि एक स्टेशन आफीसर को तनख्वाह क्या दी जाती है। जिस शख्स के अख्तियारात इतने वसीअ हैं कि वह बड़े से बड़े आदमी को हिरासत में ले सकता है उसको सिर्फ १२५ रुपया तनख्वाह का दिया जाता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह ईमानदारी और दयानतदारी बर्तें। मुझे अफसोस है कि आज तक पुलिस आफिसर्स की तनख्वाह में और खिदमत में कभी भी तनासुब नहीं कायम किया जा सका।

[श्री निहालुद्दीन]

साइंटिफिक डिपार्टमेंट (विज्ञान विभाग) कागज पर एक महकमा दिखलाया गया है। कुल आमदनी का ·०२ इसके ऊपर सरफा है। १ लाख ३१ हजार इसके ऊपर सर्फ किया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सांइंटिफिक डिपार्टमेंट या रिसर्च डिपार्टमेंट के ऊपर जो यकीनन सूबे की और मर्कज की मुश्तर्का जिम्मेदारी है उसके ऊपर १ लाख ३१ हजार खर्च करने की क्या जरूरत मालूम होती है सिवा इसके कि बजट में एक मद बढ़ा दी जाय कि साइंटिफिक डिपार्टमेंट का भी एक मद हमने खोला है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि हम सब को मालूम है कि हम ६० करोड़ रुपया मर्कज को दे रहे हैं तो क्यों न हमारी मुनासिब मांग हो कि साइंटिफिक डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट जो हैं वह मर्कज के रुपये से चलें और हम अपने ऊपर यह जिम्मेदारी न लें।

तालीम के मुताल्लिक मेरे एक दोस्त जो मुझ से पहले गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने बहुत सख्त तक़रीर की। मुझे अफसोस है कि मैं उनका हमख़याल नहीं हूं। हरिजन पालिसी जो गवर्नमेंट की जानिब से अख्तियार की जा रही है उसकी मैं ताईद करता हूं। तालीम के मुताल्लिक़ यह हाल है कि हजारों-लाखों की तादाद में सनदें ले कर लड़के आ रहे हैं लेकिन आज बेरोजगारी का यह आलम है कि तालीम के बाद उनको कोई ऐसी चीज नहीं आती कि वे अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। मुझे खबर मिली है कि आपके यहां जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसमें करीब ४०० लड़के दाखिले के तलबगार हैं लेकिन वहां सिर्फ ३० ही जगहें हैं। तो आपको कम से कम इसका तो इन्तजाम करना ही चाहिये जिससे वे लड़के तालीम तो पा सकें। आप काफी टेक्निकल इन्स्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस खोलने की कोशिश करें जिसमें ज़ायद लड़के वहां पर तालीम पा सकें। बजाय इसके कि इंटरमीजियेट और सेकेंडरी स्कूलों पर कसीर सफी किया जाया टेकनिकल इरादों पर ही ज़ायद सर्फ करना चाहिये। एक सवाल मैं इसी सिलसिले में और बतला दूं कि मुल्क की आइन्दा बहबूदी व खुशहाली इस पर मुनहसर नहीं है कि आपके यहां कितने तालीमयाफ्ता नौजवान हैं बल्कि इस पर है कि एक यहां कितने टेक्निकल टेकनीशियंस मौजूद हैं। बजट को देखने से मालूम होता है कि आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम पर २० करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। यह बात दूसरी है कि इसको हम इस साल न करें, दूसरे साल करें, यह गवर्नमेंट न कर सकेगी तो दूसरी जो गवर्नमेंट आयेगी वह करेगी मगर दरिया का जो बहाव है उसे छोड़ा नहीं जा सकता है और उससे यकीनन बिजली पैदा होगी। लेकिन जब बिजली पैदा होगी तब काफी तादाद में ट्रेंड (प्रशिक्षित) एलेक्ट्रिसिटी टेकनीशियंश (विशेषज्ञों) की जरूरत होगी। मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कि मेरे दोस्त जिन्होंने बजट का मुताला किया है क्या वे बतला सकते हैं कि कितने टेक्निकल एलेक्ट्रिशियन इस बीच में तैयार हो जायंगे। जब लाखों किलोवाट बिजली पैदा होगी तो उसको इस्तेमाल में किस तरह से ला सकेंगे?

मेरे एक लायक दोस्त ने फ़रमाया कि यह बजट गरीब किसानों का बजट है। लेकिन मैं उनके खिलाफ राय रखता हूं। इस मौके पर मेरे नजदीक एक ऐसे दिवालिये रईश जादे का बजट है जिसको यह मालूम ही नहीं है कि जो मैं रुपया सर्फ कर रहा हूं, किस तरह से सर्फ करा रहा हूं, मुझे क्या मुआविजा मिलेगा और क्या मुनाफा होगा। मालूम ऐसा होता है कि जिस वक्त बजट बनाया गया वह बजट ऐसी जगह बना जहां पर कि बजरा मौजूद थे और उस समय जिस वजीर ने सबसे जायद बात की उसको तो जायद मिल गया और हमारे ठाकुर हुकुम सिंह जैसे वजीर जो चुपके से बैठे रहे उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह सब बेकार पड़ी हुई हैं। यह बजट की हालत है। यह गरीब का बजट नहीं है, यह एक बेखबर लाइल्म रईसजादे का बजट है।

बहुत कुछ कहा गया जमींदारों के मुताल्लिक़। चिराग जलाये गये, खुशियां मनाई गईं लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को और पब्लिक को भी। हम यह कहते हैं कि जमींदारी खत्म हुई। न जमींदारी खत्म हुई और न कोई तब्दीली देश में

इससे हुई। जमीन के बजाय सिर्फ हिन्दी के भूमि के लफ्ज को रख दिया गया है और जमींदार के बजाय एक नया तबका भूमिधर का पैदा कर दिया गया है। अब उसके जो इक्तसादी नतायज पैदा हुये उस पर इस मौजूदा बजट में कोई ख्याल नहीं किया गया। २० लाख आदमियों का नाम जरूर खेवट से कट गया लेकिन २० लाख आदमी और हर एक के ५ मुताल्लिकीन यानी १ करोड़ आदमी जो बेरोजगार हो गये उनके मुताल्लिक़ बजट को ये तीन जिल्दे हैं कोई बात नहीं है कि जो बेरोजगार है ख्वाह वह जमींदार हों, मजदूर हों या उनके नौकर हों उनके लिये कोई रोजगारी का जरिया या तरीका अख्तियार किया गया है, नहीं। आप इसमें पायेंगे ३ लाख रुपये उनके लिये जिन्होंने कभी आजादी को कशमकश में हिस्सा लिया लेकिन उन मजदूरों और उन किसानों का जिनका नाम कभी खेवट में था उनकी रोजगारी उनकी तादाद, उनके बच्चे की तालीम उनकी कारोबार में मसरूफियत के मुताल्लिक कोई चीज बजट में नहीं है। आप मायूसी के साथ पढ़ेंगे। किसी मुल्क की दौलत वहां की हुकूमत के सिपाहियों पर नहीं है वहां के पुलिस की राइफिलों पर नहीं है बल्कि मुल्क की दौलत इसमें है कि कितने आदमियों को आप काम में लगा सकते हैं। आज ६ करोड़ आदमियों में करीब ४ करोड़ आदमी बेकार हैं जिनके लिये न हुकूमत की तरफ से कोई कोशिश है और जाहिर है वह अपने आप में इतनी कूवत नहीं रखते कि अपने लिये काम तलाश कर सकें। बजट में मुलाहिजा फरमाइये कि बेरोजगारी वगैरह के जमाने में भी वक्ती तौर से किसान अपने काम में लगते रहें उन कामों के करने के मवाके को आज तक आपने पैदा नहीं किया। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि बिल्कुल मायूसी होगी और आप इस तरफ तवज्जह दें।

बाकी चन्द अल्फाज जो नये टैक्स लगाये जा रहे हैं उनके मुताल्लिक अर्ज करूं। सुर्ख रोशनी सामने आ गई है इस वजह से सिर्फ इतना अर्ज कर सकूंगा कि यह जो टैक्स लगाये जा रहे हैं यह जरूर इस गवर्नमेंट के खात्मे का पेशखीमा होगा। आप इन टैक्सेज को लगाकर भी अपने फाइनेन्सेज को हरगिज पूरा नहीं कर पायेंगे और यकीनन बहुत जल्द इस जिम्मेदारी से सुबुक-दोश हो जायेंगे कि आप बजट पेश कर सकें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध में जो बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गई हैं वह मैं नहीं समझ पाया क्योंकि भवन के समक्ष उपस्थित विषय के औचित्य से उनका कम संबंध है। यह कहने की मैं कैसे धृष्टता करूं कि सामने बैठे हुये माननीय सदस्यों ने इसके महत्व को नहीं समझा है परन्तु यह तो निश्चित ही है कि उन्होंने इस बजट को ठीक तरीके से देखने का प्रयत्न नहीं किया, नहीं तो इस प्रकार की अनर्गल बातों को करने का उन्हें अवसर न मिलता।

श्रीमान्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यहां पर सत्य के शोधन के लिये बैठे हुये हैं। सत्य का शोधन या सत्य का अन्वेषण निरर्थक बातों से नहीं होता है बल्कि सत्यता के लिये ईमानदारी से क़दम बढ़ाने से होता है। हम यहां समाजवादी सिद्धांतों का पाठ पढ़ने नहीं आये हैं। समाजवाद के संबंध में हम अच्छी तरह से जानते हैं और उनको अपनी कार्य प्रणाली में व्यक्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। हमारा यह भवन किसी पार्टी के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिये नहीं बना है बल्कि हमारा कर्त्तव्य तो सत्य के शोधन का है। यदि हम इसी प्रकार इस भवन में निरर्थक बातें करेंगे, तो श्रीमान् यह निश्चित रूप से जनता-जनार्दन के प्रति विश्वासघात होगा। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि श्रीमान्, यही प्रवृत्ति उधर सामने के बैठने वाले माननीय सदस्यों की रही तो कुछ दिनों में उन्हें चन्द्रमा की तरल चंद्रिका में गर्मी का भी अनुभव होने लगेगा। उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। उनके पास सिद्धांत को क्रियात्मक करने की कोई कार्यप्रणाली नहीं है। उनके पास कोई मौलिक विचारधारा नहीं है। श्रीमान्, सिद्धांत बंध्या हो जाती है यदि उसे क्रियात्मक करने की कार्य प्रणाली न हो। थोथी बातों से ही तो देश में घी और दूध की नदी नहीं बह जावेगी। मैं जानता हूं कि वे इन बातों के सुनने के आदी नहीं, परन्तु कटु सत्य तो कहना ही पड़ता है।

[श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय]

श्रीमान्, इस भवन में आर्थिक विषमता की ओर संकेत किया गया है। हम जानते हैं कि आर्थिक विषमता से समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। हम आर्थिक समानता चाहते हैं परन्तु हम गणित के अंकों की समानता के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वह सम्भव नहीं है। समाज की उन्नति रुक जाती है जहां विषमता जमीन और आसमान की होती है। समाज में वैषम्य तो रहेगा ही परन्तु वह विषमता हाथ की उंगलियों की विषमता की तरह होनी चाहिये। हाथ की उंगलियां छोटी और बड़ी होती हैं और किसी कार्य के करने में हमें प्रत्येक उंगली की सहायता की आवश्यकता होती है। हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार किसी कार्य के सम्पादन में हमारी प्रत्येक उंगली सहयोग देती है उसी प्रकार राष्ट्र और समाज के उत्थान में राष्ट्र का प्रत्येक अंग योग दे तभी उन्नति सम्भव हो सकेगी। यही हमारी सांस्कृतिक विचारधारा है और यहीं हम पाश्चात्य विचारधारा से मेल नहीं खाते।

श्रीमान्, यह प्रसन्नता की बात है कि इस बजट में राष्ट्र निर्माण-कार्य पर अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है। पूर्वी जिलों में सिंचाई की बड़ी दुर्व्यवस्था है। सिंचाई के लिये हमें और रुपये की जरूरत है। हम आशा करते थे कि सरकार सिंचाई के लिये और रुपया देगी ताकि अधिक से अधिक नहरें और ट्यूब वेल बन सकें।

श्रीमान्, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। केवल गिनती के स्कूलों और विद्यार्थियों से ही शिक्षा की समस्या का हल नहीं हो सकता। देखना यह है कि किस परिस्थितियों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जिन अध्यापकों की तनख्वाहें सात-सात आठ-आठ महीने न दी गयी हों, उनसे उचित शिक्षा की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? जिन स्कूलों की छतें नहीं हैं वहां के विद्यार्थियों से हम क्या आशा कर सकते हैं? मैं अभी हाल ही मे दौरे में अपने क्षेत्र में गया था। इस संबंध में मिर्जापुर की हालत और भी खराब है। वहां मैं गया तो देखने को मिला कि लड़के भीगते चले आ रहे हैं। मैंने उन से पूछा कि क्या छुट्टी हो गयी तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे स्कूल की छत नहीं है इसलिये जब वर्षा होती है तो मास्टर साहब छुट्टी दे दिया करते हैं। श्रीमान, हम यही चाहते हैं कि हमारे पास एक ही स्कूल हो, परन्तु उसमें उचित शिक्षा उचित परिस्थितियों में दी जा सके।

श्रीमान्, मैं वित्त मंत्री जी को इस बजट पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट सदन द्वारा पारित होगा क्योंकि इन परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट संभव नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, मैंने वर्षों तक श्रीमान् की दीर्घा श्रेणी में बैठकर बजट पर भाषण सुने हैं और उस समय भी मेरे मन में एक अजीब उलझन हुआ करती थी। मुझे ऐसा अनुभव होता था कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के समय हम यदि किसी चीज को भूल जाते हैं तो वह है बजट और मेरा ऐसा विश्वास था कि शायद इस नये सभा भवन में हमको कुछ नये ढंग से बजट के व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। मैं बड़े इन्तजार में था समाजवादी दल के उन महाशय के व्याख्यान को सुनने के लिये जिन्हें समाजवादी दल ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था अपनी पार्टी की मीटिंग में। मैं इसी प्रतीक्षा में था कि मैं उनके भाषण को सुनूं और मुझे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मालूम पड़ें जिनके संबंध में मैं कुछ निवेदन कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के भाषण में निर्वाचन का जिक्र किया था। निर्वाचन के जिक्र के सिलसिले में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे लिये यह बड़े महत्व की चीज है। बजट पर और उसके आंकड़ों पर जब हम विचार करने बैठें तो हम यह समझते हैं कि यदि हमारी कांग्रेस सरकार का प्रथम बजट वास्तव में उचित सही और जनता के हित के अनुकूल है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज हमारे बीच में हमारी सफेद, सुन्दर खद्दर टोपी के ऊपर जो थोड़े बहुत लाल छींटें गिर गये हैं वह बहुत जल्दी हवा और धूप की गरमी से उड़ जायंगे। यदि हमारा बजट उचित नहीं है तो इसमें सन्देह नहीं कि कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो कांग्रेस को या जनसमाज को या प्रदेश को बचा सके।

मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बजट की व्याख्या को नहीं जानते। बजट किस चीज़ का नाम है? समाजवादी भाइयों ने जो भाषण दिया उससे लगता है कि वह एक बड़े पुराने आर्थिक जानकार हिल्टनयंग की परिभाषा को जानते हैं। उन्होंने लिखा था कि "बजट इज़ ए प्लान फ़ार रेजिंग रेवेन्यू"। (आय-व्ययक राजस्व के उद्ग्रहण की योजना है।) आज वह जमाना नहीं है। बजट की जो नई व्याख्या हुई है वह लार्ड बक्सटन ने की थी कि "बजट लुक्स टु दि फ्यूचर" (आय-व्ययक भविष्य की ओर देखता है।) तो भविष्य की ओर देखने वाली चीजों में ये छोटी-मोटी कटौतियां और छोटी-मोटी चीजें जनरल डिस्कशन में नहीं लाई जा सकतीं।

जुलाई के महीने में मुझे बजट की व्याख्या करना बहुत अच्छा लगता है। आज हम अनायास उन राज्यों की श्रेणी में पहुंच गये हैं जहां जुलाई से बजट शुरू होता है। ३१ मार्च के पश्चात् जो हमारा बजट शुरू होता है वह अंग्रेज़ों की गुलामी का एक कारण था। आप देखिये आस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, कहीं भी पहली जुलाई के पहले आर्थिक वर्ष शुरू नहीं होता। जहां से हमने ३१ मार्च को बजट का प्रारम्भ करना सीखा उस देश में भी सन् १८०० के पहले ५ जनवरी को बजट शुरू होता था। यह जो हमारा १२ महीनों का दायरा है उसके अनुकूल हमारा बजट होना चाहिये। लेकिन ऐसा न होने पर बहुत सी अड़चनें पैदा हो जाती हैं। बहुत दिनों की बात है कि हमारे समाजवादी दल के एक नेता ने मुझे और मेरे एक सहपाठी मंत्री को कौटिल्य का अर्थ शास्त्र पढ़ाया था और उसमें यह बताया था कि सभी सरकारों के राज्य का आधार फाइनेंस (वित्त) होता है। "कोशपूर्वःसर्वारम्भाः" और उसके साथ यह भी पढ़ाया था कि आर्थिक वर्ष आषाढ़ के महीने से शुरू होना चाहिये और वह इत्तिफाक़ से जुलाई का महीना होता है। हमारे यहां उस युग में ३५४ दिन का साल मानते थे। हमारे बजट के आंकड़ों में इस कारण भी अड़चनें पैदा होती हैं कि लोग एक गलत तरीके पर चलते हैं। ३० मार्च को अगर किसी के पास ट्रेज़री का चालान पहुंच गया तो ठीक है और उसके बाद फिर उसका ऐडजेस्टमेंट (संधान) नहीं हो सकता। इंगलैंड में सिविल खर्च के लिये ३ महीने का और मिलिट्री के लिये ६ महीने का वक्त ऐडजस्टमेंट के लिये दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां ऐसा न होने से बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। यह ऐसी बातें हैं जिनको मैं भविष्य के विचार के लिये रख रहा हूं।

दो तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं। २० मिनट का समय ऐसा नहीं है कि बजट पर सर्वांगं रूप से विचार किया जा सके। मैं इस बजट की तारीफ करता हूं। तारीफ इसलिये नहीं करता चूंकि मैं कांग्रेस का एक सदस्य हूं। इसलिये तरीफ़ करता हूं कि मैंने भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों के बजटों को देखा है। यह मेरा विषय है और यदि कोई महाशय उन प्रदेशों के बजटों को देखना चाहें तो मुझसे इसी मेज़ पर कई सूबों के बजट प्राप्त कर सकते हैं। मैं बड़े अधिकार पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सब सूबों के बजट को देखा और सब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश फाइनेंशली (वित्तीय रूप से) सबसे ज्यादा ठोस प्रदेश है। जब मैं यह निवेदन करता हूं तो मैं श्री निहालुद्दीन जी की उस बात का जवाब देता हूं जो उन्होंने यहां के ऋण भार के बारे में कही है। कोई भी बजट हो उसमें असेट्स (पूंजी) और लाइबेलिटीज़ (देनदारी) देखी जाती हैं। लेकिन हमारे असेट्स और लाइबेलिटीज़ और किसी महाजन के खाते में बड़ा अन्तर होता है। सन् ३७-३८ में पहली कांग्रेस मिनिस्ट्री आई। सन् १९४६ में कांग्रेस की पहली सरकार थी जब उसने महायुद्ध की बिगड़ी हुई परिस्थिति को संभाला था और उसके बाद सन् १९५२-५३ का बजट हमारे सामने है। सन् १९३७-३८ में हमारी आमदनी १२ करोड़ ३३ लाख थी और खर्चा १२ करोड़ ३३ लाख था। सन् १९४६-४७ में आमदनी ३८ करोड़ ७४ लाख थी और क़रीब उतना ही खर्चा था। सन् १९५२-५३ का बजट आप के सामने है। यदि हम थोड़ा सा इस पर विचार करें कि आया हमने लाइबेलिटीज़ (देनदारियों) वगैरह को बढ़ाया है या नहीं तो शायद हम बजट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। महोदय, जहांतक कि मैं समझ सका हूं सन् १९३७-३८ में हमारे सूबे का टोटल इनडेटेडनेस (ऋणभार) ३४ करोड़ ८१ लाख था और सन् १९४६-४७ में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

टोटल इनडेटेडनेस १० करोड़ ८८ लाख था, यानी ९ वर्ष में सिर्फ ६ करोड़ ७ लाख ही बढ़ा। अब सन् १९५२-५३ में हमारा टोटल इनडेटेडनेस ८६ करोड़ ९९ लाख होता है। आप इसको बढ़ा कर १०० करोड़ भी कह दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह तो हमारी टोटल इनडेटेडनेस (पूर्ण ऋणग्रस्तता) है लेकिन इस इनडेटेडनेस के विपरीत हमारे पास साधन क्या है, हमारी पूंजी क्या है। इसको भी देख लेना होगा और इसको देखने के बाद अगर हमारे मित्र यह कहें कि यह दिवालिया बजट है तो मैं उनकी बात आदरपूर्वक सुन सकता हूं। इस बजट में इनवेस्टेड बैलेंस (विनियुक्त शेष) में हमारा २५ करोड़ २५ लाख रुपया है। उसके बाद गवर्नमेंट के लोन्स और एडवांसेज (ऋण और अग्रिम ऋण) हैं। अगर स्टैंडिंग लोन्स को देखा जाय तो करीब १८ करोड़ रुपया होता है। केवल बजट को देखने से सब आंकड़े नहीं मालूम होते हैं बल्कि बहुत छान-बीन करने से ठीक पता लगता है कि क्या स्थिति है। इसके बाद हमें और पूंजी की ओर ध्यान देना होगा, कैपिटल आउटले (पूंजी लागत) की ओर ध्यान देना होगा। ट्यूब वेल्स के ऊपर हमने करीब ७ करोड़ रुपया लगा रखा है। कैनाल्स के ऊपर हमारा करीब ३५ करोड़ रुपया लगा है, हाइड्रोएलेक्ट्रिक के ऊपर करीब ९ करोड़ रुपया लगा हुआ है। शारदा पावर हाउस जो है उसमें हमारा क़रीब ६ करोड़ रुपया लगा हुआ है। गवर्नमेंट बाई सब्सिडी में ४ करोड़ रुपया लगा हुआ है। मैं जानता हूं कि इन सब फीगर्स (आंकड़े) को देखने के बाद अगर हमारे मित्र असेट्स (पूंजी) को समझने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें ऐसा अनुभव होगा कि ९९.९३ करोड़ रुपया ऐसा है जो हमारी असेट्स है, पूंजी है। तो एक तरफ असेट्स में करीब १०० करोड़ रुपया है और इनडेटेडनेस (ऋणभार) में में करीब १० करोड़ रुपया है, ऐसी परिस्थिति में न केवल इस प्रदेश में बल्कि सारे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसको देखने के बाद यह कह सके कि हमारा प्रदेश फाइनेंस प्वाइन्ट आफ व्यू (वित्तीय दृष्टिकोण से) से पिछड़ा हुआ है और अच्छी हालत में नहीं है।

दूसरी बात मैं इनकम के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमारे प्रान्त के बजट में ४ करोड़ रुपये का डेफिसिट (घाटा) है। बजट में डेफिसिट कोई चीज नहीं हुआ करती है बल्कि अच्छे अच्छे देशों में डेफिसिट एक अच्छी चीज समझी जाती है। इसलिये आप इस बीज को छोड़ दीजिये और यह देखिये कि हमारे आमदनी के क्या जरिये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने आमदनी के जरिये पर ध्यान नहीं दिया है और अगर ध्यान दिया है तो वे कृपया इन विषयों में लिखा पढ़ी करें। एक बात इन्कम-टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं जो कि हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। इन्कमटैक्स से जो हमें केंद्रीय सरकार से आमदनी प्राप्त होती है वह नीमियर एवार्ड सन् १९३१ के अनुसार प्राप्त होती है। नीमियर एवार्ड के अनुसार हमको पहले १५ परसेन्ट मिला करता था, अब हमको आबादी के हिसाब से १९.२ प्रतिशत मिलता है। पर हमें जो मिल रहा है उसमें आबादी के अनुसार अगर देखा जाय तो हमें करीब १ करोड़ ८ लाख रुपया अधिक मिलेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज मिलने वाली रक़म ठीक नहीं है। केन्द्रीय सरकार की आमदनी इन्कमटैक्स से क़रीब १ अरब १० करोड़ रुपये है। हमारा प्रदेश, जो भारतवर्ष का सब से बड़ा प्रदेश है, उसका जो हिस्सा होना चाहिये वह हिस्सा कम है और इसके लिये लिखा पढ़ी करनी चाहिये इसलिये कि जिन राज्यों का इस प्रदेश में विलीनीकरण हुआ है उनकी आबादी इसमें नहीं जोड़ी गई है और यदि उनकी आबादी जोड़ दी जाय तो यह जरूर है कि १० करोड़ ७ लाख जो हमें मिलते हैं वह बढ़कर कम से कम सवा ग्यारह करोड़ हो जायगा।

दूसरी चीज हमारे "अदर टैक्सेज" मद की है। यह हमारे लिये बहुत बड़ा मद है जिसके अनुसार हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। इसमें पेट्रोल टैक्स, शूगर सेस वगैरह हैं लेकिन सब से महत्वपूर्ण इसमें सेल्स टैक्स हैं। इसके विषय में तो मैंने आपकी सेवा में एक कटौती का

प्रस्ताव भेजा है । मैं चाहता हूं कि इस विषय पर हम पूरी तरह से ग़ौर कर लें। हमारा ख़्याल है कि सेल्स टैक्स का महकमा जिस ढंग से हम चला रहे हैं, वह जनता की हितों की रक्षा नहीं करता और उससे जितनी आमदनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती। सेल्स टैक्स से हमारी आमदनी ४ करोड़ ९० लाख की है । किन्तु हमसे जो छोटे प्रान्त हैं, जैसे मद्रास वहां की आमदनी सेल्स टैक्स से १७ करोड़ की है । पर इस तरीक़े से वहां पर आमदनी की जाती है कि इस टैक्स का कोई विरोध नहीं है ।

हमारी आमदनी का दूसरा ज़रिया आबकारी है । इस महकमें से सन् १९३७-३८ में १ करोड़ ४५ लाख रुपये आमदनी हुआ करती थी । लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने पहले साल की हुकूमत में ३० लाख की आमदनी कम कर दी और १ करोड़ १५ लाख की आमदनी इस महकमे से रह गयी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको राज्य की आमदनी का इतना बड़ा ज़रिया बना लिया था कि सन् १९४६–४७ में ७ करोड़ ६ लाख रुपये आमदनी थी । और आज इतने दिनों से आबकारी के मंत्री महोदय ने बहुत चेष्टा की लेकिन फिर भी हम इससे ८५ और ९० लाख की आमदनी ही कम कर सके हैं । मैं समझता हूं कि यह कोई विशेष कमी नहीं है और इस कमी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करता हूं कि जिस ढंग से हम मादक द्रव्य निषेध करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह से छोटे और ग़रीब आदमियों को नंगा किया जाता है उससे तो कहीं अच्छा है शराब पी कर मर जाना।

आज जब हम अपने बजट को देखते हैं तो उसमें ४ करोड़ का घाटा पाते हैं और उस घाटे के संबंध में हम यह देखते हैं कि किस तरह से इस घाटे को पूरा करें। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में एक दो बातें कह देना चाहता हूं । मद्रास गवर्नमेंट को प्रोहिबिशन से १७ करोड़ की आमदनी का घाटा हुआ । उसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने सेल्स टैक्स से कर ली। उनको कुछ और नये खर्चे के लिये रुपये की आवश्यकता थी । इसके लिये उन्होंने एक नया तरीक़ा निकाला। हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत ही धार्मिक प्रदेश है, सही है । लेकिन साथ ही साथ मद्रास में जितनी धार्मिकता है वह हमसे कोई कम नहीं है । उन्होंने वहां पर एक अर्चना टैक्स लगाया था । उससे आज मद्रास गवर्नमेंट को १७ करोड़ रुपये की आमदनी है। जितना मंदिरों को चढ़ावा चढ़ता है उसको उन्होंने सरकार के द्वारा नियंत्रित कर दिया और उस आमदनी के द्वारा आज मद्रास गवर्नमेंट को १७ करोड़ रुपये की आमदनी है । तो यदि हम छोटे मोटे टैक्सों में न पड़ कर कोई एक ऐसे प्रकार का टैक्स लगा लें जिसमें किसी को कुछ मालूम भी न पड़े और आमदनी भी अधिक हो तो ज्यादा अच्छा है ।

सन् १९३८ में एक आल इंडिया स्टैटिस्टिकल कांग्रेस, लाहौर में हुई थी जिसके चेयरमैन उस समय के स्टैटिस्टिकल ऐड़वाइजर टू गवर्नमेंट आफ़ इंडिया श्री ग्रेगरी थे। उस वक्त मैं उस कांफ्रेस में इंडियन फ़ेड़रेशन आफ़ चेम्बर आफ़ कामर्स की ओर से एक प्रतिनिधि हो कर गया था। वहां पर मैंने एक बात कही थी कि बिना प्राविंशियल ट्रेड बैलेंस के प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। लेकिन आज भी हम उसकी बात नहीं करते । आज कोई प्रदेश नहीं जानता कि उसका ट्रेड बैलेंस क्या है । वह कितने रुपये का माल हर साल बाहर भेजता है और कितने रुपये का माल बाहर से खरीदता है । मैंने सन् १९३८ में कांग्रेस सरकार से कहा था और मैं आज तक बराबर कोशिश करता रहा हूं लेकिन मुझे न तो किसी ने कोई सहायता ही दी और न कोई प्रोत्साहन ही मुझे मिला। हम जानते नहीं हैं कि प्रति वर्ष हम कितना रुपया लूज़ (खो) कर रहे हैं। यह जो बुलेटिन है इसमें ३० आइटम एक्सपोर्ट के तेल तिलहन वग़ैरह के हैं। आज सारे सूबे के व्यापारी वर्ग की हालत अच्छी नहीं है और मध्यम श्रेणी के लोगों की भी जो क मामूली पंसारी वग़ैरह की दूकान करते हैं हालत अच्छी नहीं है । इसलिये उनकी हालत अच्छी नहीं है कि हम अपने प्रदेश के ट्रेड बैलेंस को समझते नहीं हैं और न कोई विभाग ही कुछ दिलचस्पी लेता है । बजट बनाते वक्त न तो वित्त विभाग न उद्योग विभाग और न स्टैटिस्टिक्स विभाग ही कोई दिलचस्पी इस संबंध में लेता है ।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

हमारे पास एक चीज़ अवश्य ऐसी है जिससे हम रुपया कमा रहे हैं। हम क़रीब क़रीब ५० करोड़ रुपये की शक्कर आज बाहर भेजते हैं। मैंने जो हिसाब लगाया है उसके अनुसार मैं कहता हूं और इसमें कोई ग़लतफ़हमी भी नहीं हो सकती कि २०० करोड़ रुपये का माल हमारे उत्तर प्रदेश को बाहर से मंगाना पड़ता है। जिस सूबे को इतना ज्यादा माल बाहर से मंगाना पड़ता है और बाहर भेजने के लिये सिर्फ एक ही चीज़ हो उस सूबे का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो सकता है। इसे स्पष्ट कहने में मुझे संकोच और शंका होती है।

मैं देख रहा हूं कि आपके पास मेरे लिये समय नहीं रहा। इस लाल बत्ती ने मेरे दिमाग़ में उलझन पैदा कर दी है। इसलिये मैं आगे कुछ न कह सकूंगा। और बातें न कह कर केवल एक बात कह देना चाहता हूं कि बजट के ऊपर बहस छोटे मोटे स्तर पर नहीं करनी चाहिये। आंकड़े के विषय में बहुत सी बातें कही जा चुकी हूं। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मुझे अवसर दिया गया तो बहुत संभव है कि मैं बहुत सी ऐसी बातें विरोधी दल को बता सकूं जिससे वह स्वयं यह महसूस करेंगे कि यह हमारे सूबे के लिये ही नहीं बल्कि उनके दल के लिये भी आवश्यक है। हम गम्भीरता पूर्वक सरकार के बजट पर विचार करें और तब किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचें।

श्री भगवान दीन मिश्र (जिला बहराइच)—अध्यक्ष महोदय, जो बजट भवन के सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया है उस पर कई भाषण मैंने सुने और विरोधी दल के नेता के भाषण पर मेरा विशेष रूप से ध्यान था कि किन-किन बातों के संबंध में उनके सुझाव आये, किन्तु मुझें खेद के साथ कहना पड़ता है कि सम्भवतः विरोधी दल के नाम के कारण ही उन्होंने किसी भी अंश को अच्छा बतलाने की चेष्टा नहीं की है। जो अच्छे से अच्छे अंश थे उनमें भी कुछ न कुछ त्रुटि दिखलाने की चेष्टा उन्होंने की है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में पंचायतों की योजना के संबंध जो हमारी सरकार ने ५० लाख रुपया रख कर मंत्रियों की वेतन की समस्या को हल किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि पंचायतों की योजना को असफल बनाने में सब से बड़ा कारण यही था कि जो गांव सभाओं की आमदनी थीं छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी वह अधिक संख्या में वेतन में ही निकल जाया करती थी जिसकी वजह से ग्रामोत्थान का काम तथा ग्राम में किस तरह से उसकी दशा अच्छी हो सकती है इस ओर कुछ नहीं कर सकते थे। यद्यपि सरकार समय समय पर इस अंश को पूरा करने के लिये धन दिया करती थी लेकिन वेतन ही पूरा हो पाता था और गांव में उन्नति का किसी किस्म का सुझाव नहीं हो सकता था। जहां पर वेतन बाक़ी रह जाया करता था वहां सरकार सहायता दे कर वेतन अदा किया करती थी। इसलिये मैं समझता हूं कि पंचायत की योजना जो एक बहुत बड़ी खामी थी उसको हमारी सरकार ने इस आर्थिक संकट के समय में भी पूरा करने की चेष्टा की है। अतएव यह सरकार बधाई की पात्र है।

इसके अतिरिक्त जमींदारी अबोलिशन के संबंध में यह कहा गया है कि इससे कुछ विशेष लाभ तो दिखाई नहीं देता। यह कहा जा सकता है कि जिस दृष्टिकोण से हम देखना चाहते थे कि सूबे के अन्दर जमींदारी का विनाश हो वह दृष्टिकाण उससे पूरा न होता हो लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि हमारे सूबे की सरकार ने जमींदारी अबोलिशन और भूमि व्यवस्था कानून पास कर के एक शान्तिमय क्रान्ति देश के अन्दर नहीं कर दी। आज एक सदस्य ने यह कहा कि कोई फर्क उन्हें दिखाई नहीं देता। केवल शब्दों का फर्क है भूमिधर और जमींदार में। मैं बहुत नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करूंगा कि अगर पुराने जमींदार और मौजूदा भूमिधर में उनको कोई फर्क नजर नहीं आता तो उनका दृष्टिकोण बहुत छोटा है इसलिये कि हमारा भूमिधर जो इस प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया है वह भूमिधर अपनी पैदा की हुई चीज़ का पूरा पूरा उपभोग कर सकेगा। पुराने जमींदार अपने

पैदा किये हुये धन को उपभोग में नहीं लाते थे बल्कि वे किसानों और ग़रीब मज़दूरों के द्वारा पैदा किये हुये धन का शोषण करते थे। यह फर्क है जमींदार और भूमिधर में। इस फर्क को किसी भी दल को समझने की जरूरत है। हमने जो भूमिधर बनाया है वह इसलिये बनाया है कि उसका कमाया हुआ धन दूसरी शक्ति शोषण न कर सके, बल्कि उस धन का उपभोग वह स्वयं कर सके और उसकी संतान कर सके। इसके अतिरिक्त ज़मींदारी अबोलीशन के संबंध में यह भी कहा गया है कि वह स्कीम असफल हो चुकी है इसलिये कि कम्पेनसेशन (प्रतिकर) की जो रक़म रक्खी गयी थी वह एक अरब और कई करोड़ की थी लेकिन उसमें केवल ३१ करोड़ रुपया वसूल हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो अनुमान लगाया था उस अनुमान के आधार पर १ अरब ३२ करोड़ रुपया होता था। हम चाहते थे कि अगर किसानों के द्वारा हम इस रक़म को एक दम एकत्र कर सकें तो जमींदारों को कम्पेनसेशन दे कर उनको भी उस धन के द्वारा स्वावलम्बी बना कर अपने परिवार का पोषण करने का मौका दें लेकिन उतका रुपया हम न पा सके। फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि आज तक कोई भी योजना हमारे सामने नहीं आई जिसमें ३२ करोड़ रुपया इस तरह से जमा हो सका हो जिस तरह से यह ३२ करोड़ रुपया हमने जमा किया। ऐसी सूरत में इस योजना को असफल कहना मैं किसी तरह से उचित नहीं समझता।

जहां तक अन्य विभागों का संबंध है, जहां तक योजनाओं का संबंध है मैं यह कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने जितनी अच्छी योजनायें राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिये रक्खी हैं वे योजनायें संभवतः अगर किसी सूबे में आई हैं तो हमारे प्रदेश की योजनाओं के बाद ही आ सकी हैं, उन योजनाओं को देखकर ही आई हैं। हां जितना काम उन योजनाओं के संबंध में होना चाहिये था उतनी प्रगति से वह काम हम नहीं कर सकते हैं। यह मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि योजनायें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रगतिशील हैं, राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक सहायक हैं लेकिन उनको हम कितना आगे बढ़ा सके हैं, उनमें हम कितने सफल हुये हैं इस पर हमें ग़ौर करने की ज़रूरत है।

मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री और सभी माननीय मंत्रियों से इस बात की प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि योजनायें हमने रखीं और हमारी योजनायें बराबर सूबे में ५ साल से काम कर रही हैं लेकिन हमें बहुत गम्भीरता से यह विचार करना चाहिये कि किस योजना में हम कितने आगे बढ़े हैं। इस नवीन बजट के बनाते समय हमको यह भी गौर करने की ज़रूरत है कि किस योजना में कितना रुपया और किस तरह से खर्च हुआ है और कहां पर कितना काम हुआ है। इस बात पर ध्यान देने की परम आवश्यकता है क्योंकि मैं देखता हुं कि हमारी निर्माण की योजनायें बड़ी सुन्दर योजनायें हैं। उनको तीन श्रेणियों में हमने बांटा था लेकिन आज उनमें काम कितना हो सका है, किस प्रगति से हम चल सके हैं यह गौर करने की बात है। मैं उदाहरण के लिये यह बात कहता हूं कि हमारे विभाग किस प्रगति से काम कर रहे हैं। इसके लिये मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री का बहराइच जिले में दौरा हुआ तो वहां पर एक पुल की तरफ वहां की जनता की तरफ से ध्यान दिलाया गया। माननीय मुख्य मंत्री ने उसी समय उस पुल के बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी और यह लिखा कि इसकी प्रगति १५ दिन के अन्दर कितनी हो इसकी एक १५ रोज़ा रिपोर्ट मिलती रहे। हमारे कलेक्टर को दो १५ रोज़ा रिपोर्ट में यह लिखना पड़ा कि अभी तक जिले के इंजीयिर के पास उस आर्डर की प्रतिलिपि नहीं पहुंची। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री की आज्ञा के द्वारा जो पुल बनाने के लिये योजना बनाई गई हो उसमें इस तरह से प्रगति हो कि दो १५ रोज़ा रिपोर्ट में इस तरह से कलेक्टर को लिखना पड़े कि चीफ इंजीनियर के यहां से अभी तक जिले के इंजीनियर के पास उस आर्डर की कापी नहीं पहुंची है तो यह प्रगति किसी तरह से भी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती।

श्री भगवानदीन मिश्र]

इसी प्रकार से हमने बजट के अन्दर जो ट्यूबवैल्स की योजना देखी उनका भी यही हाल मालूम होता है । ट्यूबवैल्स की योजना बहुत सालों से सुनता चला आता हूं क्योंकि बदक़िस्मती से बहुत दिनों से मैं इस सदन का मेम्बर हूं लेकिन उन योजनाओं को गति आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती है । आज भी एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है कि जो रिहंड बांध बनेगा उससे पूर्वी जिलों को पानी मिलेगा लेकिन बदक़िस्मती से जिले बहराइच का नाम उसमें भी नहीं है और बहुत से जिलों का नाम उसमें है । इस कारण मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंत्रिमंडल के लोग बहुत सी बातें यह समझकर कि बजट के समय कुछ न कुछ कह देने की एक परिपाटी है इससे काम चलना मुश्किल सा मालूम होता है । मैं यह कह देना चाहता हूं कि आप देखें कि सूखा की योजना चलाई गई । इस सिलसिले में यह आज्ञा यहां से जारी की गयी कि तराई में जा कर यह देखा जाय कि किस तरह से वहां पर रिजर्वायर (जलाशय) बन सकता है । उसके लिये एक इंजीनियर की नियुक्ति हुई । कई महीने के बाद ही सही, लेकिन एक इंजीनियर साहब वहां पहुंचे । कई जगह घूमने के बाद उन्होंने वहां के कलेक्टर को रिपोर्ट दी कि इस समय काम नहीं हो सकता है । अगले साल देखा जायगा कि यह काम किस तरह से चालू हो सकता है । इसलिये मैंने कहा कि इन योजनाओं को चलाने के लिये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस वर्ष हमारे जिले में ट्यूबवैल्स की कोई योजना नहीं है और भी जिलों में कहीं कहीं कुछ बने हैं लेकिन ज्यादा जगहों में सफलता नजर नहीं आती है । जब कि अन्न उपजाओ योजना और सिंचाई की योजना इतना प्रमुख स्थान रखती है तो उन प्रमुख योजनाओं के लिये इतनी मन्द गति से चलना कहां तक बरदाश्त किया जा सकता है । इस ओर में मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करे और ध्यान दे ।

शिक्षा विभाग के अन्दर इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी प्रगति की गई है । बहुत काफी स्कूल खोले गये हैं और काफी सेकेण्डरी स्कूल भी खोले गये हैं प्रारम्भिक स्कूल भी काफी चलाये गये हैं लेकिन कभी यह भी देखने की चेष्टा की गई कि हमारी पहली योजना में जितने स्कूल तैयार हुये, जिसमें एक हजार सरकार की तरफ से इमारत के लिये दिया जाता था और बाक़ी ५०० या ८०० रुपया जनता लगाये जो लगें और इस तरह से राजकीय पाठशाला तैयार हों । मैं कह सकता हूं कि उनमें से ८० फीसदी राजकीय पाठशालायें धराशायी हो चुकी हैं और उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वह कब बनीं, कब चलीं और कब उनमें रुपया लगा और वह कब बरबाद हो गईं । इस बात की कोई देख रेख अभी तक नहीं हुई है । मैंने इंसपेक्टर आफ़ स्कूल से मालूम किया था लेकिन उसका जवाब नहीं आया है कि कितनी बनीं और कितनी आधी बनीं, कितनी गिर गईं और कितनी खड़ी हैं और कितनी बरसात के बाद खत्म हो जायंगी । इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

यहां पुलिस विभाग की चर्चा भी काफ़ी हुई है और मैं समझता हूं सूबे की जो आवश्यकता है उसको देखते हुये पुलिस विभाग पर जो कुछ खर्च किया जाता है वह परिस्थिति को देखते हुये अधिक खर्च करना कुछ अपव्यय नहीं मालूम होता । एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा और मैं समझता हूं कि हमने बहुत से नये नये कानून पास किये और बनाये और नई नई धारायें और ऐक्ट पास किये लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त से जो कानून हमारे यहां चल रहे थे उन में हमने नहीं के बराबर ही संशोधन किये हैं और उन कानूनों के आधार पर सरकार का जो मन्तव्य है और जिस दृष्टि से सरकार जनता के साथ व्यवहार करना चाहती है वह नहीं हो पाता है । आज हमारा जिम्मेदार से जिम्मेदार आदमी कहता है कि किस आदमी ने अपराध किया है । लेकिन दफा ७ बाध्य करती है कि वह रिकार्ड की बिना पर कुछ कर नहीं सकता इसलिये कुछ नहीं हो सकता । अगर ऐसी धारायें हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा जिम्मेदार से जिम्मेदार आदमी इतने भी अधिकार नहीं रखता कि अगर वह कनविन्स (सहमत) हो गया है और उसको विश्वास हो

गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध हुआ है और वह क़ानून के आधार पर उसको दंड नहीं दे सकता है तो आप किस तरह से अपराधों को रोक सकते हैं और किस तरह से आप जनता में विश्वास पैदा कर सकेंगे कि जनतंत्र में उसको अधिकार सुरक्षित हैं और हर प्रकार से सरकार उस की भलाई में लगी है ।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं चाहे आप उसे पुरानी बात कहें । जिस समय हमारी सरकार क़ायम हुई थी तो यह आदेश हर विभाग में गये थे कि साल में एक बार इन्टेग्रिटी सर्टीफिकेट (ईमानदारी का प्रमाण-पत्र) कर्मचारियों को दिये जाया करें । लेकिन उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने कभी यह जानने की कोई कोशिश की कि वह जो आदेश जारी हुये थे उनकी पाबन्दी कहां तक हो रही है । आज होता यह है कि साल में एक दिन इन्टेग्रिटी सर्टिफिकेट पर दस्तख़त कर के रख दिये जाते हैं । किसी भी ईमानदारी से काम करने वाले में और साधारण काम करने वाले में कोई भेद नहीं है । ऐसे ईमानदार आदमियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये । होता यह है कि सीनियारिटी और जूनियारिटी पर काम किया जाता है और कोई ईमानदारी का लिहाज़ नहीं किया जाता है । अगर हमने इस ओर ध्यान दे कर ईमानदार आदमियों को प्रोत्साहन दिया होता तो हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ सकते थे और कर्मचारियों में काफ़ी सुधार ला सकते थे। आज भी वही चीज़ चल रही है जो पहले चलती थी कि अगर अधिकारी जानते भी हैं कि किसी सीनियर का काम संतोषजनक नहीं है फिर भी उसी को बढ़ाया जाता है और जूनियर को ईमानदार होने पर भी कोई मौक़ा नहीं दिया जाता है । हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिये और इस चीज़ को स्थान देना चाहिये कि जो ईमानदार हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिये और इस प्रकार आप आसानी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं । अभी तो लोग समझते हैं कि सब धान बाइस पसेरी हैं और सीनियारिटी (ज्येष्ठता) और जूनियारिटी (कनिष्ठता) का हिसाब लगा है, कौन ईमानदारी करे और हर तरह की तकलीफ़ उठावे। यह सब भी हमारे सामने है। इसकी तरफ भी हम अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं।

जहां तक हमारे दवाखानों या मेडिकल विभाग का संबंध है, यह एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा जनता को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। उसमें आमदनी की कोई बात नहीं है। वह केवल इसी बात के लिये है कि हर दुखी आदमी की वह सहायता करे। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इस विभाग के कर्मचारियों में हम कोई उन्नति या ऐसी भावना नहीं पैदा कर सके हैं कि वह अपनी सेवा भाव में जनप्रिय होते गये हों। यहीं पर आपका मैडिकल कालेज मौजूद है और बहुत सी संस्थायें मौजूद हैं। मैंने ऐसे भी उदाहरण दिये हैं कि गलत सर्टीफिकेट सिविल सर्जन के १२-१२ और १३-१३ जारी हुए हैं इस लिये कि ११० के कैंदो भाग कर अपनी रक्षा कर सकें और वारंट में गिरफ्तार न हो सकें। यह क्या तरीका है ? क्या इस तरह से हम अपने विभागों में उन्नति कर सकेंगे ? मैं समझता हूं कि किसी तरह नहीं कर सकेंगे।

जहां तक डिकंट्रोल की बात है, मैं तो बहुत पहिले से इस विचारधारा को रखने वाला व्यक्ति हूं कि इस कण्ट्रोल के द्वारा कुछ लाभ नहीं हो सकता, लेकिन इस कण्ट्रोल से यदि कुछ लाभ हुआ है तो उससे इतनी बड़ी हानि हुई है जिसे हमारा सूबा नहीं बल्कि तमाम देश भी जल्दी पूरी नहीं कर सकता। वह है हमारे नैतिक स्तर का गिरना। इस कण्ट्रोल के द्वारा रोज भ्रष्टाचार की बात होती है और हमारे यहां जिलों में भ्रष्टाचार निवारक समितियां भी बन गई हैं। लेकिन इस कण्ट्रोल से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हम उसे अभी कण्ट्रोल में नहीं ला सकें हैं। इस लिये डिकण्ट्रोल के लिये मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं ।

[श्री भगवानदीन मिश्र]

अन्त में मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो बजट हमारे सामने पेश है उसकी योजनायें बड़ी सुन्दर, प्रगतिशील और राष्ट्र को आगे चलाने वाली हैं लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी कार्यशैली है उसकी ओर हमारे मंत्रिमंडल को पूरा ध्यान देना चाहिये। तभी हम अपने देश की कमी को पूरा कर सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष, सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक पर जो आज बहस चल रही है और उसमें आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। महोदय, बजट किसी देश का प्राण हुआ करता है। अगर बजट से देश में रहने वाले करोड़ों आदमियों का जीवन संचारित होता हो, करोड़ों आदमी जो भूख से मरते हैं उन्हें खाना मिलता हो, लाखों लोग जो बिना मकान के पेड़ों के तले खानाबदोशों की तरह जीवन बिताते हैं उन्हें मकान मिलते हों, करोड़ों आदमियों को जो जाड़ों के दिनों में ठिठुर कर अपने दांत कड़कड़ा कर अपना जीवन व्यतीत करते हों उन्हें कपड़े मिलते हों, करोड़ों प्राणियों को जो तपेदिक और मलेरिया से और हमारी माताएं और बहनें प्रसूत की बीमारी से हर साल मरती, हैं उनकी रक्षा होती हो तभी मैं समझता हूं कि वह बजट जीवनदायिनी कहा जा सकता है वरना वह जीवन का पतन करने वाला हुआ करता है। हमारे वित्त मंत्री को जो बजट उन्होंने पेश किया है उसके लिये बहुत से लोग बधाई दे रहे हैं। मुझे तो उस पर स्तम्भित होना पड़ता है और खास कर स्तम्भित होना पड़ता है हमारे माननीय सदस्य परिपूर्णानन्द जी के भाषण पर। हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी को चाहिये कि गरीबों के मकानों में देहातों में जाकर देखें कि जमींदारी उन्मूलन की वजह से जो कत्ल और मारपीट हो रही है उनसे किसानों की क्या दशा हो रही है। अब उनको पता चलेगा कि हमारे सूबे की क्या हालत है।

मैं आपसे सच कहना चाहता हूं कि आपका जो बजट है वह यथा स्थितिवादी बजट है। जो आज सूबे की हालत है उस हालत में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। आप अपने बजट के द्वारा बेकारी कायम कर रहे हैं, भुखमरी कायम कर रहे हैं। यह बजट छोटे छोटे कर्मचारी, चौकीदार, क्लर्क, पटवारी, मास्टरों और प्रोफेसरों की जिन्दगी में कोई उजाला देने वाला नहीं है। आपका बजट पुलिस स्टेट का बजट है। इस बजट के कारण देश में कोई नई तब्दीली आने वाली नहीं है। जब कोई नया प्रयोग आने वाला नहीं है तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि यह किसान और मजदूरों का बजट है जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा है कि यह किसान और मजदूरों का बजट है। किसानों पर कर लगाया जा रहा है। यह बजट उन लोगों पर जो गांवों में रहते हैं उन पर किराया बढ़ाने वाला है। जो सिंचाई करते हैं उनपर टैक्स लगाने वाला है। इस लिये मैं कहता हूं कि यह बजट किसान मजदूरों का बजट नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में जो दुकानदार हैं उन पर यह टैक्स लगाने वाला है। यदि फिर भी आप यही कहते हैं कि किसान और मजदूरों का बजट है तो फिर आपकी बुद्धिमानी और आपके बजट के लिये आपको धन्यवाद। आपका यह बजट देश में जो लाखों और करोड़ों की तादाद में भूखे और नंगे रहने वाले हैं उनका जीवन देने वाला बजट नहीं है। यह बजट प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और पूंजीवादी बजट है।

हमारी पार्टी के नेता श्री राजनारायण जी ने यह बताया कि सन् ४८ से लेकर ५२ तक हमारी सरकार का यह कायदा रहा है कि वह जो बजट बनाती है और उसका जो तखमीना होता है उससे अधिक खर्च कर देती है और खर्च करने के बाद सप्लीमेंटरी बजट पेश करके पास करा लेती है। तो जब उसका सत्र समाप्त होने को होता है तो वह तखमीने से ज्यादा खर्च कर देती है। वह भी इस प्रकार से नहीं जैसे कि दूसरे स्वतंत्र देशों में हुआ करता है। स्वतंत्र देशों में जनस्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा व्यय किया जाता है लेकिन यहां हमारी सरकार सुरक्षा पर ज्यादा खर्च किया करती है और कहा जाता है कि हमारे यहां बदअमनी है। मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां सन् ४७-४८ में साम्प्रदायिकता की लहर फैली हुई थी। उस समय आपने पुलिस दल बढ़ाया, प्रांतीय रक्षा दल कायम किया और उसके लिये आपको ज्यादा पैसे की उस समय

जरूरत थी लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय हमारे प्रदेश में कोई अशान्ति नहीं है लेकिन आज भी आप पुलिस पर खर्चा बढ़ाते चले जा रहे हैं और उस पुलिस पर जो कि आज भी देहातों में वही काम करती है जो वह सन् ४२ से पहले किया करती थी। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय नेता सदन पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त शायद साइमन कमीशन के डंडों को भूल गये होंगे लेकिन हम लोग सन् ४२ और जेलखानों के डंडों को नहीं भूले हैं। हम आज भी देखते हैं कि पुलिस गांवों में लोगों को मारती पीटती है, मोंछें उखाड़ी जाती हैं, दरोगा लोग आज भी अपने घोड़े के गले में रस्सी बांधकर और उसी रस्सी में दूसरे देहाती आदमी को बांध कर मीलों दौड़ाया जाता है खून फेंक देता है फिर भी पुलिस उनके ऊपर रहम नहीं करती है। यह सब मधुबन (आजमगढ़) में हो रहा है। आज भी हम देखते हैं कि जब किसान मारा जाता है या उसके यहां जब चोरी होती है जब वह थाने में जाता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती या सही रिपोर्ट नहीं लिखी जाती यदि लिखी भी जाती है तो उल्टी रिपोर्ट लिख दी जाती है। हम आज भी देखते हैं कि गांवों में कैसी लूट खसोट मची हुई है। उनकी जैसी दशा अंग्रेजी जमाने में थी वही आज भी है और कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार आपके सामने किसानों की दरख्वास्तें आती होगी लेकिन मैं जानता हूं कि अभी कल हमारे सदन के माननीय नेता ने कहा है की लाल फीते को खत्म करना है। मैं जानता हूं कि आपके लाल फीते में हमारे किसानों की हजारों दरख्वास्तें खत्म हो जाया करती हैं और उनको कोई सुनाई नहीं होती।

मैं यह कह रहा था कि ४७ से लेकर ५१ तक १ करोड़ २१ लाख ६३ हजार रुपये जो सुरक्षा के विषयों पर खर्च करना नहीं चाहिये था वह आपने खर्च कर डाले हैं। जो खर्च होना चाहिये था शिक्षा पर, नागरिक निर्माण पर, सिंचाई पर, पुनर्वास पर और शुगर इंडस्ट्री के विकास पर वह आपने खर्च नहीं किया है। १ करोड़ ९० लाख आपने स्वीकृत कराया था। उसके अलावा भी आपने सुरक्षा पर इतना रुपया और कर डाला तो इसके माने तो यह साफ होते हैं कि अब तक आपके जो कारनामे हुये हैं वह पुलिस के ही पक्ष में हुये हैं। जनता के स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुनर्वास, सिंचाई के जो असली काम है स्वराज्य हो जाने के बाद जब आपके हाथ में शक्ति आयी है उस वक्त आपको इन कामों को करना चाहिये। लेकिन इन कामों को न करके आप अधिक रुपया सुरक्षा पर व्यय करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो भारतीय संविधान बना हुआ है उसमें बहुत सी नकल इंग्लैंड की की गई है। ५०-५१ का जो बजट इंग्लैंड का है उसमें पुलिस पर बहुत कम खर्च हुआ है और शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है लेकिन आज यहां क्या हो रहा है। जब मैं यहां ३६-३७ का बजट देखता हूं जब यहां पर अंग्रेजों का राज्य था और हमारे सूबे की कुल आमदनी १२ करोड़ थी तब १७ फीसदी यानी १२ करोड़ में से २ करोड़ से अधिक हमारे सूबे पर में शिक्षा पर व्यय हुआ था और आज इतना कम हम खर्च करने जा रहे हैं, यानी कुल बजट का हिसाब लगाने पर सिर्फ १२ फीसदी खर्च करने जा रहे हैं। जब हमारी आमदनी इतनी बढ़ी है तब भी शिक्षा पर उतना ही खर्च होने जा रहा है जितना पुलिस पर, तब दुख होता है कि आप क्या इसी बात पर दम भरते हैं कि हम शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि एक नेशनल फाइनेंस कमेटी बनी थी जिसके खेर साहब प्रेसीडेंट रहे हैं और आचार्य नरेन्द्रदेव वगैरह उसके सदस्य रहे हैं। उसने एक रिपोर्ट दी। आल इंडिया (सेन्ट्रल) गवर्नमेंट की कमेटी रही है कि प्रांतीय सरकारों को अपनी आमदनी में से शिक्षा पर २० फीसदी से कम नहीं खर्च करना चाहिये और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को आपनी आमदनी में से १० फीसदी से कम नहीं करना चाहिए। मैं अदब के साथ अपने माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा पर २० फीसदी से कम खर्च न हो लेकिन उसके बाद भी आप उसको घटा कर १० या १२ फीसदी कर दें तो फिर कैसे कहते हैं कि शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

और हमने इतने स्कूल खोले। लेकिन स्कूलों को खोलने के बाद क्या स्कूलों पर गये। अगर स्कूलों पर जाते तो देखते कि सही मानों में उन स्कूलों की दशा कैसी है। मैं आपसे सच कहता हूं कि माननीय मंत्री उन स्कूलों पर गये नहीं हैं क्योंकि अगर गये होते तो ऐसी बातें जो बजट में कही गई हैं नहीं कही गई होतीं। हजारों स्कूल राजकीय पाठशालायें खुली हैं वहां पर बच्चों के बैठने के लिये टाट नहीं है, कुर्सियां नहीं हैं। पेड़ों के नीचे बरसात, गर्मी और जाड़ा कितनी मुसीबतों से पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि हमारे यहां पढ़ाई लिखाई का बहुत इन्तजाम है और यही आदर्श इंतजाम है। हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में कहना चाहता हूं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो शहरों में खुले हुये हैं उसमें आपकी कोई बहादुरी नहीं है। जनता को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद जनता में एक भावना पैदा हुई है, उनमें उत्साह की लहर आयी और वे शिक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं। आप कितना पैसा उसमें दे रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं। आपका तो उसमें पैसा बहुत कम लगा हुआ है और इसीलिये मैं कहता हूं कि आपका जो बजट है वह शिक्षा को बढ़ाने बजट वाला नहीं है। वह तो बजट ऐसा है कि जो स्थिति पढ़ने लिखने की है वह कायम रहे। हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिये बहुत कहा जाता है। मैंने आज सबेरे अखबार में पढ़ा कि दिल्ली प्रांतीय सरकार के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि दिल्ली प्रांत के जितने भी परिगणित जाति के विद्यार्थी हैं उनको हायर सेकेण्डी स्कूल तक की मुफ्त शिक्षा दी जायगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर हमारे मुख्य मंत्री जी भी इस तरह की घोषणा करते।

एक सदस्य--ऐसा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--प्रभो आप अखबार पढ़ें।

तो अगर हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्री यह घोषणा करते कि गांव के रहने वाले हरिजनों को हायर सेकेण्डरी तक मुफ्त पढ़ायी होगी तो मैं कुछ समझता कि हमारी सरकार पिछड़ी हुई जातियों के लिये एक क़दम बढ़ा रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि नोटिसें बांटी गई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ही मेरे पास एक रजिस्ट्री चिट्ठी आयी हुई है जिसमें एक शख्स ने लिखा है कि मैं हाई स्कूल तक किसी तरह से पढ़ा हूं। मेरे घर में ९ आदमी खाने पीने वाले हैं इसलिये मैं आगे पढ़ नहीं सकता हूं। मेरी मदद की जाय। श्रीमान् इस प्रांत में लाखों करोड़ों आदमी पिछड़ी जाति के मौजूद हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन यह सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। फिर भी आप चाहते हैं कि आपका देश उन्नतिशील हो और आप अपना वक्षस्थल ऊंचा करके रहें तो इसके लिये आपको मुबारकबाद नहीं दिया जा सकता है गांव को रहने वाली जो जनता है, जो भूखी नंगी जनता है वह इस शिक्षा के ऊपर आपको मुबारकबाद देने के लिये तैयार नहीं है।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य "आप आप" कह कर बात कर रहे हैं। हर वाक्य में आप शब्द कई दफा आ जाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--स्पीकर महोदय, सरकार के लोग यह कहते हैं कि जब आप लोग विरोधी दल के लोग टैक्स को कम करना चाहते हैं तो कैसे राज्य व्यवस्था चल सकती है। इस पर मैं एक ही उद्धरण देना चाहता हूं। १९३९ में खेर की जी अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी और उसके सेक्रेटरी श्री के० टी० शाह थे। उस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था। कि सरकार को बीमा कम्पनियों को जब्त कर लेना चाहिए। उनकी आमदनी से अर्थ समस्या हल हो जाती। आप बिक्री कर लगाते जा रहे हैं, मोटर गाड़ियों पर टैक्स लगाने को सोच रहे हैं, खेतों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। ईमानदारी की बात यह होगी कि हमारे माननीय सदस्य परिपूर्णानन्द जी

अपने मंत्रियों से सिफारिश करते और गरीबों को इस कर से मुक्ति दिला देते। वे तो कानपुर में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं इसलिये वे मंत्रियों को बतलाते कि सेठ पद्मपत सिंहानिया और जुग्गीलाल कमलापति पर टैक्स लगाया जाय और उन पर टैक्स लगा कर इस बजट को पूर्ति की जाय। वे स्वयं मोटर को छोड़ कर गांव में चलने वाली गाड़ियों पर चलते और किसानों पर जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जा रहा है उसका विरोध करते। वे तो समझते हैं कि उनसे ज्यादा कोई दुनियां के बजट को नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने दुनियां के बजट को नहीं पढ़ा है। उन्होंने दुनिया को देखा होगा लेकिन हिन्दुस्तान में बसने वाले गांव के हरिजनों को जो आज भी गोबर खाते हैं नहीं देखा है।

श्रीमान्, पहली तारीख को जमींदारी उन्मूलत दिवस पर खुशी मनाने के लिये सरकार ने डेढ़ लाख रुपया मंजूर किया था। मैं उस दिन एक ऐसे क्षेत्र मधुबन में मौजूद था। कांग्रेस की सभा में केवल ५० आदमी मौजूद थे और उस सभा पर लगभग १७५ रुपया पड़ा होगा। हमने देखा कि उस रुपये से मिठाइयां आयीं और सरकारी अफसर और कर्मचारी खा कर चले गये। श्रीमान्, उसके खिलाफ हमारी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सभा की गयी जिसके बारे में सरकार की रिपोर्ट है, सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि नौ हजार आदमी उस सभा में आये थे। हमने जमींदारी खत्म की है तो हमें इसमें क्या मिला है किसानों, मजदूरों में कोई उत्साह नहीं। कुछ नहीं मिला है, यदि जमीन का बटवारा होता जो गांवों में हल चलाने वाले मजदूर हैं उनको खेत मिलते तो मैं मानता कि जमींदारी खत्म हुई। जो २४ करोड़ रुपया जमींदार वसूल किया करते थे उसमें से छूट दे कर आधी लगान कर देते तो मैं समझता कि जमींदारी खत्म हुई। जो शिकमी पट्टेदार हैं जिनका कागज में इंदराज नहीं है यदि उन किसानों को आप हक देते और उनका नाम पटवारी के कागज में आजाता तो मैं समझता कि जमींदारी खत्म हुई। जमींदारी खत्म करके २२ लाख जमींदारों का हक आपने छीन लिया, लेकिन उनका एक हक छीन कर आप स्वयं ताल्लुकेदार बन बैठे। मैं कह सकता हूं कि इस जमींदारी के खत्म होने से कोई हक मिलने वाला नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय, जब तक भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेकारी, यह पांच समस्यायें बजट हल नहीं कर पाता तो दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बजट बेकार है। आज तक का जो अनुभव है इस बजट के पढ़ने से और सरकार के कामों को देखने से अनुभव यही बताता है कि सरकार का जो बजट है वह बेकारी, भुखमरी और काहिली को बढ़ाने वाला है।

मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस प्रदेश में बेकारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी ५१ में ३६,४०३ आदमियों ने दरख्वास्तें दी थीं नौकरी के लिये और उसमें से १३,२०० कुछ आदमियों को नौकरी मिली और २३,१३२ आदमी बेकार पड़े हुये हैं। बेकारी की फौज बढ़ती चली जा रही है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ६० प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है और बीस फीसदी नये मकान बने। फिर बाकी लोग पेड़ के तले हैं। पन्त जी के प्रदेश में कपड़े की कमी है। मैं सरकार से कहता हूं कि इस प्रदेश में जो करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो नंगे हैं उनको क्या यह बजट कपड़ा देता है। इस प्रकार कसौटी पर कसते हुये मैं निश्चित पूर्वक कह सकता हूं कि यह पूंजीवादी बजट है।

श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—सभापति जी, आपके द्वारा मैं इस सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिये आया हूं। खाली बजट को क्रिटिसाइज़ कर देने से या उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने से या जैसा कि विरोधी दल के नेता या विरोधी भाइयों ने कहा है, उससे मेरी समझ में तो काम चलने वाला नहीं है। यूं तो बजट पर उसके समर्थन में बहुत कुछ कहा जा चुका है और कहा जा सकता है लेकिन खास कर एक चीज है इस पर हमें ख़याल रखना है। सोशलिस्टों की तरफ से कहा गया है कि यह किसानों और मजदूरों का बजट नहीं है। यह पूंजीपतियों का बजट है। लेकिन विरोधी

श्री लालबहादुर सिंह]

दल की तरफ से एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं दिया गया है जिसमें पूंजीपतियों का बजट होने की बू आ रही हो। हमारे वित्त मंत्री जी ने कम से कम दस बीस आंकड़े और इंसटेंस (उदाहरण) ऐसे दिये हैं जिनसे हम साबित कर सकते हैं कि यह बजट किसानों और मजदूरों का बजट है।

अब एक निवेदन यह करना है कि खाली बजट पर रुपया दे देने से या पास कर देने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें यह देखनी है कि हमारा जो सुपरवीजन (निरीक्षण) का तरीका है वह अंग्रेजों के जमाने का तरीका है। आज जो हालत हमारी है वह मैं आपको बतलाऊं। हमारे सामने जब यह बजट आया तो मैं तो यहां का नया नया असेम्बली का मेम्बर हूं और पढ़ा लिखा भी कम हूं, इतनी मोटी मोटी किताब जो देखी तो पहले तो मुझे परेशानी हो गयी कि मैं कैसे इतनी देर में इसका अध्ययन करूं, लेकिन छोटे मोटे तरीके से उसको पढ़ा और एक आध आदमी से पूछा भी और उन्होंने इसको सहायता दी। तो कहना यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० को ले लीजिये। मेरे गांव से पी० डब्लू० डी० की सड़क जाती है। मैं यह समझता था कि इंजीनियर, ओवरसीयर और कामदार निर्माण का काम करते हैं, बड़े अच्छे होंगे, लेकिन मेरी नजरों के सामने चन्द इंसटेंस ऐसे गुजरे कि इस पर शक होने लगा। अभी हाल में मैंने मद्रास के मुख्य मंत्री श्री राजगोपालाचारी का एक स्टेटमेंट (भाषण) पढ़ा जिसमें उन्होंने पी० डब्लू० डी० को ऐनिमी नम्बर दो लिखा है। मुझे उस स्टेटमेंट को पढ़कर इस डिपार्टमेंट पर शक होने लगा है। श्री राजगोपालाचारी का स्थान उच्चकोटि के दस पांच नेताओं में है। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि क्या बात है। पहले मैंने सोचा कि श्री राजगोपालाचारी को चिट्ठी लिखूं लेकिन फिर सोचा कि ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपके द्वारा पी० डब्लू० डी० के मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह ऐसे डिपार्टमेंट के सुपरवीजन को ठीक से देखें कि क्या बात है। मेरे गांव से जो सड़क जाती है उस पर के पेड़ वहां के जमींदार काट कर बेच देते हैं और जब गांव वालों की ओर से वहां के इंजीनियर को चिट्ठी लिखते हैं जाता है तो वह जवाब नहीं देते। मैं इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं रखता क्योंकि मैं असेम्बली का नया सदस्य हूं। अब भी मैं देखता हूं कि पुराने जमाने का वह तरीका बराबर चल रहा है कि अफसरों से कम मिलने जुलने की मनोवृत्ति बराबर चल रही है।

दूसरे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यह निवेदन करना है कि हमारे कांस्टिट्यूशन में यह एक मनोवृत्ति आ गयी है कि यह एक अदना सी अदना बात पर सरकार की क्रिटिसाइज (आलोचना) करते हैं। बावजूद इसके कि कई बार अखबारों में पढ़ा कि गवर्नमेंट के आफिसर जोर दे चुके हैं कि सीडि़ी गवर्नमेंट आफिशियल, चाहे ड्यूटी पर हो या न हो वह गवर्नमेंट की क्रिटीसिज्म नहीं कर सकता। लेकिन असेम्बली में भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्रिटीसाइज किया जाता है। तो इस चीज को भी हमें सुधारना है।

जनरल में अब मुझे यह कहनी है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो खुला है तो उसमें कई जगह इंडस्ट्रीयल्स भी जरूर लग गये हैं कि इंसपेक्टर या सुपरिण्टेण्डेण्ट इंडस्ट्रीज, आम उद्योग विभाग की क्या हालत है, लेकिन पता नहीं चलता है कि क्या काम करते हैं और क्या नहीं। एक दिन प्रदर्शिनी जाते समय मैंने एक सन्यासी से पूछा कि आप क्या उसी विभाग से सम्बन्धित काम करते हैं तो उसने उत्तर देने के बजाय उसने कहा कि अभी तो साहब की कुर्सी खाली है, फिर बात करेंगे। तो इस चीज की ओर भी हमें सावधानी से निगाह रखनी चाहिये।

अन्त में एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मुझे निवेदन करना है कि वसूली के तरीके को देखने की जरूरत है कि वह किस प्रकार का होना चाहिये, जहां रुखा हो वहां के लिये कुछ सोचना इस तरह के में कर देना चाहिये। मैं अपनी कांस्टिट्युएंसी (निर्वाचन-क्षेत्र) में जमींदारी विनाश विधेयक के जिन सरकारी मीटिंग में भी बोला और फिर कांग्रेस मीटिंग में भी जो कार्यकर्ताओं ने आमन्त्रित की थी।

तो कई किसान यह सोच रहे थे कि जो मालगुजारी जमींदार डाइरेक्ट गवर्नमेंट को पे (अदा) करता है वही हमको देना पड़ेगी लेकिन उनको समझाया गया कि ऐसी बात नहीं है, डाइरेक्ट पे करने की बात नहीं है। वह जो कि किसान जमींदार को देता है वही मालगुजारी देना होगी। खैर मालगुजारी देने के लिये तो किसान तैयार है। अगर उसके साथ नेकनियती सेकाम किया जाय तो वह टैक्स देने से नहीं घबड़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जमींदार जिस तरह से ज्यादती पहले करते थे उसी तरह से फिर कहीं दिक्कतें न पैदा हो जायं। मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि हमारा मारल (नैतिक चरित्र) बहुत गिरा हुआ है। हमको मारल फोर्स (नैतिक बल) ठीक करने के लिये अधिक से अधिक रुपया खर्च करना चाहिये क्योंकि जब तक हमारा मारल ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यह सुन रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी रुपया वसूल करेंगे। ऐसी हालत में यह हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो, कोई ग़लतियां हों। बनारस ज़िले की एक घटना में सुनाता हूं। मैंने पहले सोचा था कि क्वेश्चन (प्रश्न) कर दूं लेकिन फिर किसी को हैरेस (परेशान) करना ठीक नहीं समझा। जेड० ए० एफ० में कई हजार रुपये का गबन बनारस में हो गया। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से जेड० ए० एफ० में रुपया दिलाया था लेकिन अब हालत यह है कि हम लोगों से किसान कहते फिरते हैं कि ज़रा हमारे दस गुना लगान के बारे में तहसील में दिखवा लीजिये कि क्या हालत है। इस प्रकार बनारस में जो किस्सा हो गया, उससे मैं बहुत घबड़ाता हूं कि इस वक्त जो सरकारी कर्मचारी हैं वह नहीं मालूम क्या कर डालेंगे। मुझे किसी से खतरा नहीं मालूम होता है, न मैं सोशलिस्टों से घबड़ाता हूं, न कम्युनिस्टों से घबड़ाता हूं, लेकिन अगर किसी से घबड़ाता हूं तो पंचम स्तम्भियों से घबड़ाता हूं। इस समय सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। क्लबों में या कचहरी में या लंच रूम्स में किसी मिनिस्टर को भेज करके देखा जा सकता है कि किस तरह से सरकार को खुली गालियां दी जाती हैं। इसका कारण यह है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कारण ऊपर बढ़ने से रोक दिया जाता है तो वह सरकार को नीचे से ऊपर तक गाली देना शुरू कर देता है। मैं एक जिले के लंच रूम की बात बतला रहा हूं कि वहां कुछ साहब लोग बैठे हुये थे और कुछ नागरिक भी थे। उनमें से एक साहब कह रहे थे कि अगर अंग्रेज न गये होते तो तुम लोग इतने बड़े बड़े आफिसर न होते बल्कि कहीं क्लर्की करते होते। मैं उधर से जा रहा था, मैंने सब बातें नहीं सुनीं लेकिन इतना सुना कि अगर अंग्रेज होते तो आज पंडित नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर न बने होते। मुझ से रहा नहीं गया, मैं उनसे पूछ बैठा कि क्या बात है। यहां तक कि झगड़ा करने की नौबत आ गई और मैं भी झगड़ा करने पर तुल गया। मैंने यह सोच लिया कि बहुत होगा तो यह मैजिस्ट्रेट हैं कनटेम्ट आफ कोर्ट (न्यायालय का अवमान) में जेल भेज देंगे। जहां पहले बहुत दिन जेल में रह चुका हूं वहां थोड़े दिन अब भी रह आऊंगा। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि यह फलां नाम के आदमी हैं तो वह इतना घबड़ा गये और उनका पारा इतनी जल्दी नीचे उतर गया कि वह पानी पानीहो गये। तो सब से पहली आवश्यकता यह है कि सरकारी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पूर्वी जिलों की हालत बहुत खराब है, पूर्वी जिले खास कर डेफिसिट एरिया में हैं। इसके साथ साथ मैं यह सुन रहा हूं कि बनारस को फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में रखा नहीं गया है। अब बनारस में दो तहसीलें बनारस राज्य की और मिला दी गयी हैं लेकिन जो पुराना बनारस था उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वहां जो गल्ला पैदा होता था वह मुश्किल से साढ़े तीन महीने के लिये होता था। वहां सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके लिये कुछ कहना नहीं है। वहां कुयें जो होते हैं वह भी बहुत गहराई में होते हैं। वहां जो नदियां हैं वह भी अमूमन सूख जाती हैं। इस लिये मैं सिंचाई के मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि वे बनारस का भी ख़याल रखेंगे।

दूसरे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री हैं उनसे भी मुझे कुछ निवेदन करना है। उनका ध्यान मैं लोकल बोर्डों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने सेक्रेट्रीज की तनख्वाह दे डाली।

[श्री लालबहादुर सिंह]

लेकिन मुझे तो एक ही बात कहनी है कि अगर हमारी सरकार अपने आफिशियल्स को ठीक कर ले तो शायद हम इतनी तरक्की करलें कि फिर कोई जरूरत बाकी न रहे। मिसाल के लिये पंचायत इंस्पेक्टर्स को ही ले लीजिये। मेरी समझ में तो वे हैलेट शाही जमाने के थानेदार से भी बढ़ कर हैं। हाल ही में मेरे पास एक साहब आये और उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर भूसा मांग रहा है। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि सरपंच से उसने कहा कि थोड़ा थोड़ा भूसा इकट्ठा कर दो, हमने गाय पाल रक्खी है उसके खाने के लिये जरूरत है। मैं प्लानिंग आफिसर के पास गया, बड़ी मुश्किल से उनसे मुलाकात हो पाई। जब मैंने उनसे सारा किस्सा कहा तो उन्होंने कहा कि वह देख लेंगे। तो यह बड़ी दिक्कत है कि इन लोगों पर सुपरवीजन हमारा बिल्कुल अंग्रेजी तरीके का है। इसलिये अगर इस तरीके को बन्द करके कोई नया तरीका इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा हो। बजट तो हम पास कर लेंगे क्योंकि मैं तो इसे किसानों और मजदूरों का बजट समझता हूं, हालांकि हमारे एक माननीय सदस्य श्री राजनारायण जी ने कहा कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको तो पास कर ही लेना चाहिये और बाद में सरकार डिपार्टमेंटल हैड्स को बुला कर उनसे यह कह दे कि अपने अपने डिपार्टमेंट को ठीक करें, क्योंकि जिस स्वराज्य के लिये हमने बड़ी लम्बी चौड़ी कुर्बानियां कीं उसके प्रति इन आफिशियल्स की तरफ से नफरत पैदा की जाती है।

चौथी बात मुझे पुलिस मिनिस्टर से कहनी है। चाहे हम और आप कितनी ही डींगहांक लें लेकिन करप्शन (भ्रष्टाचार) में मेरी समझ में कोई कमी नहीं आयी है। मैं गांव में रहता हूं। करीब करीब दूसरे तीसरे दिन तो सुनने में आ ही जाता है कि फलां थानेदार ने दो सौ रुपये ले लिये। अब उससे पूछे तो झगड़ा हो। लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं कि कहो किससे लिया। तो वह कहता है कि नहीं तो। तो अभी तक तरीका वही है। एक दिक्कत और है कि अगर कोई इन बड़े आफिसरों की चापलूसी कर ले चाहे वह सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या कोई हो तो उसका काम बहुत जल्दी हो जायगा और जो जरा ढंग से चलने वाला है तो उसके काम में हमेशा रुकावट पैदा करेंगे। तो इसलिये बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं अधिक न कह कर यह निवेदन करूंगा कि इस बजट को आप जितनी जल्दी हो सके पास कर दीजिये

(इसके बाद सदन रात्रि के ८ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
८ जुलाई, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।